पंचम माला, खंड 3, अंक 17, मंगलवार, 15 जून, 1971/25 ज्येष्ठ, 1893 (शक)
Fifth Series, Vol. III, No. 17, Tuesday, June 15, 1971/Jyaistha 25, 1893 (Saka)

लोक सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
5th
LOK SABHA DEBATES

दूसरा सत्र
Second Session

PARLIAMENT LIBRARY
No. 63(26)
Date 19.1.72

(खंड 3 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. III contains Nos. 11 to 20).

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/
हिन्दी में दिये गये भाषण आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।
This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 17—मंगलवार, 15 जून, 1971/25, ज्येष्ठ, 1893 (शक)

No. 17, Tuesday, June 15, 1971/Jyaistha 25, 1893 (Saka)

	निधन संबंधी उल्लेख	Obituary Reference	1-2
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
ता० प्र० संख्या S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/Pages
481	साईकल टायरों के मूल्य में वृद्धि	Increase in price bicycle of tyres	2-3
483	पोंग बांध के फलस्वरूप विस्थापित होने वाले व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये भूमि	Land for rehabilitation of Pong Dam Oustees	3-4
484	औद्योगिक लाइसेंसों हेतु उड़ीसा से प्राप्त विचाराधीन आवेदन पत्र	Pending applications for Industrial Licences from Orissa	4-6
487	रेल के टिकटों के सम्बन्ध में घोटाला	Railway Ticket Racket	6-7
490	हावड़ा अमता सेक्शन का बड़ी लाइन में बदला जाना	Conversion of Howrah Amta Section into broad gauge	7-9
491	न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलग किया जाना	Separation of Judiciary from the Executive	9-11
492	विदेशों में भारतीय सहयोग से छोटे उद्योगों का विकास	Development of light industries abroad with Indian Collaboration	11-13
495	हिन्दी भाषा भाषी क्षेत्रों में रेलवे स्टेशनों पर हिन्दी में घोषणाएं	Announcement in Hindi on Railway stations in Hindi speaking States	13-14
501	रोहतक से भिवानी (उत्तर रेलवे) तक बड़ी रेलवे लाइन	Broad Gauge Line from Rohtak to Bhiwani (Northern Railway)	14-15
503	हल्दिया औद्योगिक समूह का विकास	Development of Haldia Industrial Complex	15-16
	अल्प-सूचना प्रश्न	Short Notice Question	
2.	कोरबा ताप संयंत्र से उत्तर प्रदेश को बिजली की सप्लाई	Supply of power from Korba Thermal Plant to Uttar Pradesh	16-19

किसी नाम पर अंकित यह+इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign+marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर	Written Answers to Questions	
ता० प्र० संख्या S.Q. Nos.		
482 जम्मू में पनबिजली घर की स्थापना	Setting up of Hydel Power Station at Jammu	19
485 कागज निगम का गठन और उसके कृत्य	Constitution and functions of Paper Corporation	20-21
486 राजधानी एक्सप्रेस में नई दिल्ली से हावड़ा जाने वाले यात्रियों से अर्जित आय	Revenue earned from passengers travelling in Rajdhani Express from New Delhi to Howrah	21
488 पश्चिम बंगाल में मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण	Revision of Electoral rolls in West Bengal	21-22
489 पश्चिम बंगाल में छोटे और माध्यमिक दर्जे के गैर सरकारी उद्योगों के उत्पादन में कमी	Low Production in private Small and Medium Scale Industries in West Bengal	22-23
493 सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देना	Absorption of educated unemployed in Public Sector Undertakings	23-24
494 मध्य प्रदेश में चौथी योजना के दौरान औद्योगिक परियोजनाओं का स्थापित किया जाना	Setting up of industrial projects in Madhya Pradesh during Fourth Plan	24
496 लाइसेंस शुदा रेलवे कुलियों के लाइसेंस शुल्क में कमी	Reduction in licence fee of licensed Railway porters	24-25
497 टायरों की कीमत में वृद्धि	Rise in the Price of Tyres	25
498 जोधपुर दिल्ली सेक्शन (उत्तर रेलवे) के लिये बड़ी लाइन	Broad Gauge line for Jodhpur Delhi Section (Northern Railway)	25-26
499 राज्यों में औद्योगिक परियोजनाओं की स्थापना के लिये अपनाई गई कसौटी	Criteria adopted for Location of industrial projects in States	26
500 काश्मीर को पिछड़े हुए राज्य के रूप में वर्गीकरण करने की कसौटी	Criteria for categorising Kashmir as a backward State	26-27
502 गैर मान्यता प्राप्त यूनियनों/एसोसिएशनों से मिले अभ्यावेदनों पर विचार	Consideration of representations from Unrecognised Unions/Associations	27
504 मोपेड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, तिरुपति (आंध्र प्रदेश) की लाइसेंस प्राप्त क्षमता का अधिकतम उपयोग	Utilization of maximum licensed capacity of Moped Manufacturing Unit, Tirupati (A. P.)	27-28

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० सं० **S. Q. No.**		
505 राज्यों के मध्य जल विवादों का समाधान	Settlement of water disputes between States	28
506 रेलवे क्वार्टरों (दक्षिण रेलवे) के किराये में वृद्धि	Increase in rent of Railway Quarters (Southern Railway)	29
507 रेलवे के कार्यकरण की जांच पड़ताल करने के लिए संसद की स्थायी समिति की स्थापना के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश	ARC's recommendation regarding setting up of a Standing Committee of Parliament to scrutinise working of Railways	29-30
508 केरल में बिजली का उत्पादन	Generation of Electricity in Kerala	30-32
509 दिल्ली के लिए रिंग रेलवे	Ring Railway for Delhi	32
510 सलेम और नेवली के बीच बड़ी लाइन	Broad-Gauge line between Salem and Neyveli	32
अता० प्र० संख्या **U. S. Q. No.**		
2109 रेलवे विद्युतीकरण कर्मचारियों द्वारा न्यायालयों में लेख याचिका का दर्ज किया जाना	Writ petitions filed in High Courts by staff of Railway Electrification	32-33
2110 मध्य रेलवे पर कुछ गाड़ियों का चलाना बन्द करना	Withdrawal of trains on Central Railway	33
2111 बम्बई दिल्ली और बम्बई इलाहाबाद के बीच नई गाड़ियों का चलाया जाना	Introduction of new trains between Bombay-Delhi and Bombay-Allahabad	33-34
2112 भुसावल और इटारसी रेलवे स्टेशनों के बीच यात्री गाड़ियों की कमी	Shortage of passenger trains between Bhusaval and Itarsi-Railway Stations	34
2113 न्यायालयों में विचाराधीन मामलों का शीघ्र निपटाया जाना	Quick Disposal of Pending cases in courts	34
2114 दिल्ली और अहमदाबाद के बीच राजधानी एक्सप्रेस	Rajdhani Express between Delhi and Ahmedabad	34-35
2115 कागज उद्योग पर से टैरिफ नियन्त्रण हटाया जाना	Removal of Tariff Control on Paper	35
2116 हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के पिंजोर यूनिट का विस्तार	Expansion of Pinjore Unit of HMT	35-36

अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
2117	फरक्का बांध के बारे में भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत	Talks between India and Pakistan on Farakka issue	36
2118	अमूल बेबी फूड का मूल्य	Price of Amul Baby Food	36
2119	दिल्ली विद्युतप्रदाय के गोदामों से तांबे के तारों की चोरी	Stealing of copper wire from Delhi Electric Supply Undertaking Godown	36-37
2120	मैसूर उच्च न्यायालय में अनिर्णीत मुकदमें	Pending cases before Mysore High Court	37
2121	न्यायपालिका की प्रतिष्ठा कम किए जाने के बारे में मुख्य न्यायाधीश का कथित वक्तव्य	Reported observation of Chief Justice of India regarding undermining the prestige of Judiciary	37
2122	विद्युत कर्मचारी संघ, मध्य प्रदेश द्वारा ज्ञापन	Memorandum by Vidyut Karamchari Sangh Madhya Pradesh	37-38
2123	सिंचाई आयोग के कार्य की प्रगति	Progress of work of Irrigation commission	38
2124	जापान के सहयोग से ट्रैक्टर बनाने के लाइसेंस	Licence for manufacture of Tractors in collaboration with Japan	38-39
2125	कमला बालान बांध, विहार की प्रगति	Progress of Kamla Balan Dam, Bihar	39
2126	विल्ली बांध का निर्माण	Construction of Willy Dam	39
2127	चौथी पंचवर्षीय योजना में मध्य प्रदेश की नदी जल परियोजनाएं	River Water Projects in Madhya Pradesh for Fourth Plan	39-40
2128	रे गाड़ियों में माल चोरी हो जाने के कारण हुई कमी से उद्योगपतियों को घाटा	Penalisation of industrialists for shortages due to pilferages in trains	40
2129	उत्तर प्रदेश में बाढ़ नियंत्रण की योजना	Plans to prevent floods in Uttar Pradesh	40
2130	नीव लूनाकरण उठाऊ सिंचाई नहर के दोनों ओर के देहातों में पीने के पानी की व्यवस्था	Provision of drinking water in the villages on eitherside of Neavx Lunakaran Lift Irrigation Canal	40-41
2131	गंगानगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में फर्मों को माल डिब्बों के आवंटन में कथित भेदभाव	Alleged discrimination in allotment of wagons to firms in Ganganagar Parliamentary Constituency	41
2132	उत्तरी लखीमपुर रेलवे स्टेशन पर हुई चोरी	Commission of theft in station on North Lakhimpur Railway Station	41

अता० प्र० सं० U. S. Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
2133	फारिन ट्रैफिक अकाउन्ट्स आफिस दिल्ली (पश्चिम रेलवे) में अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति	Deployoment of additional staff in Foreign Traffic Accounts office, Delhi (Western Railway)	41-42
2134	रेलवे विद्युतीकरण के नैमितिक कर्मचारियों का बहाल करना	Re-instatement of casual employees of Railway Electrification	42
2135	रेलवे के खर्च में कमी	Reduction in the expenditure of Railways	43
2136	रेलवे सम्बन्धी वांचू समिति का सुझाव	Suggestions by Wanchoo Committee on Railways	43-44
2137	वस्तुओं की छटपुट चोरी, वैगन तोड़ने, आदि के कारण रेल विभाग को घाटा	Loss to Railways due to pilferage of goods wagons breaking etc.	44
2139	मनीपुर के मुख्य न्यायालयों का नये स्थानों पर ले जाया जाना	Shifting of major law courts of Manipur to new Sites	44-45
2140	मनीपुर के विधि न्यायालयों में मुकदमों का शीघ्र निपटाया जाना	Quick disposal of cases in the Law Courts of Manipur	45
2141	मनीपुर में वन उत्पादों पर आधारित उद्योगों की स्थापना	Setting up of Industries based on Forest products in Manipur	45-46
2142	मनीपुर के जिरीबाम सब डिवीजन तक रेल लाइनों का विस्तार	Extension of Railway Lines upto Jiribam sub-division of Manipur	46
2143	आटो साइकिलों के निर्माण हेतु लाइसेंसों के लिये आवेदन पत्र	Applications for licence for Manufacture of Auto cycles	46-47
2144	राज्यों में प्रति व्यक्ति बिजली का उत्पादन और उसकी खपत	Per capita production and consumption of power in States	47-48
2145	जिला और सेशन न्यायाधीशों का अखिल भारतीय संवर्ग	All India cadre for district and Sessions Judges	48
2146	उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का अन्तर्राज्यीय स्थानान्तरण	Inter State Transfer of Judges of High Courts	48-49
2147	औद्योगिक लाइसेंस जारी करने के सम्बन्ध में अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें	Complaints against officials regarding issue of Industrial Licences	49
2148	आरामबाग से होकर तारकेश्वर और बांकुरा को जोड़ने वाली रेलवे लाइन	Railway line linking Tarakeswar and Bankura via Arambagh	49
2149	गोरखपुर नौटनवा शाखा लाइन पर माल डिब्बों की सीलों का तोड़ा जाना	Breaking of seals of Goods Wagons on Gorakhpur to Nautanwa Branch Line	49-50

अता० प्र० सं० U. S. Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
2150	उद्योगों में कच्चे माल की कमी	Shortage of Raw Materials in Industry	50
2151	पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना करने के लिये आवेदन पत्र	Applications for Setting up of Industries in Backward Areas	50-51
2152	रेलवे की विभागीय खान पान सेवा से हुआ लाभ अथवा हानि	Profit or loss resulting from departmental Catering Service on Railways	51
2153	उत्तर प्रदेश में सिंचाई और विद्युत प्रजनन योजना का बनाया जाना	Formation of Irrigation and Power Generation Schemes in Uttar Pradesh	51-52
2154	भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड हरिद्वार में स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाना	Employment of Local Persons in Bharat Heavy Electricals Limited, Hardwar	52
2156	ग्वालियर स्थित कैरिज एण्ड वैगन वर्कशाप द्वारा छोटी लाइन के तीसरी श्रेणी के यात्री के डिब्बों का निर्माण	Manufacture of Third Class Narrow Gauge Passenger Coach by C and W Workshop, Gwalior	52-534
2157	उत्तर प्रदेश में ट्रैक्टर कारखाना	Tractor Factory in U. P.	53-5
2158	मध्य प्रदेश में नई रेलवे लाइनें	New Railway lines in Madhya Pradesh	54
2159	निम्न आयु वर्ग के लोगों को कानूनी सहायता देना	Legal Aid to Lower Income Group People	54-55
2160	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा नये कारखानों की स्थापना	Setting up of New Units by HMT	55
2161	दोहाद (पश्चिम रेलवे) स्थित वर्कशाप एकाउण्ट्स आफिस के ग्रेड दो के लिपिकों की वरीयता	Seniority of clerks Grade II Workshop Accounts Office, Dohad (Western Railway)	55-56
2162	बजुआ गुजरात रिफाइनरी साइडिंग आदि के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता की बकाया राशि का भुगतान	Arrears of House Rent Allowance to Staff at Bajuva, Gujarat Refinery Siding etc.	56
2163	अजमेर डिवीजन के सहायक कार्मिक अधिकारी तथा अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतें	Complaints against A. P. O. I. and others Ajmer Division	56
2164	पश्चिम बंगाल के निचले दामोदर क्षेत्र में बाढ़ पर नियंत्रण	Control of Flood in Lower Damodar Region of West Bengal	56-57
2165	फोरन ट्रैफिक एकाउन्ट्स आफिस, दिल्ली (पश्चिम रेलवे) में रिजर्व कोटे में क्लर्क ग्रेड I में पदोन्नति	Promotion of clerks Grade I against Reserved Quota in Foreign Traffic Accounts Office, Delhi (Western Railway)	57

अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
2166	चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों (उत्तर रेलवे) को गर्म वर्दी दिया जाना	Supply of Winter Uniforms to Class IV Employees (Northern (Railway)	57-58
2167	कोसी, गंडक, सरजू और घाघरा पर बांध के निर्माण का फरक्का बांध पर विपरीत प्रभाव	Adverse Effect of setting up of Barrage over Kosi Gondak, Sarju and Ghagra on Farrakka Barrage	58
2168	हिसार में राष्ट्रीय राजमार्ग नं० 10 की रेल क्रासिंग पर ऊपरी पुल	Overbridge at Railway Crossing of National Highway No. 10 at Hissar	58
2169	वायदा व्यापार करने वाली मान्यता प्राप्त एसोशिएशनें	Recognised Associations engaged in forward trading	58
2170	बीकानेर और बाड़मेर के बीच बरास्ता जेसलमेर रेल मार्ग	Rail Link between Bikaner and Barmer via Jaisalmer	59
2171	ग्रीष्म काल में राजधानी से बड़ी संख्या में बाहर जाने वाले लोगों के कारण दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अधिक भीड़ भाड़ होना	Congestion at Delhi Railway Station on account of heavy summer exodus	59
2172	नई दिल्ली रेलवे स्टेशन (उत्तर रेलवे) के वाणिज्यिक क्लर्कों के लिये स्वीकृत ड्यूटी रोस्टर	Approved Duty Roster for commercial clerks at New Delhi Station (Northern Railway)	59-60
2173	राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली में एक अर्हता प्राप्त सचिव की नियुक्ति	Appointment of a qualifed Secretary in National Industrial Development Corporation Ltd. New Delhi	60
2174	खड़गपुर रेलवे टाऊन में स्थित सफाई कर्मचारी बस्ती में सुविधायें	Amenities in Sweepers' Colony at Kharagpur Railway Town	60-61
2175	फारेन यातायात लेखा कार्यालय, दिल्ली (पश्चिम रेलवे) में सफाई वालों के रिक्त पद	Vacancies of Safaiwalas in Foreign Traffic Accounts Office, Delhi (Western Railway)	61
2176	अपेंडिक्स II—ए परीक्षा में सफल लिपिकों की पदोन्नति	Promotion of clerks who passed Appendix II-A Examination	61
2177	पश्चिम बंगाल में बाढ़ और राहत सम्बन्धी कार्य	Floods in West Bengal and Relief Operations	61-62
2178	केरल में डीजल इंजन वाली रेलगाड़ियां चलाना	Running of trains with Diesel Engines in Kerala	62

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० सं० U. S. Q. No.		
2179 हावड़ा अमता और हावड़ा शिखाला लाइट रेलवे का बही मूल्य	Book value of Howrah Amta and Howrah Sheakhala Light Railways	62-63
2180 पश्चिम बंगाल में उद्योगों में नया पूंजी निवेश	New investment in industries in west Bengal	63-64
2181 हाल ही में विकसित गैस उत्पादक द्वारा विद्युत का उत्पादन	Generation of power by the recently developed Gas producer	64 65
2182 फारेन ट्रैफिक एकाउन्ट्स आफिस दिल्ली (पश्चिम रेलवे) के कर्मचारियों के लिये क्वार्टरों के आवंटन हेतु कोटा	Quota for allotment of quarters to staff of Foreign Traffic Accounts Office, Delhi (Western Railway)	65
2183 मध्य प्रदेशों से लाइसेंसो/आशय पत्रों के लिये अनिर्णीत पड़े आवेदन पत्र	Pending applications for licences letters of intent from Madhya Pradesh	65-66
2184 उड़ीसा में जड़ाऊ हराभंगी सिंचाई परियोजना के पूरा होने में विलम्ब	Delay in completion of Jarau Harabhangi Irrigation Project, Orissa	66
2185 दिल्ली स्थित फारेन ट्रैफिक एकाउन्ट्स आफिस और अजमेर स्थित ट्रैफिक एकाउन्ट्स आफिस के कर्मचारियों को मानदेय का भुगतान	Payment of Honorarium to staff of foreign Traffic Accounts Office, Delhi and Traffic Accounts Office, Ajmer	66-67
2186 दिल्ली और अजमेर स्थित यातायात लेखा कार्यालयों की कर्मचारी संख्या	Strength of Traffic Accounts Office at Delhi and Ajmer	67
2187 देवगढ़ को पन बिजली की सप्लाई	Supply of Hydro electricity to Devgarh Orissa	67-68
2188 बिड़ला बन्धुओं के अल्युमिनियम निगम को रिहन्द बांध से सस्ती बिजली की सप्लाई	Supply of Cheaper power to Aluminium corporation of Birlas from Rihand Dam	68
2189 परिशिष्ट II क की परीक्षा में पास हुए श्रेणी II के लिपिक	Appendix II-A Examination qualified clerks Grade II	68
2190 फारेन ट्रैफिक अकाउन्ट्स आफिस, दिल्ली (पश्चिम रेलवे) के श्रेणी I के लिपिकों की अनियमित पदावनति	Irregular reversion of clerks Grade-I Foreign Traffic Accounts Office, Delhi (Western Railway)	68-69
2191 रेलवे के लिये पहिये, एक्सल तथा इस्पात के टायरों के निर्माण के लिये निगम	Corporation to manufacture Wheels Axles and Steel Tyres for Railways	69

अता० प्र० सं० U. S. Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
2192	गाजियाबाद से चलने वाली रोहतक शटल गाड़ी का गाजियाबाद की बजाय दनकौर से चलाना	Rohtak Shuttle starting from Dankaur instead of Ghaziabad	69
2193	आन्ध्र प्रदेश में श्रीसैलम पन बिजली परियोजना का निर्माण	Construction of Srisailam Hydro Electric Project, Andhra Pradesh	69-70
2194	कृष्णागोदावरी जल विवाद सम्बन्धी न्यायाधिकरण का निर्णय	Decision of the Tribunal on Krishna-Godavari River Waters Dispute	70
2196	रेलवे माल डिब्बों के निर्माण की दर	Rate of Production of Rail Wagons	70-71
2197	केरल में कीरियाकिट्टी कीरप्पन सिंचाई योजना	Keeriakitti Kerappan Irrigation Scheme, Kerala	71
2198	एरणाकुलम रेलवे स्टेशन (दक्षिण रेलवे के नैमित्तिक मजदूरों को पुनः काम पर लगाना	Re-instatement of casual labourers of Ernakulam Railway Station (Southern Railway)	71
2199	कालूपुराघाट (दक्षिण पूर्व रेलवे) में पी० डब्लू० आई० के अन्तर्गत वरिष्ठ नैमित्तिक श्रमिकों की सवस्टीट्यूट गैंग-मैन के रूप में नियुक्ति नियमित करना	Regularisation of Appointment of Senior Casual Labourers as Substitute Gangmen under PWI Kalupara Ghat (South Eastern Railway)	72
2200	पुरी स्टेशन (दक्षिण पूर्व रेलवे) के गुड्स शैड में काम कर रहे हम्मालों को सामान उतारने चढ़ाने के लिये मिलने वाली मजदूरी की दरों में वृद्धि	Handling rate for Hammals working at Goods Shed, Puri Station (South Eastern Railway)	72
2201	दक्षिण पूर्व रेलवे के खुरदा डिवीजन में स्टेशनों पर लायसेंस प्राप्त कुलियों के विश्राम स्थानों की कमी	Lack of Resting Accommodation for Licensed Porters in Stations in Khurda Division of South Eastern Railway	72-73
2202	रतलाम और नीमच (पश्चिम रेलवे) पर लोकोशैडों का विस्तार	Extension of Loco sheds at Ratlam and Neemuch (Western Railway)	73
2203	मध्य रेलवे के तस्पुरा स्टेशन, मंदसौर पर सवारी गाड़ी का ठहरना	Halt of Passenger Train at Taspura Railway Station, Mandsaur on Central Railway	73
2204	खण्डवा और अजमेर के बीच 70 पाउण्ड की रेल पटड़ी डालना	Laying of 70 Pound Rails between Khandwa and Ajmer	73.74

अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
2205	गोधरा से कोटा तक रेलवे लाईन	Railway Line from Godhara to Kota	74
2206	मध्य प्रदेश में पुनासा सिंचाई परियोजना	Punasa Irrigation Project in Madhya Pradesh	74
2207	बम्बई तथा अमृतसर के बीच चलने वाली अमृतसर एक्सप्रेस रेलगाड़ी	Amritsar Express Train running between Bombay and Amritsar	74
2208	छोटे किसानों को सस्ती दरों पर बिजली की सप्लाई	Supply of Power at Cheaper Rates to Small Farmers	75
2209	उत्तर प्रदेश की औद्योगिक संस्थाओं को दिये गये ऋण	Loans given to U. P. Industrial Concerns	75
2210	केन्द्रीय औद्योगिक परियोजनाएं	Central Industrial Projects	76
2211	रेलवे कर्मचारियों की मजूरी में वृद्धि पर रोक (वेज फ्रीज)	Wage Freeze for Railway Employees	76-77
2212	दूसरी श्रेणी के अधिकारियों का अन्तर्क्षेत्रीय स्थानान्तरण (दक्षिण रेलवे)	Inter Division transfers of Class II Officers (Southern Railway)	77
2213	दक्षिण रेलवे के कुछ कर्मचारियों को रात्रि कार्य भत्ता न दिया जाना	Non Payment of Night Duty Allownces to Certain Staff (Southern Railway)	77-78
2214	वाणिज्यिक क्लर्कों की संख्या में कमी	Decline in the Strength of Commercial Clerks	79
2215	जोनल ट्रेनिंग स्कूल, उदयपुर (पश्चिम रेलवे) में प्रबोधन पाठ्यक्रमों के प्रशिक्षणार्थियों को निःशुल्क वर्दी देना	Free Uniform to Trainees of Refresher Courses at Zonal Training School, Udaipur (Western Railway)	79
2216	प्रेषित माल पर न्यून शुल्क की बकाया राशि	Outstanding Amount of Undercharges on the Consignments	79-80
2217	व्यास बांध और भाखड़ा बांध परियोजनाओं के मैकेनीकल और इलेक्ट्रिकल कर्मचारी	Mechanical and Electrical Staff on Beas Dam and Bhakra Dam Projects	80-81
2218	मध्य प्रदेश के रेवा सिधी सहडोल क्षेत्र में रेलवे लाइनें	Railway lines in Rewa Sidhi Sahdol Region of Madhya Pradesh	81
2219	रंगिया में डिवीजनल मुख्यालय	Divisional Headquarters Office at Rangiya	81
2220	आंध्र प्रदेश के कुप्पम कस्बा के रेलवे फाटक पर ऊपरि पुल (दक्षिण रेलवे)	Overbridge at Level Crossing in Kuppam Town, Andhra Pradesh (Southern Railway)	81-82

अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
2221	आंध्र प्रदेश के चित्तूर टाउन के रेलवे फाटक पर ऊपरि पुल (दक्षिण रेलवे)	Overbridge at level crossing in Chittoor Town, Andhra Pradesh (Southern Railway)	82
2222	यातायात निरीक्षकों और गति निरीक्षकों के कार्य के बारे में टिप्पणी (पश्चिम रेलवे)	Observations on the Performance of Traffic and Movement Inspectors (Western Railway)	82
2223	यातायात निरीक्षकों और मूवमेंट इन्सपैक्टरों पर किया गया खर्च	Expenditure incurred on Traffic Inspectors and Movement Inspectors	83
2224	यातायात विभाग तथा वाणिज्यिक विभाग के कर्मचारियों का एक विभाग से दूसरे विभाग में स्थानान्तरण	Officers of Transportation and Commercial Department Interchangeable	83
2225	रेलवे के वाणिज्य विभाग के कार्यकरण के बारे में प्रशासन सुधार आयोग की टिप्पणियां	ARC's observations regarding functioning of Commercial Department of Railways	83
2226	पूर्वोत्तर रेलवे पर मूल्यवान वस्तुओं की चोरी	Theft and pilferages of Costly goods on North Eastern Railway	83-84
2227	गार्डों को उच्चतर ग्रेडों में स्थाई बनाना (दक्षिण पूर्व रेलवे)	Confirmation of Guards in Higher Grade (South Eastern Railway)	84
2228	अजमेर डिवीजन (पश्चिम रेलवे) के टाइपिस्टों के कार्यभार तथा उनकी अपेक्षित संख्या के बारे में मूल्यांकन	Assessment of work load and Staff Requirements of Typists for Ajmer Division (Western Railway)	84-85
2229	अजमेर डिवीजन (पश्चिम रेलवे) के टाइपिस्टों के काम में वृद्धि	Increased workload for Typists in Ajmer Division (Western Railway)	85
2230	रेलवे बोर्ड और पश्चिम रेलवे के विभागीय कार्यालयों के टाइपिस्टों को मानदेय और समयोपरि भत्ते का भुगतान	Payment of Honorarium and Overtime to Typists of Railway Board and Divisional Offices of Western Railway	85-86
2231	क्विलोन और त्रिवेन्द्रम (दक्षिण रेलवे) में सहायक बुकिंग क्लर्कों की संख्या में वृद्धि	Increase in the Strength of Assistant Booking Clerks at Quilon and Trivandrum (Southern Railway)	86
2232	दक्षिण रेलवे के मद्रास डिवीजन के वरिष्ठ वाणिज्यिक क्लर्कों द्वारा पूछताछ तथा आरक्षण क्लर्कों के कार्य का किया जाना	Senior Commercial Clerks performing Duties as Enquiry Cum Reservation Clerk, Madras Division (Southern Railway)	86-87

अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
2233	गुन्टकल, स्टेशन (दक्षिण रेलवे) पर चीफ बुकिंग क्लर्क का दर्जा घटाया जाना	Downgrading of the Post of Booking Clerk at Guntaka Station (Southern Railway)	87
2234	बहराइच जिले का औद्योगिक सर्वेक्षण	Industrial Survey of Bahraich District (U. P.)	87-88
2236	बंगला देश से आने वाले शरणार्थियों का नाम मतदाता सूची में दर्ज करना	Enrolment of Bangla Desh Refugees in the Vorters List	88
2237	लघु उद्योग विकासायुक्त कार्यालय के तकनीकी अधिकारियों का विदेशों में भेजा जाना	Technical officers in the office of Development Commissioner, Small Scale Industries sent Abroad	88-89
2238	पूंजीगत वस्तुओं के आयात हेतु लघु उद्योगों के विकासायुक्त द्वारा स्वीकृत आवेदन पत्र	Applications for import of Capital Goods approved by Development Commissioner, Small Scale Industries	89
2239	डीजल इंजनों का उत्पादन	Production of Diesel Engines	89
2240	मद्रास वाल्टेयर रेल लाइन का विद्युतीकरण	Electrification of Madras Waltair Line	89-90
2241	राजामुन्दरी (दक्षिण मध्य रेलवे) में रेल पुल	Railway Bridge at Rajah Mundry (South Central Railway)	90
2242	तीसरी और चौथी योजना अवधि के दौरान दक्षिण मध्य रेलवे जोन में नई रेल लाइनें	New Railway lines on south Central Railway Zone during Third and Fourth Plan Periods	90-91
2243	राजस्थान के झालावाड़ जिले का विकास	Development of Jhalawar District in Rajasthan	91
2244	दिल्ली और बम्बई के बीच चलने वाली फ्रंटियर मेल गाड़ी में दूसरी और तीसरी श्रेणी के यात्रियों के लिये डिब्बा	Bogies for II and III Class Passengers with Frontier Mail running between Delhi and Bombay	91
2245	न्यायाधीशों के वेतन	Salaries of Judges	91.92
2246	गैर सरकारी और सरकारी परियोजनाओं में विदेशी परामर्शदाताओं की नियुक्ति	Appointment of foreign Consultants in private and Public Sector projects	92
2247	कागज का उत्पादन	Production of Paper	92-93
2248	नारियल पर आधारित उद्योग समूह की स्थापना	Formation of a Coconut based Industrial Complex	93

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.		
2249 बीजापुर जिले में प्रारम्भ की गई केन्द्र द्वारा प्रायोजित एवं राज सहायता प्राप्त योजनाएं	Centrally sponsored and subsidised schemes taken up in Bijapur District	93-94
2250 राजस्थान के सेलखड़ी उद्योग के लिये रेल डिब्बों की कमी	Wagons shortage for soap stone industry in Rajasthan	94
2251 हरिजनों के गांवों को ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में शामिल करना	Inclusion of Rural Areas inhabited by Harijans in Rural Electrification Scheme	94·95
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	
केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते में और अधिक वृद्धि	Further increse in Dearness Allowance of Central Government employees	95-99
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S. M. Banerji	95-99
श्री के० आर० गणेश	Shri K. R. Ganesh	95-99
सभा-पटल पर रखा गया पत्र	Paper Laid on the Table	100
सदस्यों की गिरफ्तारी	Arrest of Members	100
(सर्वश्री हुकुमचन्द कछवाय और ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव और श्रीमती शकुन्तला नायर)	(Sarvashri Hukam Chand Kachwai and G. P. Yadav and Shrimati Nayar)	
लाभ के पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव	Motion re. Constitution of Joint Commitee on Office of Profit	100-102
अनुदानों की मांगें (रेलवे), 1971-72	Demands for Grants (Railways), 1971-72	102-113
श्री नवल किशोर शर्मा	Shri N. K. Sharma	102-103
श्री सोमचन्द सोलंकी	Shri Somchand Solanki	103-104
डा० कैलाश	Dr. Kailas	104
श्री पी० के० देव	Shri P. K. Deo	104-105
श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य	Shri C. E. Bhattacharya	105-106
डा० गोविन्द दास रिछारिया	Dr. Govind Das Richhariya	106
श्री त्रिदिब चौधरी	Shri Tridib Chaudhari	106-107
श्री धामनकर	Shri Dhamankar	107-108
श्री रुद्रप्रताप सिंह	Shri Rudra Pratap Singh	108
श्री जम्बूवन्त धोते	Shri Jambuwant Dhote	108
श्री प्रताप सिंग नेगी	Shri Pratap Singh Negi	109

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
श्री महा दीपक सिंह	Shri Maha Deepak Singh	109
श्री हनुमन्तैया	Shri Hanumanthaiya	109-112
विनियोग (रेलवे) संख्या 2 विधेयक, 1971, पुरःस्थापित	Appropriation (Railways) No. 2 Bill, 1971-Introduced	113-118
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	
श्री दशरथ देव	Shri Dasarath Deb	114
श्री हनुमन्तैया	Shri Hanumanthaiya	115
खंड 1 से 3	Clauses 1 to 3	115
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass	115
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shrs Jyotirmoy Bosu	115-117
श्री हनुमन्तैया	Shri Hanumanthaiya	117-118
संसद अधिकारियों के सम्बलमों और भत्तों से सम्बन्धित (संशोधन) विधेयक	Salaries and Allowances of Officers of Parliament (Amendment) Bill	119-122
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	
श्री राज बहादुर	Shri Raj Bahadur	119
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu	119
श्री कमल मिश्र मधुकर	Shri K. M. Madhukar	119-120
श्री पन्नालाल बारुपाल	Shri P. L. Barupal	120
श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर	Shri Krishna Haldar	120
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी	Shri M. Ram Gopal Reddy	120
श्री जम्बूवन्त धोते	Shri Jambuwant Dhote	120
श्री आर० वी० बड़े	Shri R. V. Bade	120,121
श्री हुक्म चन्द कछवाय	Shri Hukam Chand Kachwai	121
श्री मोहम्मद ताहिर	Shri Mohammad Tahir	121
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	121
श्री अनन्त प्रसाद शर्मा	Shri A. P. Sharma	121
श्री विभूति मिश्र	Shri Bibhuti Mishra	121
श्रीमती टी० लक्ष्मीकान्तम्मा	Shrimati Lakshmikanthamma	121-122
श्री के० बासप्पा	Shri K. Basappa	122

लोक सभा

LOK SABHA

मंगलवार, 15 जून, 1971 / 25 ज्येष्ठ, 1893 (शक)

Tuesday, June 15, 1971 / Jyaistha 25, 1893 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. SPEAKER IN THE CHAIR]

निधन सम्बन्धी उल्लेख

OBITUARY REFERENCE

अध्यक्ष महोदय : मुझे डा० शिशिर कुमार साहा की मृत्यु की सूचना सभा को देनी है, उनकी मृत्यु 9 जून, 1971 को दानापुर में 76 वर्ष की आयु में हुई। वे तीसरी और चौथी लोक सभा में वीरभूम निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। वे श्रमिकों और पिछड़े वर्गों के कल्याण कार्य में विशेष रुचि लेते थे। हमें उनके निधन पर बहुत खेद है और अपने एक प्रतिष्ठित मित्र के खो देने में हम सब दुःखी परिवार के साथ हैं।

प्रधान मन्त्री, परमाणु ऊर्जा मन्त्री, गृह मन्त्री और सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : डा० शिशिर कुमार की मृत्यु के दुःख में हम आपके साथ हैं। लोक-सभा और पश्चिम बंगाल विधान सभा के अपने सदस्यता काल में उन्होंने अपने अनेकों मित्र बनाए। वे हरिजनों, विशेष कर ग्रामीण जनता के उत्थान में विशेष रूचि लेते थे। यदि आप उनके परिवार को हमारी संवेदना पहुंचा देंगे, तो हम आपके अत्यन्त आभारी होंगे।

श्री ज्योतिर्मय बसु : डा० शिशिर कमार की मृत्यु हम सबके लिए एक बड़ी हानि है। वे एक डाक्टर ही नहीं थे वरन् उन्होंने पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए और अपने जिले के विकास के लिए बहुत प्रयत्न किए। मेरे दल की ओर से आप दुःखी परिवार को हमारी संवेदना पहुंचा दें।

श्री सेझियान : मैं और मेरा दल आप ने और सदन के नेता ने जो भाव व्यक्त किए है उन में आपके साथ हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप हमारी गहरी संवेदना और सहानुभूति दुःखी परिवार पर पहुंचा दें।

डा० रानेन सेन : मैं डा० शिशिर कुमार साहा की दुखद मृत्यु के सम्बन्ध में व्यक्त भावनाओं में आपके साथ हूं। वह एक योग्य संसदविज्ञ और पुराने राजनीतिज्ञ थे। मेरी ओर से और भारतीय साम्यवादी पार्टी की ओर से मैं आपसे दुःखी परिवार को संवेदना पहुंचाने की प्रार्थना करता हूं।

Shri Atal Bihari Vajpayee : I express great sorrow on the sad demise of Dr. Saha and pray to the Almighty that the departed soul may rest in peace. We were familiar to him as the member of Lok Sabha. He believed in action not in words. Please send our condolences to the bereived family.

डा० मेलकोटे : तीसरी और चौथी लोक सभा में हममें से कुछ उनके साथी थे। वह बोलते कम थे पर बहुत ही मृदु भाषी थे। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरी संवेदना दुःखी परिवार तक पहुंचा दें।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : डा० शिशिर कुमार की मृत्यु के दुःख में मैं आपके और सदन के नेता के साथ हूं।

श्री पी० के० देव : स्वतन्त्र पार्टी की ओर से मैं श्री साहा की मृत्यु पर संवेदना प्रकट करता हूं।

प्रो० एस० एल० सक्सेना : मैं दुःखी परिवार के प्रति डा० साहा की मृत्यु पर गहरी संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब सदस्य अपना दुःख प्रकट करने के लिए थोड़े समय के लिए मौन खड़े होंगे।

(इसके पश्चात सदस्य कुछ समय के लिए मौन खड़े रहे)

(The Members then stood in silence for a short while)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Increase in Price of Bicycle Tyres

*481. **Shri Atal Bihari Vajpayee :** Will the Minister of **Industrial Development** be pleased to state :

(a) whether Dunlop India has increased the price of bicycle tyres from Rs. 5.85 to Rs. 6.50 per piece recently ; and

(b) if so, whether the Company sought the permission of Government before this price increase ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheswar Prasad) (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir. It is not so required.

Shri Atal Bihari Vajpayee : Was the increasing in price not necessary or to seek permission was not necessary ?

Shri Siddeshwar Prasad : To seek permission. You asked about permission.

Shri Atal Bihari Vajpayee : Is it true that at the time Government reduced the price of rayon fibre and fabrix by Rs. 2 per Kilogram it was stated that any increase in price by the tyre-manufacturers will not be permitted ? Whether it is also true that on account of increasing the prices by Dunlop Company, the prices of tyres have gone up by 11 percent and as a result of which the price of the Bicycle used by a common man has gone up by Rs. 1.30 P. ?

Shri Siddheswar Prasad : Hon. member asked about the cycle tyres but now he is talking of rayon fibre, which is not used in the manufacture of tyres...

Shri Atal Bihari Vajpayee : I am sorry the hon. minister does not have this information. 40 percent of raw goods in manufacturing tyres is rayon tyre yarn cord and fabrics. I collected this information from specialists. I believe that Hon. Minister is not a specialist and neither I am. But let him make the inquiry about this fact.

Hon. Minister has said that it is necessary to take permission from the Government. Does it mean that manufacturers of finished goods are increasing their prices ? Whether there is no such procedure under which the manufacturers should decide the price after adding reasonable profits and whether Government is thinking of entrusting the matter of prices of tyres to a Board which could give a correct decision ?

Shri Siddheshwar Prasad : The tyres and cycle tyres are two different things. Cotton fibre is used in manufacturing cycle tyres while rayon fibre is used in manufacturing motor and tractor tyres. That is why I clarified this in the very beginning.

So far as the second part of the question is concerned, it is a good suggestion and Government will consider it.

Shri Nathuram Ahirwar : On one side Government say that it will decide the prices of tyres in consultation with manufacturers but while deciding the price of grain they do not consult farmers. They should also consult them.

Mr. Speaker : His suggestion will also be accepted.

श्री जी० विश्वनाथन : टायरों के मूल्य बढ़ने और बाजार में उनके अत्यधिक ऊँचे मूल्य पर बेचे जाने तथा टायरों के वितरण में चोर बाजारी को ध्यान में रखते हुए, मैं यह जानना चाहता हूं कि उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर टायर मिलें, इसके लिए सरकार ने क्या कार्रवाई की है ?

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : आवश्यक पदार्थ अधिनियम के अन्तर्गत हमने आदेश जारी कर दिए हैं। और हमने राज्य सरकारों को इस सम्बन्ध में आवश्यक आदेश जारी कर दिए हैं।

पौंग बांध के फलस्वरूप विस्थापित होने वाले व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए भूमि

*483. **श्री विक्रम चन्द महाजन :** क्या सिंचाई मन्त्री और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पौंग बांध के फलस्वरूप विस्थापित होने वाले व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु जून,

1971 तक अपेक्षित 1.25 लाख एकड़ भूमि और बांध के पूरा हो जाने के समय अपेक्षित 3 लाख एकड़ भूमि की तुलना में राजस्थान में केवल 90,000 एकड़ भूमि उपलब्ध है ;

(ख) यदि नहीं, तो इस समय कितनी भूमि उपलब्ध है और भूमि कहाँ पर स्थित है ; और

(ग) पौंग बाँध के पूरा हो जाने के समय कितनी भूमि उपलब्ध होगी और वह भूमि राजस्थान के किन क्षेत्रों में होगी ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (ग) : पौंग बांध (जलाशय) क्षेत्र से विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए राजस्थान नहर क्षेत्र में कुल 2.25 लाख एकड़ क्षेत्र जमीन उपलब्ध की जानी है । विस्थापितों के नाम इस वर्ष देने के लिए 1.12 लाख एकड़ जमीन पहले से ही उपलब्ध है। 1973-74 तक प्रथम चरण के पूरा हो जाने पर लगभग 90,000 एकड़ जमीन और उपलब्ध हो जाएगी और शेष जमीन राजस्थान नहर परियोजना के दूसरे चरण में उपलब्ध हो जाएगी ।

श्री विक्रम चन्द महाजन : गत वर्ष संसद सदस्यों का एक दल राजस्थान गया था और उसने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि केवल 95,000 एकड़ भूमि उपलब्ध हैं उससे अधिक नहीं । वास्तविकता यह है कि खाता संख्या राजस्थान सरकार ने मुहैया की थीं और उसमें यह साफ साफ बताया गया था 95,000 एकड़ भूमि उपलब्ध हैं तथा केन्द्रीय मन्त्री महोदय ने शेष भूमि जेतसर फार्म से, जिसके पास 30,000 एकड़ भूमि है, दिलाने का वायदा किया था । मैं यह जानना चाहता हूं कि शेष भूमि राजस्थान सरकार ने कहाँ से उपलब्ध की ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (डा० के० एल० राव) : हमने कृषि मन्त्रालय से बात की है और उसने कृपा कर कुछ भूमि जेतसर फार्म से आवंटित कर दी है तथा हमें भूमि लेनी है । नहर द्वारा सिंचित भाग में भी हमें 1.12 लाख एकड़ भूमि मिली है ।

श्री विक्रम चन्द महाजन : बांध का द्वितीय चरण 1973 तक पूरा हो जायेगा जबकि शेष 90,000 एकड़ भूमि और 75,000 अतिरिक्त भूमि राजस्थान नहर के पूरा होने पर उपलब्ध होगी और अभी 60 मील नहर और पूरी करनी शेष है । पिछले अनुभवों से पता चलता है कि इस भाग के बनने में दस साल लगेंगे जबकि बांध दो साल में पूरा हो जायेगा । मैं यह जानना चाहता हूं कि निष्काषित लोगों को बिना भूमि और पानी के कैसे बसाया जायेगा ?

डा० के० एल० राव : जिस भूमि को अभी प्राप्त करना है वह बहुत ही कम है क्योंकि 1.12 लाख एकड़ तो उपलब्ध है तथा 90,000 एकड़ 1973-74 तक प्रथम चरण के पूरा होने पर उपलब्ध हो जायेगी । शेष भूमि के लिए जो केवल 23,000 एकड़ है, हमने योजना आयोग से प्रार्थना की है कि वह हमें द्वितीय चरण के लिए कुछ अतिरिक्त धन दे और द्वितीय चरण के प्रथम भाग में हमारा विचार कुछ भूमि आवंटित करने का है ।

औद्योगिक लाइसेंसों हेतु उड़ीसा से प्राप्त विचाराधीन आवेदन पत्र

*484. **श्री पी० के० देव** : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार को औद्योगिक लाइसेंसों हेतु भेजे गए आवेदन पत्रों में से कितने विचाराधीन हैं ;

(ख) किन उद्योगों हेतु लाइसेंसों की मांग की गई है और उनमें से प्रत्येक में कितनी पूंजी है ; और

(ग) लाइसेंस देने में देरी के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) : विगत तीन वर्षों अर्थात 1968, 1969 तथा 1970 में उड़ीसा से औद्योगिक लाइसेंस के लिये कुल 59 आवेदन पत्र प्राप्त हुये थे । इस आवेदनों में से 6 मामलों में लाइसेंस दे दिये गये हैं तथा 12 मामलों में आशयपत्र जारी किये गये हैं । 17 आवेदन पत्र रद्द कर दिये गये हैं और 8 का निपटान कर दिया गया है । शेष 16 आवेदन पत्र विचाराधीन हैं । ये सभी आवेदन पत्र 1970 के हैं । इसके अलावा चालू वर्ष में (30 अप्रैल) तक प्राप्त 5 आवेदन पत्र भी विचाराधीन हैं । आवेदनों का विस्तृत ब्यौरा जिनपर अभी निर्णय किया जाना है, सामान्य रुप से बताया नहीं जाता है ।

(ग) औद्योगिक लाइसेंस के आवेदनों पर विचार करते समय प्रस्तावों के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत रुप से विचार करना पड़ता है । और कई कारणों से किसी विशिष्ट आवेदनों के निपटान पर देर भी लग जाया करती है । कुछ मामलों में, आवेदनों में सभी आवश्यक बातें नहीं दी होती हैं और अतिरिक्त जानकारी मंगानी पड़ती है । अन्य बहुत से मामलों में, समूचे उद्योग पर नीति संबंधी निर्णय करना होता है । फिर भी, अनिर्णीत आवेदनों का यथा शीघ्र निपटान करने के लिए निरंतर, प्रयास किये जा रहे हैं ।

श्री पी० के० देव : विवरण बड़ा ही अपूर्ण और गुमराह करने वाला है । मुख्य प्रश्न के भाग (ख) में पूछे गये इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया गया है कि कौन से उद्योगों को लाईसेंस देने की मांग की गई थी तथा उनमें कितनी पूंजी लगी है । आशा है कि अनुपूरक प्रश्न में इसका पूरा पूरा उत्तर मिल जायेगा । हालांकि हम रातदिन समाजवाद की शपथ ले रहे हैं पर क्या यह सत्य नहीं है कि उड़ीसा औद्योगिक विकास निगम ने स्पोन्ज लोहे और पोलिस्टर रेशे के संयन्त्र के लिए लाइसेंस की मांग की थी, पर लाइसेंस चुनाव के कुछ पहले निजी लोगों का दिए गए ?

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : सदस्य ने एक विशेष कारखाने के सम्बन्ध में प्रश्न किया है, जिसकी मुझे जानकारी नहीं है । मुझे इसके लिए कुछ समय चाहिए ।

श्री पी० के० देव : क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस सिद्धान्त को आधार मानकर कि सरकार राजनीतिक आधार पर और राज्यों द्वारा केन्द्र पर पड़ने वाले दबाव के आधार पर उद्योगों का आवंटन करती है राजा मन्नार समिति ने यह सिफारिश की है कि :

> "सभी महत्वपूर्ण उद्योग संसद के अधिकार में हैं तथा इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों को कोई अधिकार नहीं हैं"

और उन्होंने यह सिफारिश की थी कि संघ सूची में प्रविष्टि सख्या 52 में उचित संशोधन किया जाये जिससे राज्य सरकारों को और अधिकार.........

अध्यक्ष महोदय : कृपया सीधा प्रश्न करें ?

श्री पी० के० देव : सरकार पूरा विवरण नहीं देगी । यदि मैं किसी विशेष उद्योग के बारे में पूछता हूं तो सरकार के पास कोई उत्तर नहीं है । यदि मैं नीति सम्बन्धी प्रश्न पूछता हूं तो आप कहते हैं वह मैं पूछ नहीं सकता.........

अध्यक्ष महोदय : आप सीधा प्रश्न करें ।

श्री पी० के० देव : क्या लाइसेंस पद्धति को विकेन्द्रीकरण करने का यह उचित समय नहीं है ।

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : इस पर विचार किया जा रहा है।

Shri N. K. Sinha : Whether Government have fixed any time limit for the disposal of industrial licences ?

अध्यक्ष महोदय : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

श्री नवल किशोर सिंह : विवरण में समय निश्चित करने का कोई जिक्र नहीं है।

Shri Siddheswar Prasad : Generally industrial license is issued within three months, but in some cases full information is not furnished and this delays the disposal. In certain cases a number of parties are involved and it takes a lot of time in scrutinising the proposals.

रेल के टिकटों के सम्बन्ध में घोटाला

*487 **श्री बी० के० दास चौधरी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में उत्तर रेलवे में रेल की टिकटों के सम्बन्ध में एक घोटाले का पता लगा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है ; और

(ग) सरकार का इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए सवाल नहीं उठता।

(ग) सभी स्तरों पर जांच करने की व्यवस्था है और टिकटों से सम्बन्धित अनाचारों से निबटने के लिए सभी संभव निवारक उपाय किये जाते हैं।

मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि प्रश्न के भाग (क) के उत्तर का यह अर्थ नहीं है कि कोई घोटाला है ही नहीं। यह उस विशेष प्रश्न का उत्तर है कि अभी हाल में क्या किसी घोटाले का पता लगाया गया है।

माननीय सदस्य इस बात को जानते हैं कि मैं किसी बात पर पर्दा नहीं डालता क्योंकि प्रशासन आपका भी उतना ही है जितना मेरा है। धांधली चल रही है और यथासम्भव प्रयत्न किये जा रहे हैं। वास्तव में, मैं भी निरीक्षण पर जाता रहता हूं और टिकट रहित यात्रा से सम्बन्धित एक गैर-सरकारी संस्था भी है। सदन को यह बताते हुए मुझे खुशी है कि केवल दो दिन पहले एक शादी की बरात के दुल्हन तथा दुल्हा सहित सारे 75 लोग किउल-गया पैसेन्जर ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करने के लिये हवालात में डाल दिये गये। ये जमुआवन रेलवे स्टेशन के नजदीक मजिस्ट्रेट की अचानक जांच द्वारा पकड़े गये। उनकी संक्षिप्त सुनवाई की गई तथा 75000 रु० जुर्माना किया गया जिसे न देने पर वे जेल भेज दिये गये। बरात पेकार्ड गांव, मुरसाई थाना, जिला पटना से आई थी।

अतः टिकट रहित यात्रा प्रशासन का एक पहलू बन गया है। मैं भी टिकट रहित यात्रा को रोकने के लिये कदम उठाना चाहता हूं।

श्री बी० के० दासचौधरी : मुझे खुशी है कि मंत्री महोदय को मेरे प्रश्न द्वारा स्पष्ट उत्तर देने में सहायता मिली है फिर भी मंत्री महोदय ने दो बातों के सम्बन्ध में उलझन पैदा की है। मेरा विशिष्ट प्रश्न यह है कि रेलवे प्रशासन ने किसी रेल टिकट घोटाले का पता लगाया है।

19 मई के इंडियन एक्सप्रेस में उत्तर रेलवे के एक अधिकारी श्री कोहली जो डिविजनल सुप्रिन्टेन्डेन्ट हैं का वक्तव्य प्रकाशित हुआ था। उन्होंने स्वीकार किया कि घोटाला सर्वव्यापक है और रेलवे अधिकारियों के लिये इसे रोकना कठिन है। अतः मेरा प्रश्न यह है कि क्या सतर्कता विभाग को इस घोटाले की छानबीन करने के लिये कहा गया है और क्या सतर्कता विभाग इसमें असफल रहा है। दूसरा प्रश्न यह है कि क्या यह घोटाला कुछ रेल कर्मचारियों तथा अनधिकत एजेन्टों के आपसी सहयोग के कारण चल रहा है।

श्री हनुमंतैया : श्री कोहली के वक्तव्य सम्बन्धी सूचना मेरे पास है। मैं मानता हूं कि सतर्कता विभाग को कार्य कुशलता के साथ काम करना चाहिये। मैं सदन को सूचित करना चाहूंगा कि मैं आज इस प्रश्न से सम्बद्ध अधिकारियों से मिला और मैंने इन घोटालों का पता लगाने सम्बन्धी उपायों में परिवर्तन करने तथा इन्हें सुधारने के लिये सुझाव दिये। मैं इसकी पैरवी करूंगा।

श्री बी० के० दास चौधरी : मंत्री महोदय ने सतर्कता विभाग सम्बन्धी मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। उन्होंने केवल थोड़ा सा संकेत इस ओर किया है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने देखा है कि आप सीधा प्रश्न नहीं पूछते। आप भूमिका बांधते हैं। कृपा करके नियमानुसार सीधे प्रश्न पूछा करें।

श्री बी० के० दास चौधरी : मेरा सीधा प्रश्न यह है कि क्या रेल कर्मचारियों तथा कुछ अनधिकृत यात्रा एजेन्टों के आपसी सहयोग से यह टिकट रहित यात्रा का घोटाला चल रहा है।

श्री हनुमंतैया : जी हां।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न के उत्तर देने का यह सर्वोत्तम तरीका है—जी हां; अथवा जी, नहीं।

श्री हनुमन्तैया : माननीय सदस्य यह जानना चाहते थे कि क्या कुछ अनधिकृत यात्रा ऐजेन्ट तथा कुछ रेल कर्मचारी इस घोटाले से जुड़े हैं और इसका मैंने सीधा उत्तर दिया। ये लोग इससे जुड़े हैं और हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। यही मुश्किल है (व्यवधान)

Shri N. N. Pandey : May I know the steps taken to put an end to the racket and when he first got information about it ?

श्री हनुमन्तैया : जहां तक कदम उठाने का प्रश्न है, हमने इसके बारे में कई कदम उठाये हैं और आप चाहें तो मैं पढ़कर भी सुना सकता हूं जो 2 पृष्ठ के लगभग हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप इसे सभा पटल पर रख सकते हैं।

श्री हनुमंतैया : बात यह है कि हम लगातार कार्यवाही कर रहे हैं। हमें पैरबी करते रहना पड़ता है। इन बातों का कोई आखरी हल नहीं है।

हावड़ा-अमता सेक्शन का बड़ी लाइन में बदला जाना

*490. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बारे में कोई अभ्यावेदन दिया गया है कि हावड़ा-अमता सेक्शन को, जिसको हाल ही में बन्द कर दिया गया था, यदि बड़ी लाइन में परिवर्तित कर दिया जाये और इसका विस्तार किया जाये तो इससे हावड़ा और खड़गपुर के बीच एक वैकल्पिक मार्ग बन जायेगा, जिसे दक्षिण पूर्व रेलवे जोन की गाड़ियों के निर्धारित समय पर चलने के लिये अत्यावश्यक समझा जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो अभ्यावेदन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमंतैया) : (क) जी हां ।

(ख) हवड़ा-अमता लाइट रेलवे के मार्ग का अधिकांश भाग जिला बोर्ड रोड्स पर है। यदि बड़ी लाइन का निर्माण करना है तो इसके लिए अलग से मार्ग निर्धारण आवश्यक होगा। वर्तमान रेल सुविधाओं को देखते हुए हवड़ा और खड़गपुर के बीच वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था आवश्यक नहीं समझी जाती।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या यह सच नहीं कि रेलवे के लोगों की ऐसी राय थी कि हावड़ा और खड़गपुर के बीच का मार्ग अधिक व्यस्त रहता है और, यदि हां, तो रेलवे इस राय के बारे में क्या कार्यवाही करने पर विचार कर रहा है ।

श्री हनुमंतैया : मैंने पहले उत्तर दे दिया है कि रेलवे प्रशासन की ऐसी कोई राय नहीं थी। उन्होंने मुझे सूचना दी है कि खड़गपुर और हावड़ा के बीच दो तथा तीन लाईनों के मार्ग हैं और इन मार्गों पर सारा यातायात चल सकता है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मुझे खेद है कि मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि मुझे किसी सक्षम व्यक्ति ने बताया है कि ये मार्ग पर्याप्त नहीं हैं। फिर भी मैं अब इस झगड़े में नहीं पड़ना चाहता। क्या आप हमें बतायेंगे कि उस क्षेत्र की घनी आबादी तथा उद्योगों को प्रोत्साहित करने सम्बन्धी बातों को ध्यान में रखते हुए इस लाईट रेलवे को बड़ी लाईन में परिवर्तित करने से रेलवे को नया काम मिलेगा तथा उत्पादन बढ़ेगा ?

श्री हनुमंतैया : माननीय सदस्य का स्थिति का मूल्यांकन ठीक हो सकता है लेकिन वास्तविकता यह है कि नई लाईन खोलने के लिये हमारे पास पैसा नहीं है और यदि इस योजना को क्रियान्वित किया जाये तो 8 से 9 करोड़ रु० तक व्यय होगा और योजना-व्यय के अधीन इसके लिये राशि की कोई व्यवस्था नहीं है । वास्तव में माननीय सदस्य जानते हैं कि हम 250 करोड़ रु० की कटौती को बहाल करना चाहते हैं और यदि ऐसा हो गया तो हम इस बारे में कुछ सोच सकते हैं ।

श्री ए० पी० शर्मा : मंत्री महोदय ने छोटी लाईनों को बड़ी लाईनों में परिवर्तित करने सम्बन्धी कठिनाइयों का उल्लेख किया है । लेकिन क्या यह कठिनाई केवल हावड़ा-आमता लाईट रेलवे के बारे में ही है या शहादरा-सहारनपुर लाईन सरीखी अन्य लाईट रेलवे के बारे में है क्योंकि उस बारे में यह बिल्कुल नीति सम्बन्धी एक बड़ा निर्णय होगा । हम चाहते हैं कि जो जो ऐसी लाईनें बन्द होती हैं, उन्हें बड़ी लाईनों में परिवर्तित किया जाये क्योंकि शायद···

अध्यक्ष महोदय : मैं आपके प्रश्न रखने के इस ढंग की प्रशंसा करता हूं (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : उत्तर क्या है ?

श्री हनुमंतैया : मैं माननीय सदस्य के उस सुझाव को मानता हूं जो देश की अनेक लाईनों पर लागू होता है । केवल राशि के उपलब्ध होने तथा प्राथमिकता का ही प्रश्न है ।

Shri Ishwar Chaudhary : May I know whether road traffic has been dislocated due to breaking of Sherghati bridge in Dist Gaya of Bihar state, on the Delhi-Howrah grand trunk road of national importance. Since it has resulted in heavy rush on the railway statious and the passengers are facing great hardships ? In view of this, are you going to extend up and down trains from Mughalsarai to Dhanbad ?

श्री हनुमंतैया : यह एक नया प्रश्न है ।

Shri Ishwar Chaudhry : The Hon. Minister might not have understood my question which I repeat. May I know whether Road traffic has been dislocated due to the breaking of Sherghati bridge in Distt. Gaya of Bihar State on the Delhi-Howrah grand trunk road of national importance which has resulted in heavy rush in trains and the passengers are facing great hardships due to shortage of trains ? In view of this, will the Hon. Minister introduce up and down trains between Mughalsarai and Dhanbad for the benefit of the passengers ?

Mr. Speaker : This question is confined to Howrah—Amta Section.

न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलग किया जाना

*491. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **विधि तथा न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) उन राज्यों की संख्या कितनी हैं जिन्होंने ऐसा नहीं किया है और इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी): (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) नागालैण्ड सरकार ने विशेष परिस्थिति के कारण जो उस राज्य में विद्यमान है पृथक्करण को प्रभावशील करने में अपनी असमर्थता प्रकट की है। दण्ड प्रक्रिया संहिता नागालैण्ड में प्रवृत्त नहीं है वरन् उस राज्य में अपराधियों का विचारण अनुसूचित जिला अधिनियम, 1874 की धारा 6 के अधीन बनाए गए कुछ नियमों के अनुसार किया जाता है। जघन्य अपराधों को छोड़कर, सब आपराधिक मामलों का निपटारा स्थानीय रूढ़िजन्य विधियों के अनुसार किया जाता है। ऐसी परिस्थितियों में राज्य सरकार न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना आवश्यक नहीं समझती है।

'न्याय-प्रशासन' का विषय राज्य के क्षेत्र में आता है। नागालैण्ड में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए कारवाई करना प्रथमत: राज्य सरकार की जिम्मेदारी है।

केन्द्रीय सरकार ने, एक नई दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधिनियमन के लिए, जिसके अधीन न्यायपालिका का पृथक्करण अखिल भारतीय आधार पर किया जाएगा, संसद में एक विधेयक पुर:स्थापित किया है। वह विधेयक अब संसद की संयुक्त समिति के सामने है।

विवरण

न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण गुजरात, हरियाणा, जम्मू और काश्मीर (पूंछ सेशन डिवीजन को छोड़कर) महाराष्ट्र, मैसूर, पंजाब और पश्चिमी बंगाल में कानून द्वारा, और केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तमिल नाडु, बिहार, आन्ध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश के पर्याप्त क्षेत्रों में और आसाम और राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में कार्यपालन आदेश द्वारा कर दिया गया है। पंजाब न्यायपालन और कार्यपालन कृत्य पृथक्करण अधिनियम, 1964 हिमाचल प्रदेश राज्य के उस भाग में प्रवृत्त है जो 1-11-1956 के पहले पंजाब का भाग था।

2—संघ राज्य क्षेत्रों में, कानूनी पृथक्करण चण्डीगढ़ में विद्यमान है जहां पंजाब न्याय-

पालन और कार्यपालन कृत्य पृथक्करण अधिनियम, 1964 प्रवृत्त है। संघ राज्य क्षेत्र (न्याय पालन और कार्यपालन कृत्य पृथक्करण) अधिनियम 1969 में अधिनियमित किया गया था। यह दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के सब क्षेत्रों में 2 अक्तूबर, 1969 से और लक्कादीव, मिनिकोय और अमीनदीवी द्वीपसमूह संघ राज्य क्षेत्र के सब क्षेत्रों में 1 मार्च, 1970 से प्रवृत्त हुआ। गोवा, दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्र के सम्बन्ध में, 1 जुलाई, 1971 उस तारीख के रूप में नियत की गई है, जिस को उक्त अधिनियम उस संघ राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त होगा। अन्य संघ राज्य क्षेत्रों में, यह अधिनियम अभी प्रवृत्त होने को हैं।

श्री एस० एम० बनर्जी : विवरण से प्रतीत होता है कि गुजरात, जम्मू और कश्मीर (पूंछ सेशन डिवीजन को छोड़कर) आदि आदि और "आन्ध्र प्रदेश के पर्याप्त क्षेत्रों में" न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथक कर दी गयी है। "पर्याप्त क्षेत्रों में" की सही परिभाषा क्या है? इसका पृथकीकरण सारे राज्य में क्यों नहीं किया गया? जम्मू और कश्मीर में भी पूंछ सेशन डिवीजन को क्यों छोड़ दिया गया है?

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : जैसे कि मैंने कहा न्याय प्रशासन का विषय राज्य के क्षेत्र में आता है। न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना उनका काम है। संविधान की धारा 50 के अधीन केन्द्र केवल परामर्श ही दे सकता है और हम यह कर ही रहे हैं। कहां इसे पृथक किया जाना चाहिये और कहाँ नहीं, यह निर्णय करना राज्य सरकार का काम है। जैसे कि मैंने कहा, हम दंड प्रक्रिया संहिता का संशोधन कर रहे हैं ताकि अखिल भारतीय आधार पर न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक किया जा सके।

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या मैं जान सकता हूं कि दंड प्रक्रिया संहिता के संशोधन हेतु क्या राज्य सरकारों के विचार मांगे गये हैं और यदि हाँ तो क्या उनके विचारों में समानता है या विचारों में मतभेद है, और यदि मतभेद है, तो किन-किन राज्यों के विचारों में है?

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : विधेयक प्रवर समिति के विचाराधीन है और उठाये गये इन सब प्रश्नों पर विचार किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : ये पूछ रहे हैं कि इस बारे में क्या राज्य सरकारों के विचार माँगे गये थे।

श्री नीति राज सिंह : उस प्रश्न के लिये मुझे सूचना चाहिये।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि उनका ध्यान विधि-क्षेत्र में ख्याति प्राप्त उन व्यक्तियों के विचारों की ओर दिलाया गया है जिन्होंने कहा है कि उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की, अवकाश प्राप्ति के समय या उसके बाद विभिन्न आयोगों में नियुक्ति का न्यायपालिका की सत्यता तथा स्वतन्त्रता पर बुरा पड़ता है क्यों ये कार्यपालिका के नियंत्रण में रखे जाते हैं?

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है कि यह इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी : हां, सम्बन्धित है क्योंकि…

अध्यक्ष महोदय : न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना विशिष्ट प्रश्न है। आप इस प्रश्न की पृथक सूचना दे सकते हैं।

श्री आर० वी० बड़े : वक्तव्य में कहा गया है कि मध्य प्रदेश में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक कर दिया गया है। लेकिन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107, 117 सी तथा

145 के अभियोगों की सुनवाई न्याय अधिकारियों के स्थान पर राजस्व अधिकारी करते हैं । आप कैसे कह सकते हैं कि इनका पृथकीकरण हो गया है ।

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : धारा 107 तथा 110 के अधीन कानून तथा व्यवस्था सम्बन्धी अभियोग आते हैं। उनकी सुनवाई राजस्व अधिकारी करते हैं जो साथ साथ मजिस्ट्रेट भी होते हैं। मध्य प्रदेश में हर मामले में पूरा पृथकीकरण है।

श्री बी० आर० शुक्ल : उत्तर प्रदेश में न्यायपालिका, कार्यपालिका से बिल्कुल पृथक होती थी जिसके फलस्वरूप कार्यपालिका के मजिस्ट्रेट दंड संहिता प्रक्रिया के अधीन अभियोग का निर्णय नहीं करते थे। इस नीति को चौधरी चरणसिंह के नेतृत्व वाली सरकार ने उलट दिया जिसके फलस्वरूप.........

अध्यक्ष महोदय : भाषण नहीं। आप प्रश्न पर आयें।

श्री बी० आर० शुक्ल : मैं जान सकता हूं क्या उत्तर प्रदेश में कार्यपालिका मजिस्ट्रेट दंड संहिता प्रकिया के अधीन अभियोगों का निर्णय कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने सम्बन्धी है।

श्री बी० आर० शुक्ल : क्या मैं जान सकता हूं कि दंड संहिता प्रक्रिया सम्बन्धी अभियोगों की सुनवाई के लिये उत्तर प्रदेश में न्यायपालिका, कार्यपालिका से पृथक है ? मेरे विचार में मेरा प्रश्न बिलकुल विशिष्ट है।

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : विवरण में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में कार्यकारी आदेश आदेश द्वारा न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथक है।

Shri Sat Pal Kapoor : May I know whether Central Government will issue instructions about time limit for separating judiciary from the executive to the State Governments who have not done so so far ?

Shri Nitiraj Singh Chaudhary : Under Article 50 we have powers to give advice not instructions. We are giving advice and trying to have seperation of judiciary from the executive.

श्री बी० के० दासचौधरी : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि आर्थिक कठिनाईयों के कारण पश्चिम बंगाल में अभी तक न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथक नहीं की गयी और क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्र से संविधान के अनुसार इस पृथकीकरण पद्धति को पूरा करने के लिये आर्थिक सहायता की मांग की है ?

श्री नीति राज सिंह चौधरी : मैं इस बात को जानता हूं कि पश्चिम बंगाल में न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथकीकरण का काम अभी पूरा नहीं है लेकिन इसके कारणों की मुझे कोई जानकारी नहीं है। मन्त्रालय को इसकी कोई भी जानकारी नहीं है।

विदेशों में भारतीय सहयोग से छोटे उद्योगों का विकास

*492. **श्री सी० जनार्दनन :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई देशों ने अपने यहाँ छोटे उद्योगों का विकास करने के लिए भारत से सहायता का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं; और

(ग) क्या घाना ने सहायता और सहयोग के लिए अनुरोध किया है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां ।

(ख) ऐसे देश जिन्होंने जिसमें हल्के इंजीनियरी उद्योग सहित लघु उद्योगों को स्थापित करने के लिए भारतीय सहायता की माँग की है वे ये हैं; मलयेशिया, ईरान, अफगानिस्तान, कीनिया, मारिशस, लीबिया, फिजी, नैपाल, भूटान, जाम्बिया, पश्चिमी नाइजीरिया, ट्रिनीडाड, सूरिनाम, लोबोगो, मिश्र, घाना आदि ।

(ग) घाना ने लघु उद्योगों के विकास के लिए औद्योगिक बस्ती तथा वर्कशाप स्थापित की मांग की थी । 4.02 लाख रुपयें के मूल्य की मशीनें थाना भेजी जा रही है तथा लघु उद्योग बिकास संगठन का एकाधिकारी इसे स्थापित करने तथा चालू करने के लिए शीघ्र घाना जायेगा ।

श्री सी० जनार्दनन : विभिन्न देशों को किस प्रकार की सहायता दी जाती है ? क्या यह तकनिकी जानकारी तथा मशीनरी तक ही सीमित है या हम वहां कोई उद्योग स्थापित कर रहे हैं ?

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : यह हर देश के मामले में भिन्न भिन्न है । कुछ देशों को हम केवल तकनीकी जानकारी प्रदान कर रहे हैं जबकि कुछ देशों को हम उद्योग स्थापित करने में सहायता प्रदान करते हैं । कुछ देशों को हमने दोनों प्रकार की सहायता प्रदान की है ।

श्री सी० जनार्दनन : किन किन ऐजेन्सियों द्वारा सहायता दी जा रही है—सरकारी क्षेत्र के उद्योग या गैर सरकारी क्षेत्र के उद्योग ? यदि गैर सरकारी क्षेत्र की ऐजेन्सियां दे रही हैं तो क्या एकाधिकार आयोग की रिपोर्ट में उल्लेखित 75 एकाधिकार व्यापार गृहों में से कोई इसमें शामिल है ?

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : कुछ एकाधिकार व्यापार गृह भी इसमें शामिल हैं लेकिन यह कुटीर उद्योग विकास संस्था है जो उन्हें तकनीकी जानकारी तथा कुटीर उद्योग स्थापित करने के लिये जानकारी प्रदान करता है ।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : एकाधिकार गृहों द्वारा अन्य देशों में उद्योग स्थापित करने के लिए सरकार को क्या आपत्ति है ?

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : मैंने इसका उत्तर अभी दिया है ।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : हमें उन्हें पूरी स्वतन्त्रता क्यों नही देनी चाहिये ?

अध्यक्ष महोदय : इनके उत्तर में इसका कोई उल्लेख नहीं था जिससे आप प्रश्न करने के लिए प्रेरित होते ।

श्री इन्द्रजीत मलहोत्रा : एक एकाधिकार गृह अर्थात बिड़ला ग्रुप ने इथोपिया तथा अफ्रीका के अन्य देशों में कारखाने स्थापित किये हैं । इन देशों में बिड़ला ग्रुप द्वारा स्थापित कारखानों के सम्बन्ध में क्या कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न से बहुत बाहर है ।

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : बिड़ला ग्रुप ने कुछ देशों में कुछ कारखाने स्थापित किये हैं लेकिन इसका व्यौरा मेरे पास नहीं है ।

डा० रानेन सेन : क्या मन्त्री महोदय सरकारी क्षेत्र की ऐजेन्सियों तथा बड़े बड़े भारतीय व्यापारियों द्वारा अफ्रीका के ऐसे देशों को दी गयी सहायता की मात्रा सम्बन्धी मोटे आंकड़े दे सकते हैं ?

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : मेरे पास अभी आंकड़े नहीं है।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विदेशों में कितनी हमारी कितनी गैर-सरकारी पूंजी लगी हुई है ?

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : अभी मेरे पास कुल आंकड़े नहीं हैं। कुछ देशों में गैरसरकारी वर्ग ने उद्योग स्थापित किये हैं। कितनी राशि लगायी गयी, इसके मेरे पास अभी आंकड़े नहीं हैं।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : यदि इनके पास आंकड़े नहीं तो हमारे प्रश्न पूछने का क्या लाभ है ?

श्री प्रबोध चन्द्र : क्या मन्त्री महोदय बता सकेंगे कि इन बड़े व्यापार गृहों ने भारत से बाहर कारखाने स्थापित करके जो विदेशी मुद्रा कमायी है ; क्या उसे वापिस देश को लाया है ?

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : ये आंकड़े वित्त मन्त्रालय के पास हैं।

हिन्दी भाषा-भाषी क्षेत्रों में रेलवे स्टेशनों पर हिन्दी में घोषणाएं

*495. **श्री समर गुह :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दी भाषा-भाषी राज्यों में रेलवे स्टेशनों पर केवल हिन्दी में घोषणाएं की जाती हैं ; और

(ख) क्या सरकार का इस विषय में निदेश जारी करने का विचार है कि हिन्दी भाषा-भाषी क्षेत्रों में हिन्दी में घोषणा करने के पश्चात अंग्रेजी में घोषणा की जानी चाहिए ?

रेल मन्त्री श्री हनुमन्तैया : (क) जी नहीं।

(ख) वर्तमान परिपाटी के अनुसार, हिन्दी-भाषी क्षेत्रों में घोषणाएं हिन्दी और अंग्रेजी में की जाती हैं।

श्री समर गुह : मन्त्री महोदय "नहीं" कहते है। मैं उनके "नहीं" पर विश्वास करूं या अपने कानों पर ? हावड़ा से दिल्ली आते समय मैंने इन से कई स्थानों पर सुना। यह गलती हो सकती है लेकिन यह कई स्थानों पर की जा रही है। मुझे सन्तोष होगा यदि सरकार यह कहे कि यह व्यक्ति विशेष की गलती हो सकती है लेकिन यह नहीं होना चाहिए और हर स्थान पर अंग्रेजी, हिन्दी तथा क्षेत्रीय भाषाओं में घोषणा होनी चाहिए। यदि ऐसा स्पष्टीकरण हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं।

श्री हनुमन्तैया : रेलवे प्रशासन की स्थिति मैंने बता दी है। यदि किसी स्थान पर रेलवे प्रशासन के आदेशों का पालन नहीं होता, जैसा कि मेरे माननीय मित्र ने कहा है तो वे इसे मेरी सूचना में लाएं और मैं इसे ठीक कर लूंगा।

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा : कितने लोग अंग्रेजी जानते हैं ? अंग्रेजी की घोषणाओं से अधिक लोगों को लाभ नहीं होगा; अतः यह हिन्दी में ही होनी चाहिये। मन्त्री महोदय को इसमें क्या आपत्ति है ? (Interruptions)

How many people know English ? 2,3 or 4 percent ? (Interuptions) I want reply to my question. Will the hon. Minister stop english announcements from the railway stations ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न नहीं, कार्यवाही के लिए एक सुझाव है।

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा : मैं जानना चाहती हूं कि क्या रेलवे स्टेशनों से अंग्रेजी की घोषणाएं हटायी जा रही हैं ?

श्री हनुमंतैया : रेलवे प्रशासन इस मामले में अपनी नीति नहीं अपना सकता। जैसा भी सदन निर्णय करे, हम उसी का पालन करेंगे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सदन ने यह निर्णय किया था कि कुछ समय के लिए द्विभाषा प्रणाली अपनायी जानी चाहिए। गैर हिन्दी भाषा-भाषी क्षेत्रों में इस बारे में क्या हो रहा है, क्या मैं जान सकता हूं ?

श्री हनुमन्तैया : निदेश स्पष्ट हैं और वास्तव में, जैसे कि माननीय मन्त्री जानते हैं, दक्षिण में, नाम हिन्दी में लिखे जाते हैं (व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : तामिलनाडु में नहीं।

श्री हनुमन्तैया : जो भी आदेश हों, उन्हें भारत भर में कार्यान्वित करना पड़ता है।

रोहतक से भिवानी (उत्तर रेलवे) तक बड़ी रेलवे लाइन

*501. **श्री मनीराम गोदरा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिसार जिले में भिवानी के नागरिकों से इस आशय का कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि रोहतक से भिवानी तक बड़ी रेलवे लाइन होनी चाहिए ; और

(ख) यदि हाँ, तो लोगों की मांग पूरा करने के लिए रेलवे प्रशासन ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी हां।

(ख) अभ्यावेदन पर यथोचित विचार किया गया था, लेकिन यह देखा गया कि प्रस्तावित रेल सम्पर्क को आर्थिक दृष्टि से सक्षम बनाने लायक यातायात पैदा नहीं हो पायेगा। अत: फिलहाल इस रेल सम्पर्क के निर्माण पर विचार नहीं किया जा रहा है।

Shri Mani Ram Godara : The Hon. Minister in his reply stated that it was considered and found that this rail link will not be economically viable. I want to know the criterian followed for arriving at this conc'usion ?

अध्यक्ष महोदय : ये जानना चाहते हैं कि इस नतीजे पर पहुंचने के लिए कौन सा क्राइटीरिया अपनाया गया ?

श्री हनुमन्तैया : यह वित्तीय मापदंड है।

Shri Mani Ram Godara : What factors did you consider to arrive at the decision that this rail link will not be profitable ? Was it traffic or loading ? What type of factors did you consider ?

श्री हनुमन्तैया : आय के लिए लोडिंग तथा इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है।

Shri B. S Bhaura : This type of reply is given whenever letters are written. I want to know the officers included in the survey party. Such is the rep'y we get for all questions. I want to know the agency which conducts investigation ?

श्री हनुमन्तैया : मैं मुश्किल से ही इसका उत्तर दे सकूंगा।

Shri Mani Ram Godara : The Hon. Minister has enumerated various factors on account of which he does not think this link as financially sound. There is a lot of difference due to the increasing industrial and agricultural activities have made a lot of difference now. Keeping in view these circumstances, I want to know whether you are going to have another survey to see that this rail link is suitable or not ?

श्री हनुमन्तैया : मैंने परामर्श रूप में 'बर्तमान' कहा है। भविष्य में इस लाईन के आर्थिक रूप से सक्षम होने की सम्भावना नजर आये तो हम इस पर विचार करेंगे।

Shri Sat Pal Kapoor : The railway line should be opened in the areas from where representations are received. Member of the Parliament of the area should be associated with the Survey party conducting the survey so that he can prove that the proposal is financially viable.

श्री हनुमन्तैया : सर्वे तकनिकी लोग करते हैं। सर्वे कुछ भी हो, यदि सदस्यगण देखना चाहें तो सर्वे रिपोर्ट की प्रति उन्हें उपलब्ध की जा सकती है। इसके बारे में कोई गोपनीयता नहीं रखता।

हल्दिया औद्योगिक समूह का विकास

*503 **डा० रानेन सेन** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में उद्योगों को प्रोत्साहन देने के विचार से सरकार हल्दिया का एक बड़े औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकास करना चाहती है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) : हल्दिया को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए अनेक कदम उठाये जा रहे हैं ; 1972 के अन्त तक एक पेट्रोल रिफाइनरी (परिष्करणशाला) के पूरे हो जाने की आशा है। हल्दिया गोदी (डोक) योजना के मध्य तक चालू हो जाने की आशा है। इसके अतिरिक्त हल्दिया क्षेत्र में उर्वरक और पेट्रो-रसायन कम्पलेक्स और एक शिपयार्ड स्थापित करने के प्रस्ताव भी विचाराधीन हैं। राज्य सरकार हल्दिया को एक बड़े औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए भूमि का अधिग्रहण कर रही है। पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम की औद्योगिक बस्तियां बनाने की भी योजना है।

डा० रानेन सेन : हल्दिया में जो परियोजना प्रारंभ किये जाने का विचार है उसके बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ? **(अन्तर्बाधाएं)** अब तक क्या प्रगति हुई है ?

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : मैंने बताया है कि 1972 के अंत तक पेट्रोलियम शोधन शाला के पूरा हो जाने की आशा है और हल्दिया गोदी योजना के 1972 के मध्य तक चालू हो जाने की आशा है। जब तक अन्य औद्योगिक वस्तियों और परियोजनाओं के लिए अपेक्षित भूमि का अधिग्रहण नहीं कर लिया जाता तब तक उनके संबन्ध में कोई प्रगति नहीं हो सकती।

डा० रानेन सेन : जैसा कि मैंने बताया है पेट्रोलियम शोधन शाला के 1972 के अंत तक पूरा हो जाने की आशा है और हल्दिया गोदी परियोजना के 1972 के मध्य तक चालू हो जाने की आशा है। अन्य औद्योगिक बस्तियों और परियोजनाओं के लिए जब तक भूमि का अधिग्रहण नहीं हो जाता तब तक कोई प्रगति नहीं हो सकती।

डा० रानेन सेन : क्या यह सच है या नहीं कि पश्चिम बंगाल सरकार ने पहिले ही भूमि अधिगृहीत कर ली है और उर्वरक संयंत्र और अन्य सहायक उद्योगों की स्थापना के लिए केन्द्रीय सरकार को सुविधाएं दी जा रही हैं। केन्द्रीय सरकार ही हल्दिया के विकास के प्रति अनुत्सुक है।

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : हमारे सामने भूमि की ही कठिनाई है। जैसा कि जो कुछ अब मान-

नीय सदस्य ने कहा है यदि वह सत्य है तो परियोजना को पूरा करने के लिए अन्य कार्यवाही की जायेगी।

डा० रानेन सेन : वह न तो स्वीकार करते हैं और न ही अस्वीकार। यह मेरी सूचना है। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह ठीक है या नहीं।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या यह सच नहीं कि केन्द्रीय सरकार ने हाल ही में हमें बताया था कि हल्दिया परियोजना 1973 से कार्य प्रारम्भ कर देगी ? उस संदर्भ में क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार उद्योग पतियों की सहायता लेने और क्षेत्र में उन्हें सुविधाएं देने में देरी क्यों कर रही है ? मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या इस क्षेत्र को उमुन्क्त-व्यापार जोन माना जायेगा ?

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : जहां तक उन्मुक्त व्यापार जोन का सम्बन्ध है, जहां तक मेरी जानकारी है कोई निर्णय नहीं किया गया है। अन्य दोनों बातों के बारे में दो उपाय किये गये हैं। एक तो यह है कि हल्दिया सहित पश्चिम बंगाल की सभी समस्याओं पर विचार करने के लिए गृह मन्त्रालय में अलग से एक 'सेल' संगठित किया गया है। दूसरा यह है कि पश्चिम बंगाल पुनर्गठन निगम स्थापित किया गया है वह निगम हल्दिया सहित पश्चिम बंगाल के वित्तीय पहलुओं पर विचार करेगा।

अल्प सूचना प्रश्न

SHORT NOTICE QUESTION

उत्तर प्रदेश को कोरबा ताप बिजली घर से बिजली की सप्लाई

अ० सू० प्र० संख्या 2. श्री नरसिंह नारायण पाण्डेय : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने 8 जून, 1971 से कोरबा ताप बिजली घर से उत्तर प्रदेश को बिजली सप्लाई करना बन्द कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का इस मामले को हल करने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (डा० के० एल० राव): (क) मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड ने 8/9 जून, 1971 से उत्तर प्रदेश को बिजली की थोक सप्लाई बंद कर दी।

(ख) मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड अपनी कोरबा विद्युत प्रणाली से उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को परस्पर सहमत आधार पर 35 से 55 मेगावाट तक थोक विद्युत सप्लाई करने के लिए राजी हो गया था। विद्युत की सप्लाई 24 अगस्त, 1970 से प्रारंभ की गई थी और एक टैरिफ दर पर, जो औसतन 8 पैसे प्रति यूनिट निकलती थी, सहमति हो गई थी। बहरहाल, अगस्त 1970 से मई, 1971 के बीच, मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड ने धीरे धीरे इस औसत दर को बढ़ाकर लगभग 12 पैसे प्रति यूनिट कर दिया था। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड 8 पैसे प्रति यूनिट तथा कोयला अधिभार (सरचार्ज) की औसत दर के आधार पर, जिस प्रकार वह समय समय पर मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड द्वारा सूचित की गई थी, नियमित रूप से अदायगियाँ करता रहा था। इसके विपरीत, मध्य

प्रदेश विद्युत बोर्ड के अनुसार लगभग रूपये 1.23 करोड़ का भुगतान बकाया था जो उनके द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को सूचित की गई विभिन्न वृद्धियों के अनुसार था।

(ग) मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्रियों के बीच विचार-विमर्श के परिणाम-स्वरूप 12 जून, 1971 के सायं छह बजे से विद्युत की सप्लाई पुनः आरम्भ कर दी गई है।

Shri Narsingh Narain Pandey : When the rate of 8 paise per unit had already been settled by the intervention of Central Water and Power Commission, what were the reasons for raising the rate by 70% and for increasing it every year? Did the Central Water and Power Commission take any steps to resolve this dispute?

डा० के० एल० राव : यह सच है कि प्रभारों में कुछ वृद्धि हुई है। परन्तु मध्य प्रदेश विद्युत मन्डल ने तर्क दिया है कि उन्हें अधिक दूरी से कोयला प्राप्त करना पड़ता है और इसलिए उन्होंने दर बढ़ा दी है। परन्तु इस पर उनके बीच विचार विमर्श नहीं हुआ था। यह दुख की बात है कि यकायक बिजली को काटा गया।

इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार का एक संगठन, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण इस प्रकार के मामलों में मध्यस्थ का कार्य करता है। दुभाग्य से, यह मामला उन्हें निर्देशित नहीं किया गया। मेरे विचार में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण अब यह मामला अपने हाथ में लेगा।

Shri Narsingh Narain Pandey : May I know whether in view of the shortage of Electricity in Uttar Pradesh, the Hon. Minister contemplate to set up a Central Power Project to meet the shortage of power?

डा० के० एल० राव : यह सच है कि उत्तर प्रदेश में बिजली की बहुत कमी है। यह कमी 50 लाख यूनिट प्रतिदिन है। हम इस बात की ओर पूर्णतया जागरूक हैं कि यथा सम्भव शीघ्रता से इस कमी को दूर किया जाये। हम दामोदर घाटी निगम से बिजली प्राप्त करने के प्रयत्न कर रहे हैं। हम इस बात के भी प्रयत्न कर रहे हैं कि बिजली का उत्पादन करने के लिए कुछ अन्य परियोजनायें स्थापित की जायें।

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या माननीय मंत्री को यह पता है कि उत्तर प्रदेश के सिंचाई तथा विद्युत मंत्री ने केन्द्रीय सरकार के पास यह मामला बार-बार उठाया और उत्तर प्रदेश में बिजली के गंभीर संकट की ओर ध्यान आकर्षित करके कहा कि इसके परिणाम स्वरूप कई कपड़ा मिलें इंजीनियरिंग एकक और प्रतिरक्षा संस्थान भी पूरे बंद हो रहे हैं व आंशिक रूप से बन्द हो रहे हैं? यदि हां, तो अन्य राज्यों से बिजली की सप्लाई करके केन्द्रीय सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश की सहायता करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है? क्या यह भी सच है कि रहिन्द बांध से बिरला बन्धुओं की एल्यूमिनियम निगम को बिजली देने संबंधी समझौता 25 वर्षों के लिए है? क्या यह बात शर्मनाक नहीं है कि किसानों और छोटे उद्योगपतियों के हितों की उपेक्षा करके बिरला बन्धुओं को सस्ती दर पर बिजली दी जायेगी? क्या इस समझौते को रद्द किया जायेगा और बिजली अन्य एककों को दी जायेगी?

डा० के० एल० राव : मैंने पहले ही बताया है कि उत्तर प्रदेश में बिजली की बहुत कमी है और यह कमी प्रतिदिन 50 लाख यूनिट है। हम दामोदर घाटी निगम तथा मध्य प्रदेश और आंशिक रूप से दिल्ली से बिजली प्राप्त करने के प्रयत्न कर रहे हैं। भाखड़ा का उत्पादन अभी बढ़ रहा है और दिल्ली में कुछ अतिरिक्त बिजली होगी जिसे उत्तर प्रदेश को भेजा जा सकेगा। हम इस बात के प्रयास कर रहे हैं कि अगले वर्ष बदरपुर का बिजली घर पूरा हो जाये। यदि

ऐसा हो गया तो यह कमी का स्तर कम हो सकेगा। फिर भी मैं यह कहना चाहूंगा कि दो या तीन वर्षों के लिए उत्तर प्रदेश में बिजली की स्थिति विकट होगी।

श्री एस० एम० बनर्जी : बिरला बन्धुओं के साथ किये गये समझौते की क्या स्थिति हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इतनी अधिक राशि खर्च करके रिहन्द बांध का निर्माण केवल बिरला बन्धुओं के एल्यूमिनियम निगम को बिजली सप्लाई करने के लिए ही हुआ था, जिनके साथ 25 वर्षों का समझौता है और उसमें से अभी भी 10 वर्ष बाकी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार समझौते को रद्द करने के लिए तैयार है। केन्द्रीय सरकार का क्या विचार है ?

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न के साथ इसका कोई संबंध नहीं है।

Shri Shashi Bhusan : The Hon. Minister knows that there is power shortage in Madhya Pradesh also. No power generating Dam has been constructed so far by the Government on the River Narmada which is the biggest and fastest river in the country. What is the use of supplying power to Uttar Pradesh, when Birlas there are supplied electricity at the rate of 3 paisa a unit ? The Government of Uttar Pradesh should first ensure that the power is supplied to proper places for the development of backward areas, this decision of the Madhya Pradesh Government, is very good ? Will the Hon. Minister give reply to that ? Aluminium is manufactured in Uttar Pradesh by Birlas by using cheap power and then it is exported to other States. No industry has been set up in Eastern parts of Uttar Pradesh. Birlas are exploiting through Aluminium. Government has not constructed any Dam in the Narmada River. How can power be generated ?

श्री आर० बी० बड़े : मध्य प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को बिजली देना इस कारण बंद किया कि उत्तर प्रदेश सरकार बकाया राशियों की अदायगी से अस्वीकार कर दिया। क्या यह सच है ? यदि हां, तो उसकी ओर बकाया धन राशि कितनी है ?

डा० के० एल० राव : यह कुछ महीनों के लिए अस्थायी रूप से बिजली देने का समझौता है। यह समझौता मध्य प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच हुआ था। मध्य प्रदेश सरकार का मत है कि समझौते की शर्तों के अनुसार वह शुल्क आदि अतिरिक्त प्रभार प्राप्त करने के हकदार हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का मत है कि इस समझौते में ऐसा कुछ नहीं। अत: दोनों के बीच यह विवाद है और इसे केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण जैसी माध्यस्थम संस्था द्वारा ही हल किया जा सकता है।

श्री डी० एन० तिवारी : मंत्री महोदय ने कहा कि वह उत्तर प्रदेश के लिए बिजली की कमी को दामोदर घाटी निगम से पूरा करेंगे। क्या बंगाल और बिहार की बिजली की आवश्यकताएं दामोदर घाटी निगम से पूरी कर ली गई हैं या क्या उत्तरी बिहार में बिजली की कमी है और दामोदर घाटी निगम से कोई सप्लाई नहीं प्राप्त हो रही ?

डा० के० एल० राव : पूर्वी क्षेत्र में इस प्रकार की कोई कमी नहीं है। सामान्यता स्थिति सन्तोषजनक है। माननीय सदस्य उत्तर बिहार के संबंध में पूर्णतया भिन्न प्रश्न पूछ रहे हैं। पूर्व बिहार में बिजली के उत्पादन का कोई पद्धति नहीं है।

श्री डी० एन० तिवारी : वहां स्थापित क्यों नहीं किया जाता ?

डा० के० एल० राव: यह स्थापित किया जाना है। हम गया से बिजली प्राप्त करने के भी प्रयत्न कर रहे हैं परन्तु वहां पर प्रेषण लाइनें नहीं हैं। उत्तर बिहार में हमें बहुत बड़े बिजली घर स्थापित करने हैं। हम उसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं।

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा : कुछ दिन पूर्व मंत्री महोदय ने कहा था कि 'तेलगांना की बिजली' अथवा 'आन्ध्र की बिजली' जैसी कोई बात नहीं है। अतः 'मध्य प्रदेश की बिजली' 'उत्तर प्रदेश की बिजली' या 'मद्रास की बिजली' जैसी भी कोई बात नहीं होनी चाहिये। क्या मैं जान सकती हूं कि क्या मंत्री महोदय को पता है कि मद्रास सरकार कलपक्कम से बिजली आन्ध्र प्रदेश को देने के विरुद्ध है और यदि हां, तो क्या केन्द्र इस बात में हस्तक्षेप करेगा और इस बात को देखेगा कि आन्ध्र प्रदेश के कमी वाले क्षेत्रों में बिजली दी जाये ?

अध्यक्ष महोदय : यह संगत नहीं है।

श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली : कुछ दिन पहले माननीय मंत्री ने इस सदन में कहा था कि वह टेहरी की यात्रा करेंगे और टेहरी बांध की सम्भाव्यता की जांच करेंगे। क्या वह बतायेंगे कि टेहरी में बांध के निर्माण के संबंध में उनका अन्तिम निर्णय क्या है ?

डा० के० एल० राव : निर्णय शीघ्र ही लिया जायेगा। मैंने निर्माण-स्थल देख लिया है। मैंने टेहरी बांध के निर्माण-स्थल का दौरा किया था। परंतु दुर्भाग्य से यह बहुत बड़ा काम है और बिजली का उत्पादन करने में दस वर्ष का समय लगेगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

जम्मू में पनबिजली घर की स्थापना

*482. **श्री निहारलास्कर :** **श्री पी० गंगादेव :**

क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू में एक और पनबिजली घर की स्थापना के सम्बन्ध में जम्मू तथा काश्मीर सरकार के प्रस्ताव को केन्द्रीय सरकार ने स्वीकार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर कुल कितना व्यय होगा ; और

(ग) उक्त कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिये जाने की संभावना है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री **(डा० के० एल० राव) :** (क) जम्मू के निकट किसी नए जल विद्युत केन्द्र की स्थापना के संबन्ध में जम्मू व कश्मीर सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। इस समय चेनानी ही एकमात्र काफी बड़ा जलविद्युत उत्पादन केन्द्र है जिसका पहला चरण निर्माण की प्रौढावस्था में है। इसमें 4.6-4.6 मेगावाट की तीन यूनिटों की प्रतिष्ठापना परिकल्पित है। चतुर्थ योजना के दौरान चरण -2 में 4.6 मेगावाट के दो सेटों की और स्थापना की जाएगी।

जम्मू के निकट स्थित अन्य जलविद्युत परियोजना सलाल जलविद्युत परियोजना है जिसमें 300 फुट के शीर्ष पर चिनाब नदी के जल का प्रयोग करते हुए 90-90 मैगावाट के तीन उत्पादन सेटों समेत 270 मैगावाट की प्रतिष्ठापित क्षमता सम्मिलित है।

(ख) सलाल जलविद्युत परियोजना की अनुमानित लागत 55.16 करोड़ रुपये है और चेनानी की अनुमानित लागत 8.8 करोड़ रुपये है।

(ग) सलाल परियोजना के लिए प्रारम्भिक कार्य पहले से आरंभ किए जा चुके हैं और परियोजना के 1975-76 तक पूर्ण होने की उम्मीद है।

कागज निगम का गठन और उसके कृत्य

*485. **श्री एस॰ आर॰ दामाणी :** क्या औद्योगिक विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कागज निगम का गठन किस तारीख को किया गया था ;

(ख) इसके पूंजी गत ढांचे का स्वरूप क्या है और इसके अध्यक्ष और निदेशक-बोर्ड के सदस्यों के नाम क्या हैं ; और

(ग) निगम का कौन कौन सी योजनाएं आरम्भ करने का विचार है और उनको क्रियान्वित करने में कितनी प्रगति हुई है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन 29 मई, 1970 को पंजीकृत किया गया।

(ख) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन का पूंजीगत ढाँचा निम्न प्रकार है।

अधिकृत पूंजी	:	30 करोड़ रुपये,
प्राथित पूंजी	:	30 करोड़ रुपये,
प्रदत्त पूंजी	:	7.27 लाख रुपये,

अध्यक्ष और निदेशक मण्डल के सदस्यों के नाम निम्न प्रकार हैं :—

1- श्री अबिद हुसैन संयुक्त सचिव, औद्योगिक विकास मन्त्रालय,	अंशकालिक अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक
2- श्री पी॰ डी॰ केशबेकर, संयुक्त सचिव, वित्त मंत्रालय,	निदेशक
3- श्री एन॰ नरसिंहन,	निदेशक

(ग) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन को निम्नलिखित परियोजनाओं के कार्यान्वयन का भार सौंपा गया है :-

1- नागालैंड लुग्दी कागज आयोजना, नागालैंड,

2- केरल न्यूजप्रिन्ट प्रायोजना, केरल,

3- आसाम लुग्दी कागज प्रायोजना, आसाम,

उक्त तीनों प्रायोजनाओं द्वारा की गई प्रगति का विवरण निम्न प्रकार है :—

1- नागलैंड लुग्दी और कागज परियोजना

इस प्रायोजना के लिए जगह अधिगृहीत करके विकसित की जा चुकी है। टर्न की बेसिस पर नागालैंड सरकार और राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम के बीच तकनीकी परामर्श के विषय में करार करने के प्रयास किये जा रहे हैं। रा॰ औ॰ वि॰ नि॰ द्वारा संशोधित विस्तृत प्रायोजना अनुमान तैयार कर लिया गया है और इसकी जाँच की जा रही है। कच्चे माल के प्रयोगशाला और फैक्टरी सम्बन्धी प्रयोग पूरे कर लिये गये हैं।

2- केरल न्यूजप्रिंट प्रोजेक्ट :-

कारखाना लगाने की जगह निश्चित की जा चुकी है और केरल सरकार द्वारा भूमि का मूल्य तय किया जा चुका है। प्रायोजना की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने का कार्य राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम को सौंपा गया है। कच्चे माल की जाँच की जा रही है।

3-आसाम पल्प/पेपर प्रोजेक्ट :-

आसाम में प्रायोजना के लिए एक संभावी स्थान चुन लिया गया है। राज्य सरकार से आवश्यक विवरण मिलने पर स्थान पर अंतिम निर्णय लिया जायेगा। प्रायोजना की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने का कार्य राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम को सौंपा गया है।

इसके अलावा उक्त तीनों प्रायोजनाओं के लिए चुने गये व्यक्तियों को इन्स्टीट्यूट आफ पेपर टेक्नालोजी, सहारनपुर में प्रशिक्षण देने की भी व्यवस्था है।

Revenue Earned from Passengers Travelling in Rajdhani Express from New Delhi to Howrah

*486. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the average number of passengers per day who travelled from New Delhi to Howrah by Rajdhani Express during the last one year;

(b) the average revenue per day in the form of passenger fares earned by Government from this train during the last year; and

(c) the average expenditure per day incurred by Government on the maintenance and the operatian of this train during the last year ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) : (a) 17 Airconditioned Sleeper Class and 307 Airconditioned Chair Car Class.

(b) About Rupees 35 thousand per trip.

(c) A statement is laid on the table of the Sabha.

Statement

The expenses are not booked trainwise. But direct expenses for running the Rajdhani Express, e.g. cost of diesel oil consumed, engine crew, train staff etc., interest and depreciation of coaches and engines, have been estimated to be Rs. 2.40 lakhs per month, excluding the cost of catering service on the train. Other costs, such as provision and maintenance of permanent way, signal and telecommunication etc. and overheads, which are common with other services, have not been taken into account.

Accordingly, the direct expenses work out to Rs. 14,000 per trip for the Rajdhani Express with the normal composition of 4 Airconditioned Chair Cars and 1 Airconditioned Sleeper coach. When an extra airconditioned Chair Car is attached during rush periods, an additional expenditure of Rs. 1,000/- per trip is involved.

पश्चिमी बंगाल में मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण

*488. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **विधि और न्याय** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने यह निर्णय किया है कि पश्चिमी बंगाल में मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण इस समय आरम्भ नहीं किया जा सकता ;

(ख) यदि हाँ, तो इस निर्णय के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या लगभग सभी राजनीतिक दलों ने शिकायत की है कि उक्त सूचियों में गम्भीर त्रुटियाँ हैं और उनमें शीघ्र संशोधन करने की आवश्यकता है ;

(घ) क्या वहाँ के 8 जिलों के प्राधिकारियों ने सुझाव दिया है कि बंगला देश से भारी संख्या में शरणार्थी आ जाने के कारण मतदाता सूचियों में संशोधन करने का कार्य अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाना चाहिये ;

(ङ) इस कार्य को कम से कम शेष जिलों में आरम्भ न करने के क्या कारण हैं ?

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) जी हाँ। निर्वाचन आयोग ने यह विनिश्चय किया था कि पश्चिमी बंगाल में निर्वाचक नामावलियों का पुनरीक्षण तत्समय मुल्तवी कर दिया जाये।

(ख) इसके कारण ये हैं कि सब जिलों के सब जिला निर्वाचन आफिसरों और कलक्टरों ने गत 5 मई को कलकत्ते में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के साथ एक सम्मेलन में इस बात की वकालत की थी कि भारी संख्या में शरणार्थियों के आगमन के कारण सब जिलों में जिला प्रशासन पर अत्यन्त दबाव पड़ रहा है और इस समय निर्वाचक नामावलियों का पुनरीक्षण का जिम्मा लेना न तो साध्य होगा और न वांछनीय। यदि निर्वाचक नामावलियों का पुनरीक्षण अभी किया जाता है तो शरणार्थियों की एक भारी संख्या को, जो कलकत्ते सहित सब जिलों में सामान्य जनता के साथ घुल-मिल चुकी है, निर्वाचक नामावलियों से अपवर्जित करना व्यावहारिक रुप में कठिन होगा। निर्वाचक नामावलियों में शरणार्थियों के नामों का सम्मिलित हो जाने से यह उपधारणा पैदा हो सकती है कि वे भारत के नागरिक हैं।

(ग) जी नहीं। ऐसी कोई शिकायत निर्वाचन आयोग में प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) जी हाँ।

(ङ) निर्वाचन आयोग इस समय यह विचार कर रहा है कि क्या पुनरीक्षण का कार्य पश्चिमी बंगाल के गैर-सीमान्त जिलों में आरम्भ हो सकता है जहाँ शरणार्थियों के आगमन से उत्पन्न होने वाली समस्याएं इतनी तीव्र नहीं हैं जितनी सीमान्त जिलों में।

पश्चिम बंगाल में छोटे और माध्यमिक दर्जे के गैर सरकारी उद्योगों के उत्पादन में कमी

*489. **श्री सुबोध हसंदा :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में छोटे और माध्यमिक दर्जे के उद्योग कच्चे माल की कमी के कारण अपनी पूरी क्षमता से उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं ;

(ख) उत्पादन में कमी का एक कारण कच्चे माल के वितरण की वर्तमान प्रणाली है ; और

(ग) यदि हाँ, तो उक्त कठिनाई को दूर करने के बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) कुछ औद्योगिक कच्चे सामान की आम तौर पर कमी है जैसे इस्पात, स्टैनलैस स्टील, कास्टिक सोडा, सोडा ऐश, कैल्सियम कारबाईड आदि जिनके कारण सारे देश में कुछ उद्योगों के उत्पादन पर प्रभाव पड़ रहा है, इनमें पश्चिमी बंगाल भी है।

(ख) विभिन्न मंत्रालयों द्वारा निर्धारित विद्यमान वितरण प्रक्रिया से बहुत कुछ सन्तोषजनक रूप से कार्य हो रहा है तथा समय समय पर वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार उसकी सावधिक संवीक्षा की जाती है। कम उत्पादन होने का कारण प्रक्रिया नहीं है, यह तो कच्चे सामान की कमी से उत्पन्न हुई कठिनाइयों को कम करने का एक तरीका है।

(ग) औद्योगिक आवश्यकताओं के बारे में संभरण स्थिति की सावधिक संवीक्षा की जाती रहती है जिससे कि जहां कहीं भी कोई कमी है तो उसका पता चलाया जा सके और उसको दूर करने के उपायों पर विचार किया जाता है ऐसी वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं जिनकी आजकल कमी है अथवा निकट भविष्य में कमी होने की संभावना है। 1970 में 123 ऐसी वस्तुओं के बारे में जिनकी कम सप्लाई है अथवा कम सप्लाई होने की संभावना है, औद्योगिक लाइसेंस स्वीकृत करने के लिए आवेदन पत्र मांगने हेतु एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी। साथ ही सरकार की लाइसेंस पंजीकरण की नीति को उदार कर दिया गया है और औद्योगिक लाइसेंस वाली प्रतिबन्धात्मक सूची को समाप्त कर दिया गया है।

औद्योगिक कच्चे सामान के आयात से सम्बन्धित आयात नीति की स्थाई अन्तर विभागीय समिति द्वारा समय समय पर संवीक्षा की जाती रहती है जिससे कि अल्पकालीन कमी वाली परिस्थितियों को दूर किया जा सके। ऐसी वस्तुओं के आयात के बारे में जिनकी विश्वव्यापी कमी है, 1971-72 की आयात नीति में विशेष प्रावधान किया गया है। ऐसे उद्योगों को जिन पर विश्वव्यापी कम सप्लाई से उत्पन्न कच्चे सामान की कमी के कारण, असर पड़ता है, एक साथ छः मास से अधिक के लिए कच्चे सामान के आयात हेतु आवेदन पत्र भेजने की अनुमति प्रदान की जा रही है।

वास्तविक उपभोक्ता की हकदारी की संवीक्षा करने के लिए भी आयात नीति में प्रावधान किया गया है। ऐसे वास्तविक उपभोक्ताओं वाले मामले पर जिनमें यह सिद्ध हो जाता है कि विद्यमान आयात नीति के कारण आवश्यक कठिनाइयां उत्पन्न हो गई है अथवा औद्योगिक उत्पादन पर प्रभाव पड़ने की संभावना है, आयात तथा निर्यात के मुख्य नियंत्रक के अधीन एक उप-समिति द्वारा आयात के लिए विचार किया जायेगा। यह व्यवस्था लघु क्षेत्र पे विशेष रूप से लागू होती है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देना

*493. **श्री पी० वेंकटासुब्बया:** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में शिक्षित बेरोजगारों के लिए रोजगार की व्यवस्था करने के सरकार के प्रयासों में गैर सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का सहयोग प्राप्त करने के लिए कोई मार्गदर्शक सिद्धान्त तैयार किये गये हैं, और

(ख) यदि हाँ, तो ऐसे प्रस्ताव अथवा मार्गदर्शक सिद्धान्त क्या हैं?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) तथा (ख) : यद्यपि कोई विशिष्ट मार्गदर्शक सिद्धान्त नहीं बनाए गए हैं, फिर भी सरकार की औद्योगिक लाइसेंस नीति का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देना है और ऐसा करते समय रोजगार को बढ़ावा देने वाले एककों को वरीयता देना है। औद्योगिक वस्तुओं को बनाने का केवल लघु क्षेत्रों में आरक्षण करने का आशय भी अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करना ही है। लघु क्षेत्र नए उद्योगों को प्रारम्भ करने के लिए इंजीनियरों को प्रशिक्षण देने तथा इंजीनियर उद्यमियों को वित्तीय सहा-

यता देने की योजना भी सरकार ने बनाई है। नए तथा लघु उद्यमियों को और अधिष्ठापित कारखाने वालों को अधिकाधिक तथा व्यापक स्वतंत्रता प्रदान करने की दृष्टि से सरकार ने 25 लाख से छूट सीमा को, 1 करोड़ रु० तक बढ़ा दिया है। और 5 करोड़ रु० की अधिकतम सीमा के अन्दर ही अधिक से अधिक 1 करोड़ रु० तक बिना लाइसेंस लिए ही औद्योगिक एककों में पर्याप्त विस्तार करने की व्यवस्था की है जिससे कि देश में और ज्यादा रोजगार के अवसर उत्पन्न हो सकें।

मध्य प्रदेश में चौथी योजना के दौरान औद्योगिक परियोजनाओं का स्थापित किया जाना

*494. **श्री राम सहाय पांडे** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान मध्य प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में कौन-कौन सी औद्योगिक परियोजनाएं स्थापित की जायेंगी;

(ख) क्या पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकार ने और अधिक सहायता की मांग की है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में स्थापित होने वाली औद्योगिक परियोजनाओं के भाग चतुर्थ योजना प्रलेख के पृष्ठ 326-330 पर दिये गये हैं। चतुर्थ योजना में मध्य-प्रदेश में स्थापित की जाने वाली परियोजनाओं को भी उसी में दिया गया है। मध्य प्रदेश के कोरबा में कोयले पर आधारित उर्वरक परियोजना और दण्डकारण्य क्षेत्र में कागज तथा लुग्दी संयंत्र चतुर्थ योजना अवधि में स्थापित करने की संभावना है।

(ख) तथा (ग)—सरकारी क्षेत्र के उद्योगों की स्थापना का निर्णय लेते समय तकनीकी-आर्थिक तथा अन्य बातों को जिनमें विभिन्न क्षेत्रों से सम्बन्धित औद्योगिक पिछड़ापन भी सम्मिलित है ध्यान में रखना पड़ता है और इन बातों के अधीन स्थापना के लिए आए प्रस्तावों पर अवश्य ही ध्यान दिया जायेगा। मध्य प्रदेश के औद्योगिक रुप से पिछड़े हुए निम्नलिखित जिलों को उद्योगों के सम्बर्धन हेतु वित्तीय संस्थानों से रियायती दर पर वित्त दिलाने के लिए चुना गया है :—

बस्तर, मांडला, सरगुर्जा, सियोनी, झबुआ, बालाघाट, विलासपुर, सिंघी, बैतूल, रायगढ़, रायपुर, धार, टीकमगढ़, राजगढ, खारगोन, शाहजापुर, शिवपुरी, छिंदवाडा, रीवा, पन्ना, देवास, मंदसौर, छतरपुर, गुना, दतिया, मुरैना, विदिशा, नरसिंहपुर, रायसैन, होशंगाबाद, दमोह, भिंड और सागर।

लाइसेंसशुदा रेलवे कुलियों के लाइसेंस-शुल्क में कमी

*496. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि रेल विभाग के लाइसेंस शुदा कुलियों की दशा की जाँच करने के लिए नियुक्त किये गये अध्ययन दल ने यह सिफारिश की है कि लाइसेंस शुदा कुलियों के वर्तमान लाइसेंस-शुल्क में कमी की जानी चाहिए ; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार इसे कम करने पर विचार कर रही है ; यदि हाँ, तो यह कमी कब तक की जायेगी और कितनी की जायेगी ?

रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) यद्यपि अध्ययन दल ने भारिकों के लाइसेंस शुल्क में कमी

करने की कोई विशिष्ट सिफारिश नहीं की है, फिर भी दल यह चाहता है कि लाइसेंस शुल्क में से पर्यवेक्षण की लागत निकाल दी जाये। यदि यह लागत निकाल दी जाती है तो हो सकता है कि इससे लाइसेंस शुल्क कम हो जाये। रेल मन्त्रालय ने यह सिफारिश स्वीकार नहीं की।

(ख) सवाल नहीं उठता।

टायरों की कीमत में वृद्धि

*497. **श्री फतहसिंह राव गायकवाड़ :** **डा० कर्णीसिंह :**

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेयन, टायर-धागा, डोरी और फैब्रिक्स की कीमतों में इस स्पष्ट शर्त पर कमी की थी कि टायर निर्माता कम कीमतों पर टायर बेचेंगे ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या कुछ टायर निर्माता कम्पनियों ने सरकार द्वारा कीमत में की गई उपर्युक्त कमी के बाद साइकिल की टायरों के कीमतों में लगभग 15 प्रतिशत वृद्धि कर दी है; और

(ग) यदि हाँ, तो दोषी कम्पनियों के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) विदेश व्यापार मन्त्रालय के संकल्प दिनांक 27 फरवरी, 1971 के द्वारा सरकार ने रेयन टायर कोर्ड सामान के मूल्य को कम करने के लिए प्रशुल्क आयोग की सिफारिशों को मान लिया है। इसके प्रभावी हो जाने पर मोटर गाड़ी, टायर निर्माताओं द्वारा इसका लाभ उपभोक्ताओं को दिया जाना है।

(ख) और (ग) : रेयन कोर्ड सामान के मूल्य का सम्बन्ध साइकिल के टायरों से नहीं है क्योंकि इसका इस्तेमाल साइकिलों के निर्माण में नहीं किया जाता है।

जोधपुर-दिल्ली सेक्शन (उत्तर रेलवे) के लिए बड़ी लाइन

*498. **राजमाता कृष्णा कुमारी जोधपुर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर रेलवे के जोधपुर-दिल्ली सेक्शन पर यातायात में हुई वृद्धि की जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार वर्तमान मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने का है और यदि हां, तो कब तक ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्री (श्री हनुमंतैया) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) यद्यपि पिछले कुछ वर्षों में गाड़ी सेवाओं में कुछ वृद्धि हुई है, फिर भी दिल्ली जोधपुर मीटर लाइन खण्ड की वर्तमान क्षमता वर्तमान यातायात की आवश्यकताओं को पूरा करने और यदि निकट भविष्य में कोई वृद्धि होने की सम्भावना हो तो उसे भी सम्हालने के लिए पर्याप्त है। इसलिए भारतीय रेलों में अगले 10-15 वर्षों में कार्यान्वियन के लिए आमानपरिवर्तन की जो संदर्शी योजना तैयार की गयी है, उसमें इस खण्ड को शामिल नहीं किया गया है।

राज्यों में औद्योगिक परियोजनाओं की स्थापना के लिये अपनाई गई कसौटी

*499. **श्री राज देव सिंह** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों में औद्योगिक परियोजनाओं की स्थापना करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने क्या मापदंड अपनाये हैं ; और

(ख) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने गत तीन वर्षों में अपने यहां ऐसी परियोजनाओं की स्थापना किये जाने के लिए मांग की है।

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) और (ख) अनेक राज्यों से विभिन्न प्रकार के उद्योग स्थापित करने के लिये समय समय पर आवेदन मिलते हैं। सरकारी क्षेत्र में उद्योगों के स्थापना स्थलों का चुनाव करते समय तकनीकी, आर्थिक, विभिन्न क्षेत्रों के औद्योगिक दृष्टि से सापेक्षिक पिछड़ेपन सहित अन्य बातों को भी ध्यान में रखा जाता है। कारखाना स्थापित करने के स्थान सम्बन्धी प्रस्तावों पर इन्हीं विषयों को ध्यान में रख कर निर्णय किया जाता है।

कश्मीर को पिछड़े हुए राज्य के रूप में वर्गीकृत करने की कसौटी

*500. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने औद्योगिक विकास करने के प्रयोजन से काश्मीर का पिछड़ा हुआ राज्य घोषित किया है ;

(ख) इस राज्य को पिछड़े हुए राज्य के रूप में वर्गीकृत करने के लिए क्या कसौटी अपनाई गई है ; और

(ग) क्या इस समय विद्यमान कसौटी में इस सम्बन्ध में कुछ फेर बदल की गई है और यदि हां, तो क्या फेर बदल की गई है और इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) से (ग) औद्योगिक विकास की दृष्टि से जम्मू तथा काश्मीर को पिछड़ा हुआ राज्य घोषित किया गया है। औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए राज्यों तथा संघ शासित राज्यों की पहचान करने वाले कार्यकारी दल द्वारा अपनाई गई मुख्य कसौटी इस प्रकार थी :—

1—प्रति व्यक्ति कुल आय,

2—उद्योग तथा खान से प्रति व्यक्ति आय,

3—पंजीकृत कारखानों में कर्मचारियों की संख्या,

4—विद्युत की प्रति व्यक्ति वार्षिक खपत,

5—(क) जनसंख्या तथा (ख) राज्य के क्षेत्र की तुलना में सड़कों की लम्बाई, और

6—(क) जनसंख्या तथा (ख) राज्य के क्षेत्र की तुलना में रेलों की लम्बाई।

पहले बहुत सी समितियों ने, जैसे उद्योगों के फैलाव वाले समिति, ग्रामीण उद्योग परियोजना वाला कार्यकारी दल और चतुर्थ योजना के लिए योजना अध्ययन दल, अपने प्रयोजनों के लिए अपनी-अपनी विभिन्न कसौटी निर्धारित की थी। पांडे कार्यकारी दल के विचारार्थ विषयों का उद्देश्य

यह था कि चुने हुए पिछड़े क्षेत्रों अथवा इलाकों में वित्तीय और राजकोषीय प्रोत्साहन देकर जिनमें वित्तीय तथा बैंकिंग संस्थानों द्वारा किया गया निवेश भी सम्मिलित है, सभी आकार के उद्योगों की स्थापना को उत्साहित करके क्षेत्रीय असंतुलन को ठीक या कम किया जाये। दल ने ऊपर दी गई अपनी कसौटी स्वयं ही बनाई थी।

गैर-मान्यता प्राप्त यूनियनों एसोसिएशनों से मिले अभ्यावेदनों पर विचार

*502. **श्री चन्द्रिका प्रसाद :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकांश वर्गों के रेलवे कर्मचारियों ने वर्गवार अपनी-अपनी यूनियनें एसोसिएशनें बना ली हैं और उनका समर्थन अधिकांश कर्मचारी करते हैं ;

(ख) क्या इन वर्गवार यूनियनों एसोसिएशनों ने हाल ही में अपना एक नया महासंघ बनाया है;

(ग) क्या उस नये महासंघ को, उसकी सदस्यता के दावे के आधार पर, मान्यता देने का कोई प्रस्ताव है ;

(घ) क्या सरकार के निदेश थे कि गैर मान्यता प्राप्त यूनियनों के अभ्यावेदनों पर ही विचार किया जाता है, और यदि हां, तो यह परिवर्तन करने के क्या कारण हैं।

(ङ) क्या उन निदेशों में अब परिवर्तन कर दिया गया है और केवल मान्यता प्राप्त यूनियनों के अभ्यावेदन पर ही विचार किया जाता है और यदि हां, तो यह परिवर्तन करने के क्या कारण हैं।

रेल मन्त्री (श्री हनुमंतैया) : (क) जहां तक सरकार को ज्ञात है, रेलों पर कोटिवार 60 यूनियनें/एसोसिएशनें हैं। इनकी सदस्य संख्या के बारे में सरकार को कोई निश्चित जानकारी नहीं है। लेकिन अधिकांश रेल कर्मचारी नेशनल फेडरेशन आफ इंडियन रेलवेमैन तथा आल इंडिया रेलवेमैन्स फेडरेशन से सम्बद्ध मान्यता प्राप्त यूनियनों के सदस्य हैं।

(ख) मालूम हुआ है कि इस तरह की 15 कोटिवार यूनियनों/एसोसिएशनों ने एक कांफेडरेशन बना लिया है।

(ग) जी नहीं।

(घ) रेल प्रशासनों को ये हिदायतें जारी की गयी थीं कि गैर-मान्यता प्राप्त यूनियनों सहित, किसी भी स्रोत से आने वाली कर्मचारियों की यथार्थ-शिकायतों पर उपयुक्त प्राधिकारियों द्वारा ध्यान दिया जाना चाहिए, लेकिन गैर-मान्यता प्राप्त यूनियनों के साथ किसी तरह का पत्र-व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए।

(ङ) ये हिदायतें अब भी लागू हैं।

मोपेड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, तिरुपति (आन्ध्र प्रदेश) की लाइसेंस प्राप्त क्षमता का अधिकतम उपयोग

*504. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तिरूपति (आन्ध्र प्रदेश) में गैर सरकारी क्षेत्र में मोपेड बनाने के कारखाने में लाइसेंस प्राप्त क्षमता के अनुसार अधिकतम उत्पादन हो रहा है ; और

(ख) क्या उक्त कारखाने की क्षमता का विस्तार करने के लिए कोई लाइसेंस दिया गया है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) पिछले कुछ मासों में उत्पादन दर लगभग 700 मोपेड की रही है, इससे उनकी वार्षिक उत्पादन क्षमता 8000 ठहरती है जबकि उनकी मूल लाइसेंसी कृत क्षमता प्रतिवर्ष 7,500 है।

(ख) दो पारी के आधार पर प्रतिवर्ष 15 हजार मोपेड तक उनकी क्षमता में विस्तार करने के लिए पार्टी को 18-2-71 को एक औद्योगिक लाइसेंस स्वीकृत किया गया है।

राज्यों के मध्य जल विवादों का समाधान

*505. **श्री शशि भूषण : क्या सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनके अन्य राज्यों के साथ जल-विवाद हैं ;

(ख) प्रत्येक जल-विवाद की वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ग) क्या सोन नदी के जल के विषय में मध्य प्रदेश और बिहार के मध्य एक नया जल-विवाद उठ खड़ा हुआ है ;

(घ) यदि हां, तो इस विवाद की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ङ) सरकार का विचार राज्यों के मध्य इन विवादों का समाधान किस प्रकार सौहार्दपूर्ण ढंग से कराने का है और यह समाधान कब तक हो जाने की सम्भावना है।

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० के० एल० राव) : (क) से (ङ) आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और मैसूर के बीच कृष्णा पर जल-विवादों ; आन्ध्र प्रदेश, मैसूर, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के बीच गोदावरी पर जल-विवादों; और मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र तथा राजस्थान के बीच नर्मदा पर जल-विवादों को अन्तर्राज्यीय जल-विवाद अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत गठित न्यायाधिकरणों के पास न्यायनिर्णयन के लिए भेजा गया है। जबकि न्यायाधिकरणों द्वारा अपने कार्य को यथासंभव जल्दी से जल्दी पूरा करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं, इस समय यह बताना संभव नहीं है कि न्यायनिर्णयन की कार्यवाही के कब तक पूर्ण होने की संभावना है।

केरल, मैसूर और तमिलनाडु राज्यों के बीच कावेरी जल पर विवाद के सभी पहलुओं पर केन्द्रीय सरकार, इस ख्याल से कि मतभेदों को कैसे सुलझाया जा सकता है; ध्यानपूर्वक विचार कर रही है।

मध्य प्रदेश सरकार ने सोन नदी पर बानसागर परियोजना का प्रस्ताव रखा है। बिहार सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित बानसागर परियोजना का विरोध किया है जिसमें सोन जल का व्यपवर्तन टोंस नदी में शामिल है ; यह विरोध इस आधार पर किया गया है कि इससे काफी नीचे की ओर जहाँ जल-सप्लाई की स्थिति पहले ही नाजुक बताई गई है, बिहार में सोन से होने वाली बृहत सिंचाई प्रणाली को हानि पहुंचेगी।

उत्तर प्रदेश सरकार जोर देती रही है कि मिर्जापुर जिले में अकालग्रस्त पठारी क्षेत्रों के लिए बानसागर परियोजना ही एकमात्र सिंचाई का साधन है और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित बानसागर परियोजना में इस क्षेत्र में भी सिंचाई की व्यवस्था करने हेतु, परिवर्तन किया जाना चाहिए।

मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार सरकारों के इंजीनियरों के साथ सलाह करके केन्द्रीय सरकार के इंजीनियर, बानसागर परियोजना के लिए संशोधित प्रस्ताव यथाशीघ्र बनाने के लिए, जो कि तीनों राज्यों को स्वीकार्य हों, प्रयत्न कर रहे हैं।

रेलवे क्वार्टरों (दक्षिण रेलवे) के किराये में वृद्धि

*506 **श्री प्रवीण सिंह चौधरी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दस वर्षों में रेलवे क्वार्टरों के किराये में कितनी बार वृद्धि की गई ;

(ख) क्या वर्तमान क्वार्टरों पर कोई अतिरिक्त पूंजी लगाई गई थी जिससे वृद्धि को उचित कहा जा सके ;

(ग) क्या सरकार की यह नीति है कि बिना कोई अतिरिक्त पूंजी लगाये समय-समय पर किराये में वृद्धि की जाये ;

(घ) क्या दक्षिण रेलवे में रेलवे क्वार्टरों के रख-रखाव के लिए समय-समय पर उनकी मरम्मत नहीं की जाती ; और

(ङ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री हनुमंतैया) : (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) दक्षिण रेलवे में किराये 1961, 1964 और 1967 में संशोधित किये गये थे ।

(ख) कतिपय वर्तमान पुराने मकानों में कुछ सुविधाओं की व्यवस्था और सुधार पर खर्च किया जाता है । लेकिन किराये में वृद्धि केवल इस खर्च के कारण नहीं हुई । किराये का हिसाब अलग से नहीं बल्कि मकानों के पूल के अनुसार लगाया जाता है । पूल की कुल लागत के 6 प्रतिशत के आधार पर समय-समय पर प्रत्येक पूल के मकानों का निर्धारित किराया निकाला जाता है और ऐसा करते समय पिछली बार संशोधन होने के बाद बने मकानों की लागत को लेखे में लिया जाता है । चूंकि निर्माण की लागत बढ़ रही है, इसलिए एक पूल, जिसमें कि पुराने मकान भी शामिल हैं, के मकानों के किराये भी एक अवधि के बाद बढ़ ही जाते हैं । फिर भी कर्मचारियों से किराये के रूप में अधिक से अधिक उनकी परिलब्धियों का 10 प्रतिशत अथवा निर्धारित किराया, इनमें से जो भी कम हो, लिया जाता है । जो कर्मचारी प्राधिकृत वेतनमान में 220 रुपये प्रतिमास से कम वेतन पाते हैं; उनके मामले में परिलब्धियों के $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत की न्यूनतम सीमा लागू होती है ।

(ग) जैसी कि 1959 में वेतन आयोग ने सिफारिश की थी, स्थिति को सरकार के अन्य विभागों के समकक्ष बनाने के उद्देश्य से 1960 में इस आशय की हिदायतें जारी की गयी थीं कि मकानों के निर्धारित किराये को इस तरह से पुनर्निर्धारित किया जाये कि अब से आगे प्रत्येक श्रेणी के मकानों की लागत पर 4 प्रतिशत की बजाय 6 प्रतिशत का प्रतिफल प्राप्त हो । 1961 में किये गये इस थोक संशोधन के अलावा, निर्धारित किरायों में वृद्धि या तो एक ही पूल के अन्तर्गत आने वाले पुराने मकानों में सुधार के फलस्वरूप या नये मकानों के निर्माण में अतिरिक्त निवेश के फलस्वरूप हुई है जैसा कि ऊपर भाग (ख) के उत्तर में बताया गया है ।

(घ) दक्षिण रेलवे में मकानों का बाकायदा आवधिक अनुरक्षण किया जा रहा है ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

रेलवे के कार्यकरण की जांच-पड़ताल करने के लिये संसद की स्थायी समिति की स्थापना के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश

*507. **श्री एम० कल्याण सुन्दरम्** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रेलवे के

कार्यकरण की जांच पड़ताल करने के लिये संसद की एक समिति की स्थापना के सम्बन्ध में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश पर क्या कार्यवाही की गई हैं ?

रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया) : सिफारिश सरकार के विचाराधीन है।

केरल में बिजली का उत्पादन

*508. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केरल की विभिन्न नदियों के जल से बिजली उत्पादन करने के विचार से कोई सर्वेक्षण कराने का है ;

(ख) यदि हां, तो व्यापारिक प्रयोजनों के लिए किन-किन स्थानों पर कितनी बिजली उत्पन्न की जा सकती है ; और

(ग) उनमें से कितने स्थानों पर बिजली उत्पादन आरम्भ हो गया है तथा वहां कितनी बिजली उत्पादित की जा रही है और उसके वितरण के लिए क्या कसौटी अपनाई गई है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (डा० के० एल० राव) : (क) 1952 से 1959 के बीच केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग ने धरातल की बनावट सम्बन्धी आंकड़ों के आधार पर केरल सहित देश के नदी-बेसिनों का एक देशव्यापी जल विद्युत सर्वेक्षण कराया था। इस समय विस्तृत जांच का संचालन केरल राज्य के अधिकारी कर रहे हैं।

(ख) केरल के जिन स्थानों में विद्युत उत्पादन की सम्भावना है उनको और उनमें उत्पन्न की जाने वाली पक्की विद्युत शक्यता को दिखलाने वाला एक विवरण-1 सभा पटल पर रखा जाता है।

(ग) जिन स्थानों में विद्युत उत्पादन प्रारम्भ हो गया है उनको और उनके विद्युत उत्पादन की मात्रा को दिखलाने वाला एक विवरण-2 सभा पटल पर रखा जाता है। विभिन्न स्थानों में उत्पन्न विद्युत से केरल ग्रिड जाल का पोषण होता है और उसका उपयोग घरेलू, वाणिज्यिक, कृषि सम्बन्धी और औद्योगिक प्रयोजनों के लिए किया जाता है।

विवरण-1

	स्थल का नाम	60 प्रतिशत भार अनुपात पर पक्की विद्युत शक्यता (मैगावाट)
1.	पंबियार कक्कियार नदी पर पंबा-कक्की	226.0
2.	पंबियार नदी पर कक्कड	50.0
3.	पेरियार नदी पर इडिक्की	348.0
4.	केल्लर नदी पर केल्लर	18.0
5.	पेरींजाकुट्टी पर पेरींजाकुट्टी	120.0
6.	मुदीरापुभा नदी पर पल्लीवसल	53.3
7.	मुदीरापुभा नदी पर लक्ष्मी	30.0
8.	मुदीरापुभा नदी पर सेंगुलम	55.0

9.	मुदीरापुझा नदी पर नेरियामंगलम	58.5
10.	पन्नियार नदी पर पन्नियार	26.0
11.	पेरियार नदी पर लोअर पेरियार	91.0
12.	पुयनकुट्टी नदी पर पुयनकुट्टी	25.0
13.	शोलियार नदी पर शोलियार	41.5
14.	चलकुडी नदी पर पोरिंगलकुटू एल० बी०	25.0
15.	चलकुडी नदी पर पोरिंगलकुटू आर० बी०	92.0
16.	चलकुडी नदी पर लोअर चलकुडी	78.5
17.	कुंडी-पुझा नदी पर साइलेंट वैली	78.0
18.	कुट्टियादी नदी पर कुट्टियादी	67.7
19.	बारापोल नदी पर बारापोल-दो	56.0
	जोड़	1539.5

विवरण-2

स्कीम	क्षमता (किलोवाट)	पक्की विद्युत (किलोवाट)	विद्युत उत्पादन 1970-71 (मिलियन यूनिट)
पालीवसल	37500	32500	102.2
सेंगुलम	48000	20800	151.0
नेरियामंगलम	45000	27300	244.5
पोरिंगलकुट्टू	32000	16900	186.7
पेनियार	30000	19500	59.2
शोलायर	54000	26600	247.7
सबरीगिरी	300000	138500	1133.3
			2,124.6

ऊपर लिखी परियोजना के अलावा कुट्टियाडी परियोजना और इडिक्की जल विद्युत परियोजना निर्माणाधीन हैं। आशा है कि 75 मैगावाट (3 × 25 मैगावाट) के संस्थापन से कुट्टियाडी परियोजना जुलाई, 1971 तक पूरी हो जाएगी। इडिक्की परियोजना के प्रथम चरण में 130-130 मैगावाट के 3 यूनिटों का प्रतिष्ठापन परिकल्पित है। इस स्थान वाले 130 मैगावाट के प्रथम यूनिट के 1973-74 में चालू हो जाने की और दूसरे दो यूनिटों के पांचवीं योजना की अवधि के शुरू में चालू होने की आशा है। इस परियोजना के दूसरे चरण के विस्तार कार्य में 130 मैगावाट के और तीन यूनिटों का प्रतिष्ठापन किया जाना है, जिससे इस केन्द्र का प्रचालन एक उच्चतम

भारवाही (पीकिंग) केन्द्र के रूप में किया जा सकेगा। सलाहकार समिति ने इस विस्तार-कार्य को कार्यान्वयन के लिए मुक्त कर दिया है। कुट्टियाडी परियोजना से 2450 लाख यूनिट और इडिक्की परियोजना से लगभग 18650 लाख यूनिट विद्युत उपलब्ध होगी।

दिल्ली के लिए रिंग रेलवे

*509. **श्री अमरनाथ चावला** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में रेलवे का निर्माण कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पूरा किया जायेगा ;

(ख) निर्माण कार्य इस समय किस अवस्था में है ; और

(ग) यह रेल किस तिथि से चालू होगी ?

रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) से (ग) : दिल्ली में रिंग रेलवे के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली और मद्रास में परिवहन सम्बन्धी आवश्यकताओं के अध्ययन के लिए 1965 में योजना आयोग द्वारा महानगर परिवहन पर एक अध्ययन दल का गठन किया गया था। इस दल की प्रारम्भिक जांच से मालूम हुआ कि दिल्ली के लिए व्यापक द्रुत परिवहन प्रणाली (महानगर रेल प्रणाली) की आवश्यकता होगी।

महानगर परिवहन दल द्वारा केन्दीय सड़क अनुसन्धान संस्थान को दिल्ली के विस्तृत याता-यात एवं परिवहन अध्ययन का जो काम सौंपा गया था वह पूरा हो गया है। अध्ययन से प्राप्त आंकड़ों पर विचार करने से ऐसी संभावना है कि महानगर परिवहन दल शीघ्र ही इस निष्कर्ष पर पहुंच जायेगा कि अपेक्षित महानगरीय रेल लाइनों के लिए किस तरह के 'गालियारे' होने चाहिए, अर्थात त्रिज्याकार, चक्राकार या अन्य प्रकार के। महानगर परिवहन दल की सिफारिशें उपलब्ध होने के बाद, यह विनिश्चय करने के लिए रेलवे तकनीकी-आर्थिक व्यावहारिकता अध्ययन शुरू करेगी कि दिल्ली की महानगर रेल प्रणाली को कौन सी प्रणाली सर्वाधिक उपयुक्त रहेगी-ऊपरी या भूमिगत। इन अध्ययनों के लिए चालू वर्ष में रेलवे बजट में इनकी व्यवस्था की गयी है।

सलेम और नवेली के बीच बड़ी लाइन

*510. **श्री जी० भुवाराहल** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेगें कि :

(क) क्या सलेम इस्पात संयंत्र के महत्व को देखते हुए सलेम और नवेली के बीच बड़ी लाइन बिछाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कार्य कब आरम्भ किया जायेगा ?

रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी नही।

(ख) सवाल नहीं उठता।

रेलवे विद्युतीकरण कर्मचारियों द्वारा न्यायालयों में लेख याचिका का दर्ज किया जाना

2109. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे विद्युतीकरण के अधिकांश तीसरी श्रेणी के कर्मचारियों ने विभिन्न उच्च न्यायालयों में याचिकाएं दर्ज की हैं ;

(ख) क्या अधिकांश मामलों में रेलवे प्रशासन मुकदमा हार गया है और इस बारे में सरकार द्वारा एक बहुत बड़ी धनराशि खर्च की गई है ;

(ग) यदि हाँ, तो कुल खर्चा, जिससे सम्बन्धित कर्मचारियों का वेतन भी शामिल है, कितना हुआ ; और

(घ) क्या कुछ संसद सदस्यों ने रेलवे प्रशासन से उन मामलों का निबटारा बातचीत द्वारा करने का अनुरोध किया है और यदि हाँ, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

Withdrawal of Trains on Central Railway

2110. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government have withdrawn some passenger trains on the Central Railway ; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri Hanumanthaiya) : **(a) and** (b) Yes, on Bhusawal-Itarsi section one pair of train No. 349-350 was cancelled and on Yavatmal-Achalpur Narrow Gauge section 2 pairs of mixed trains viz. 633-634 and 641-642 and on Jalamb-Khamgaon section a pair of Mixed trains viz., 425-424 were cancelled.

No. 349-350 was cancelled in August, '68 to accommodate a couple of the Western Railway trains which had to be diverted via Bhusawal-Itarsi Central Railway route on account of breaches on Western Railway.

An alternative service was, however provided by granting stoppage to No. 57-58 and No. 41-42 Expresses at some of the important stations of the section. In addition, from 1-4-71, the timings of No. 357-358 Passenger have also been adjusted in Bhusawal-Itarsi section to suit the convenience of affected passengers.

No. 633/634 and No. 641/642, the narrow gauge mixed trains, were cancelled on account of locomotives having become overaged and their service being unsatisfactory and the Central Province Railway Company to whom the locomotives belong and for whom the Central Railway works this N. G. section having disagreed to bear the cost of their replacement. No. 641/642 Murtajapur-Yavatmal mixed trains have since been restored from 1-4-1971.

Introduction of new Trains between Bombay Delhi and Bombay-Allahabad

2111. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that no new Railway trains have been introduced during the last several years between Bombay-Delhi and Bombay-Allahabad stations except Janta Express trains despite acute shortage of local trains ;

(b) whether Government proposes to introduce any new trains on these routes ; and

(c) if so, the time by which such trains will be introduced ?

The Minister of Railways (Shri Hanumanthaiya): (a) No. From 1.4.1970 a Janta Express has been introduced between Bombay and Allahabad on 5 days a week by increasing the frequency from 2 days a week to all the 7 days. Also from 1.4.1971 load of Nos. 7-8 Bombay-Howrah Mail via Allahabad has been augmented by 3 coaches by putting on a diesel loco. On Bombay-Delhi route No. 5-6 Punjab Mail and Nos.

57-58 Amritsar Express have been dieselised providing altogether 6 more coach accommodation per day.

(b) and (c) A proposal for introduction of a weekly janta Express between Bombay V. T. and Bina is under consideration. Implementation of this proposal depends on availability of additional facilities at Bina which are likely to be developed in about a year.

Shortage of Passenger Trains between Bhusaval and Itarsi Railway Stations

2112. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether acute shortage of passenger trains has been felt due to the withdrawal of a passenger train operating between Bhusaval and Itarsi Railway stations ;

(b) whether the passengers have to face great inconvenience while boarding the trains and alighting from trains at small stations falling in between the aforesaid two Railway Stations ;

(c) if so, whether Government propose to increase Passenger Trains in this section ; and

(d) if so, the time by which such an arrangement would be done and the number of additional trains proposed to be introduced there ?

The Minister of Railways (Shri Hanumanthaiya): (a) No.

(b) No. The inconvenience of the public who used to avail of the former 349 Dn-350 Up Bhusawal-Itarsi Passenger, has been overcome to a large extent by adjusting, from 1.4.71, the timings of 357 Dn-358 Up Passenger trains between Bhusawal and Itarsi to provide a convenient morning service towards Itarsi and an evening service from Itarsi towards Khandwa. Also No. 57-58 and No. 41-42 Expresses have been provided stoppages at some of these stations to cater to the interests of affected passengers.

(c) and (d). It is proposed to introduce a weekly Janata Express between Bombay VT. and Bina sometime in 1972.

न्यायालयों में लम्बित मामलों का शीघ्र निपटाया जाना

2113. **श्री सोमचन्द सोलंकी** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के विभिन्न उच्च न्यायालयों में मालिकों और मजदूरों की माँगों के बारे में कितने औद्योगिक विवादों में अपील के मामले लम्बित हैं और वे कब से लम्बित हैं ;

(ख) उनमें से कितने मामलों का निर्णय गत वर्ष हो चुका है ; और

(ग) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों को उन मामलों का शीघ्र निपटारा करने के अनुदेश दिये हैं ?

विधि और न्याय मन्त्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) से (ग) जानकारी मंगाई जा रही है और उसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा ।

दिल्ली और अहमदाबाद के बीच राजधानी एक्सप्रेस

2114. **श्री सोमचन्द सोलंकी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दिल्ली और अहमदाबाद के बीच मीटर गेज लाइन पर राजधानी एक्सप्रेस गाड़ी चलाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त प्रस्ताव को कब तक क्रियान्वित किया जायेगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) रेल मन्त्रालय ने दिल्ली और अहमदाबाद के बीच मीटर लाइन पर राजधानी एक्सप्रेस चलाने की आवश्यकता को सिद्धान्ततः स्वीकार कर लिया है ।

(ख) और (ग) इस गाड़ी का चलाया जाना व्यावहारिकता अध्ययन के परिणाम पर निर्भर है जो कि किया जा रहा है ।

कागज उद्योग पर पे टैरिफ नियन्त्रण हटाया जाना

2115. **श्री मनोरंजन हाजरा** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कागज उद्योग पर से टैरिफ नियंत्रण हटाये जाने के परिणामस्वरूप दियासलाई उद्योग के लिए अपेक्षित नीले दियासलाई कागज तथा कागज की अन्य किस्मों के मूल्य पिछले 2 वर्षों के दौरान अत्यधिक बढ़ाये गये थे ;

(ख) यदि हां, तो प्रशुल्क नियंत्रण हटाने के क्या कारण थे ; और

(ग) नीले दियासलाई कागज तथा अन्य किस्मों के कागज के मूल्यों को नियंत्रित रखने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) मई, 1968 से, जब कागज पर से मूल्य नियंत्रण हटाया गया था, कागज की कीमतों में 350 रु० से 400 रु० तक की वृद्धि हुई है । दियासलाई उद्योग में काम आने वाले नीले दियासलाई कागज के मूल्यों में हुई वास्तविक वृद्धि के सम्बन्ध में सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) कागज की अच्छी सम्भरण स्थिति को देखकर और कागज उद्योग में विनियोजन को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता को देखते हुए कागज पर लगा मूल्य नियंत्रण मई, 1968 में हटाया गया था ।

(ग) सरकार द्वारा नियुक्त समिति कागज के मूल्यों की समय-समय पर संवीक्षा करती है और निर्माताओं पर कीमतें कम करने के लिए दबाव डाल रही है ।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के पिंजोर यूनिट का विस्तार

2116. **श्री एस० एम० बनर्जी** : **श्री डी० के० पांडा** :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड ने पिंजौरा में और अधिक विस्तार करने की योजना बनाई हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या उक्त विस्तार से रोजगार-क्षमता में भी वृद्धि होगी ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड के पिंजोर एकक में ट्रैक्टर बनाने की एक परि-योजना स्थापित करने का विचार है ।

(ख) और (ग) ऐसा विचार है कि मे० मोटोकोव फारेन ट्रेड कारपोरेशन; प्राहा (चेको-

स्लोवाकिया) के तकनीकी सहयोग से ट्रैक्टर परियोजना प्रतिवर्ष 20 करोड़ रुपये के मूल्य के 12,000 एच० एम० टी० जीटर ट्रैक्टर बनाने गेगी। कम्पनी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर रही है। इस परियोजना पर 4.91 करोड़ रुपये खर्च किये जाने की आशा है। इस परियोजना में पूर्णरूप से उत्पादन करने में लगने वाले अतिरिक्त कर्मचारियों की कुल संख्या के बारे में तभी मालूम हो सकेगा जबकि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार हो जाएगी।

फरक्का बांध के बारे में भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत

2117. **श्री एच० एम० पटेल** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरक्का बांध के बारे में बातचीत पुनः आरम्भ करने हेतु भारत या पाकिस्तान ने कोई पहल की है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख) जनवरी, 1971 में अपने पत्र में भारत सरकार ने यह सुझाव दिया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच सचिवों के स्तर पर एक बैठक होनी चाहिए। पाकिस्तान सरकार इस पर राजी हो गई है। बैठक की तारीख का अभी तक फैसला नहीं हुआ है।

अमूल बेबी फूड का मूल्य

2118. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमूल बेबी फूड के निर्माताओं ने बेबी फूड के मूल्य में लगभग 8 प्रतिशत की वृद्धि करने के लिये सरकार से अनुमति मांगी थी ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी हां।

(ख) कम्पनी को बच्चों के दुग्ध आहार के मूल्य में, विस्तृत जांच होने तक अन्तरिम रूप में 4 प्रतिशत वृद्धि करने की स्वीकृति दी गई है।

दिल्ली विद्युत प्रदाय के गोदामों से तांबे के तारों की चोरी

2119. **श्री के० लकप्पा** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1968 में दिल्ली विद्युत प्रदाय के रोहतक रोड स्थित गोदाम से ताँबे के तार चोरी चले जाने के समाचार का पता लगा था ;

(ख) क्या इस बारे में कोई जांच की गई थी और यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ; और

(ग) अपराधी व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) जी हाँ। 6-12-1968 को रोहतक रोड पर स्थित दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के गोदाम में ड्रमों में से विभिन्न आकार के 935 मीटर लम्बे तार गुम पाए गए थे।

(ख) पंजाबी बाग थाने में लिखाई गई चोरी की रिपोर्ट के आधार पर, भारतीय दण्ड-

संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत एक मामला दर्ज किया गया था। बहरहाल, चूंकि कथित चोरी का कोई सुराग नहीं मिल सका, इसलिए पुलिस ने इस मामले को 25-3-1969 को खोज न हो सकी के रूप में फाइल कर दिया। ज्ञात हुआ है कि दिल्ली नगर निगम ने हाल ही में इस मामले को केन्द्रीय जांच ब्यूरो को भेजने का निर्णय किया है।

(ग) उपर्युक्त उत्तर (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

मैसूर उच्च न्यायालय में अनिर्णीत मुकदमे

2120. **श्री के० लकप्पा** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर उच्च न्यायालय में 1 अप्रैल, 1971 तक अनिर्णीत मुकदमों की संख्या कितनी थीं ;

(ख) उनमें से कितने मुकदमें एक वर्ष से अधिक अवधि से अनिर्णीत पड़े हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार मैसूर उच्च न्यायालय में अनिर्णीत मुकदमों को निपटाने के लिये कुछ अधिक न्यायाधीश नियुक्त करने का है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) लम्बित मामलों की 1 जनवरी, 1971 तक की संख्या 18,877 हैं। 1 अप्रैल, 1971 तक के आंकड़े तत्काल उपलभ्य नहीं हैं।

(ख) 7,220।

(ग) यदि न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या, संस्थित किए जाने वाले और लम्बित मामलों पर काबू पाने के लिए पर्याप्त नहीं समझी जाती है तो उनकी संख्या में अभिवृद्धि का प्रस्ताव रखना राज्य प्राधिकारियों का काम है। न्यायाधीशों की संख्या में ऐसी अभिवृद्धि का कोई भी प्रस्ताव भारत सरकार को नहीं मिला है।

न्यायपालिका की प्रतिष्ठा कम किये जाने के बारे में मुख्य न्यायाधीश का कथित वक्तव्य

2121. **श्री एच० एम० पटेल** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 14 मार्च, 1971 के "सन्डे स्टैण्डर्ड" में प्रकाशित भारत के मुख्य न्यायाधीश के इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जो उन्होंने पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन सम्मेलन का उदघाटन करते समय दिया था जिसमें उन्होंने इस बात की निन्दा की थी कि देश में न्यायपालिका की प्रतिष्ठा को कम करने के लिये कुछ स्थान पर छलपूर्ण प्रयास किये जा रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) सरकार ने वह प्रेस संवाद देखा है जिसके प्रति निर्देश किया गया है।

(ख) सरकार को इस बात का ज्ञान नहीं है कि न्यायपालिका की प्रतिष्ठा को घटाने के लिए कोई भी ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं। न्यायपालिका की स्वतन्त्रता संविधान द्वारा पूर्णत: प्रत्याभूत हैं।

Memorandum by Vidyut Karamchari Sangh Madhya Pradesh

2122. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether Government have received any memorandum from the Vidyut Karamchari Sangh, Korba (Madhya Pradesh) demanding a high level enquiry into the working of Thermal Power Station at Korba;

(b) if so, the charges levelled therein; and

(c) the action taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigaton and Power (Shri Baij Nath Kureel) (a) : No, Sir.

(b) and (c) : Do not arise.

सिंचाई आयोग के कार्य की प्रगति

2123. **श्री श्यामनन्दन मिश्र :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंचाई आयोग के कार्य के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) क्या आयोग से कोई अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) आयोग ने आंध्र प्रदेश, गुजरात, जम्मू व कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मैसूर, नागालैण्ड, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश का दौरा किया है और राज्य सरकारों, विभागाध्यक्षों, संसद-सदस्यों, विधान सभा सदस्यों तथा किसानों के साथ विचार-विमर्श किया है। विभिन्न केन्द्रीय अभिकरणों से आंकड़े एकत्र किए गए हैं। राज्यों से प्राप्त प्रश्नावली के उत्तरों की जांच हो चुकी है। इस समय आयोग अपनी रिपोर्ट का मसौदा तैयार करने में लगा हुआ है।

(ख) चूंकि रिपोर्ट का चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक प्रस्तुत होना प्रत्याशित है, इसलिए आयोग से अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

जापान के सहयोग से ट्रैक्टर बनाने के लिये लाइसेंस

2124. **श्री शशि भूषण :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान के सहयोग से ट्रैक्टर बनाने के लिये किसी फार्म को लाइसेन्स दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त कारखाना कहां स्थित होगा ; और उसमें कितनी पूंजी लगाई जायेगी ;

(ग) उक्त कारखाने में कितने ट्रैक्टरों का प्रतिवर्ष निर्माण होगा और उक्त कारखाने में बने ट्रैक्टर बाजार में कब आ जाएंगे ; और

(घ) उक्त ट्रैक्टरों में कितने विदेशी उपकरणों का प्रयोग होगा और इनको लगभग किस कीमत पर लोगों को बेचा जायेगा ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, नहीं, मे० बाइफोर्ड प्राइवेट लि०, नई दिल्ली को जापान की फर्म के सहयोग से "शिबौरा" (37 अश्व शक्ति) कृषि ट्रैक्टर बनाने के लिए नया औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने हेतु औद्योगिक लाइसेंस हेतु दिनांक 12-11-1970 को एक आशय पत्र जारी किया गया है।

(ख) पार्टी का विचार 3·55 करोड़ रुपये की कुल पूंजी से चण्डीगढ़ के निकट मोहाली ग्राम में कारखाना स्थापित करने का है।

(ग) फर्म को प्रतिवर्ष 6,000 ट्रैक्टर बनाने के लिये आशय पत्र प्रदान किया गया है। इस अवस्था में स्पष्ट रूप से कहना सम्भव नहीं है कि फर्म द्वारा बनाये जाने वाले प्रस्तावित ट्रैक्टर जनता को बिक्री के लिये कब उपलब्ध होंगे।

(घ) फर्म प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत विदेशी हिस्से पुर्जों से निर्माण कार्य प्रारम्भ करेगी, और उत्पादन के तृतीय वर्ष में यथा सम्भव करीब 100 प्रतिशत देशी साधनों से निर्माण करने लगेगी। फर्म में कारखाने से निकलते समय ट्रैक्टर का मूल्य 21,000/- रुपये करने का अनुमान लगाया है।

Progress of Kamla Balan Dam, Bihar

2125. **Shri R. B. Paswan** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) whether the work on the Kamla Balan Dam (Darbhanga District, Bihar), attached to Kosi Dam has been halted at Darjia;

(b) whether the general public has appealed to Government that this Dam should be extended from Darjia to Agar Ghat via Tikeshwar; and

(c) if so, whether Government propose to expedite the completion of this Dam in the public interest ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Baij Nath Kureel) : (a) to (c) The Kamla balan embankments have been constructed up to Darjia. The Government are aware of the demand of the people for the extension of embankments. Investigations for preparing a feasibility report for extension of embankments have been taken up by the State Government of Bihar.

Construction of Willy Dam

2126. **Shri R. B. Paswan** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) whether there is a proposal for construction of a 'Willy Dam' from Bhantha to Rajwa in Darbhanga District (Bihar) in Viraul Division; and

(b) if so, when Government propose to complete this Dam ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Baij Nath Kureel) : (a) and (b). The information is being collected from the Government of Bihar and will be laid on the Table of the House as soon as possible.

River Water Projects in Madhya Pradesh for Fourth Plan

2127. **Dr. Laxminarain Pandey** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the names of the river water projects sanctioned by the Planning Commission for Madhya Pradesh during the Fourth Five Year Plan ;

(b) the total amount of expenditure likely to be incurred on each of the said sanctioned projects; and

(c) the number and names of the projects on which preliminary work has been started ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Baij Nath Kureel) : (a) and (b) : The following five new schemes have been approved by the Planning Commission for inclusion in the Fourth Plan of Madhya Pradesh:

Name of Scheme	Estimated cost Rs. lakhs.
1. Ba-rgoor	71.74

2.	Putkanalla	63.53
3.	Jamni Dam	61.26
4.	Mayana Tank	51.40
5.	Kunwarpur	98.83

(c) : No preliminary or other works have been authorised by the Planning Commission on any other projects.

रेलगाड़ियों में माल चोरी हो जाने के कारण हुई कमी से उद्योगपतियों को घाटा

2128. **श्री राजदेव सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलगाड़ियों में चोरी और उनके दावों के निपटान में विलम्ब के कारण उद्योग-पतियों और छोटे उपभोक्ताओं को अत्यधिक हानि हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश में बाढ़ नियंत्रण की योजना

2129. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार से उस राज्य में बाढ़ पर नियंत्रण करने के लिए ब्यौरेवार योजना तैयार करने की सिफारिश की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में राज्य सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण बोर्ड ने नवम्बर, 1970 में बुलायी गई अपनी 15 वीं बैठक में दो प्राथमिकता वाले निर्माण-कार्यों का संकेत देते हुए बाढ़-नियंत्रण की एक व्यापक योजना दो वर्ष के भीतर तैयार करने की सिफारिश की थी। तदनुसार, उत्तर प्रदेश की सरकार सहित सभी राज्य सरकारों से यह निवेदन किया गया है कि वे 1972 के अन्त तक अपनी योजनाएं तैयार कर लें।

(ख) उत्तर प्रदेश की सरकार ने बताया है कि व्यापक योजना तैयार करने के संबंध में राज्य की अनेक नदियों का आवश्यक सर्वेक्षण और जांच कार्य चलाने के लिए 95 लाख रुपये का एक प्राक्कलन तैयार किया गया है और इस सम्बन्ध में आगे की प्रक्रिया जारी है।

Provision of Drinking water in the Villages on either side of Neavx Lunakaran Lift Irrigation canal

2130. **Shri P. L. Barupal** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether there is any scheme for providing drinking water in the villages located on either side of the Lunakaran Lift Irrigation Canal, a branch of the Rajasthan Canal with a view to solving the water crisis faced by the residents of these villages ;

(b) if so, the time by which the said scheme is likely to be completed ; and

(c) which rural areas in Bikaner District would be provided with irrigation and drinking water facilities under this Lift Irrigation Scheme ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Biaj Nath Kureel) : (a) and (b) : There is no separate scheme for supplying water for drinking purposes. As per the practice prevalent in the State, drinking water from the canals is given to all those villages which come under the command of the canals. The Lunkaransar Bikaner Lift Irrigation Scheme is likely to be completed by the end of 1972-73.

(c) 35 villages of Lunkaransar Tehsil and 41 villages of Bikaner Tehsil would be covered by the Scheme.

Alleged Discrimination in allotment of wagons to Firms in Ganganagar Parliamentary Constituency

2131. **Shri P. L Barupal** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether a certain firm located in the Ganganagar Parliamentary Constituency of Rajasthan was allotted 80 wagons in the month of March last in Shreeranpur, Kesrisinghpur, Kaiyamarkot and Ramsinghpur markets at the rate of 20 wagons each, whereas the other traders who had also made similar requests were not allotted any wagons ; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri Hanumanthaiya) : (a) No. Ad hoc assistance for movement of only 6 wagons of mustard seeds was given to one firm towards the end of March 1971 from Ramsinghpur and Shri Bijainagar stations in Bikaner Division as the party approached Northern Railway for distress allotment to prevent closure of their oil mils. Similar ad hoc assistance for movement of mustard seeds was also given to four other parties from stations in the area in April, 1971.

(d) whenever booking via any particular route is restricted or regulated for a long period ad hoc assistance for movement of a few wagons is given to parties in deserving cases to prevent closure of industries.

उत्तरी लखीमपुर रेलवे स्टेशन पर हुई चोरी

2132. **श्री मुहम्मद शरीफ** : **श्री बी० के० दासचौधरी** :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरी लखीमपुर रेलवे स्टेशन पर स्टेशन मास्टर के कार्यालय में 13 मई, 1971 की रात को हुई चोरी की कोई जांच की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी हां ।

(ख) नार्थ लखीमपुर की सरकारी रेलवे पुलिस ने मामला दर्ज करके नार्थ लखीमपुर के स्टेशन मास्टर को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य अपराधी कर्मचारियों के विरुद्ध भी विभागीय कार्रवाई की जा रही है ।

फारिन ट्रैफिक अकाउन्ट्स आफिस, दिल्ली (पश्चिमी रेलवे) में अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति

2133. **श्री मुहम्मद इस्माइल** : **श्रीमती विभा घोष** :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी रेलवे ने काम बढ़ जाने के कारण फारिन ट्रैफिक एकाउन्टस आफिस, पश्चिमी रेलवे, दिल्ली में अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त करने के लिए क्या औचित्य बताया है ;

(ख) किन-किन कार्यों के लिये कर्मचारियों की नियुक्ति की मन्जूरी दी गई है ; और

(ग) किन-किन कार्यों के लिए कर्मचारियों को नियुक्त करने की मन्जूरी नहीं दी गई है और इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) से (ग) पश्चिम रेल प्रशासन ने "इतर यातायात लेखा कार्यालय, दिल्ली", के लिए 33 लिपिक वर्गीय पद बनाने और इस प्रकार बनाये गये पदों में फालतू कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए रेलवे बोर्ड का अनुमोदन मांगा था। इसके औचित्य के दो पहलू बताये गये थे :—

(i) यातायात में वृद्धि और उसके परिणामस्वरूप कार्यभार में वृद्धि होना ; और

(ii) यातायात लेखों से सम्बन्धित लेखा कार्यविधियों के सरलीकरण और यांत्रिकीकरण से सम्बद्ध प्रक्रियाओं के लिए अतिरिक्त आवश्यकताएं।

प्रशासनिक व्यय में किफायत करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए और सावधानी-पूर्वक जाँच करने तथा समग्र स्थिति का जायजा लेने के बाद केवल 17 पद बनाने की मंजूरी दी गयी; इन पदों का उपयोग रेल प्रशासन द्वारा आवश्यक समझे जाने वाले कामों के लिए किया जाना था।

रेलवे विद्युतीकरण के नैमित्तिक कर्मचारियों का बहाल करना

2134. **श्री चन्द्रिका प्रसाद** : **श्री एस० एम० बनर्जी** :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे विद्युतीकरण के उन नैमित्तिक कर्मचारियों को जो जेल गये थे भूतपूर्व रेलवे मन्त्री द्वारा यह स्पष्ट आदेश देने के बाद भी कि उन सब कर्मचारियों को बहाल कर दिया जायेगा अब तक उन्हें बहाल नहीं किया गया है ;

(ख) क्या इस बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि रेलवे विद्युतीकरण के नियंत्रण अधिकारी नैमित्तिक कर्मचारियों को वरिष्ठता के अनुसार बहाल नहीं कर रहे हैं ;

(ग) क्या उक्त नैमित्तिक कर्मचारियों के पते विभिन्न अधीनस्थ कार्यालयों के रिकार्ड में उपलब्ध हैं ; और

(घ) यदि हां, तो वरिष्ठ कर्मचारियों के अधिकार की उपेक्षा कर कनिष्ठ कर्मचारियों को बहाल करने के क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया) : (क, से (घ) किसी भी समय ऐसा विनिश्चय नहीं किया गया कि चाहे काम उपलब्ध हो अथवा न हो, सभी बर्खास्त नैमित्तिक मजदूरों को फिर से काम पर लगा दिया जायेगा। काम कम हो जाने के कारण रेलवे बिजलीकरण संगठन उतने नैमित्तिक मजदूरों को नहीं लगाये रह सकता जितने कि नैमित्तिक मजदूरों के जेल जाने से पहले लगे हुए थे। बर्खास्त नैमित्तिक मजदूरों में से जो अधिक उपयुक्त थे उन्हें बाहरी व्यक्तियों को हटाकर, वापस ले लिया गया। कुछ मामलों में काम के लिए बुलाए जाने पर कनिष्ठ मजदूर फौरन हाजिर हो गये। कुछ मामलों में नैमित्तिक मजदूरों के पते उपलब्ध नहीं थे।

(ख) जी हां।

रेलवे के खर्च में कमी

2135. **श्री निहार लास्कर : श्री एस० एम० कृष्ण :**

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे मन्त्रालय किसी ऐसे प्रस्ताव पर विचार कर रहा है जिससे रेलवे के खर्च को कम किया जा सके ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन मदों पर खर्च में कमी की जायेगी ; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप कुल कितनी राशि की बचत होने की सम्भावना है ?

रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी हां ।

(ख) रेलों के साधारण संचालन व्यय के अन्तर्गत तदर्थ कमी करने का प्रस्ताव है ।

(ग) ऐसा करने से कितनी बचत होगी इसका निश्चित अनुमान अभी इतनी जल्दी नहीं लगाया जा सकता ।

रेलवे सम्बन्धी वांचू समिति का सुझाव

2136. **श्री एन० शिवप्पा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेलों पर वांचू समिति द्वारा दिये गये सुझावों पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय लिये हैं ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी हां ।

(ख) रेल दुर्घटना जांच समिति-1968 (वांचू समिति) ने अपनी रिपोर्ट दो भागों में प्रस्तुत की थी । पहला भाग नवम्बर, 1968 में और दूसरा तथा अन्तिम भाग अगस्त, 1969 में प्रस्तुत किया गया ।

रिपोर्ट के प्रथम भाग पर विस्तार से विचार किया गया था और रिपोर्ट के इस भाग पर 'रेल मन्त्रालय (रेलवे बोर्ड) के विचार' एक पुस्तिका में छपवाये गये थे जिसकी प्रतियां फरवरी, 1969 में रेलवे बजट प्रलेखों के साथ बांटी गयी थीं । इस भाग में कुल 229 मदें हैं जिनमें से 139 विचार के रूप में तथा 90 सिफारिशों के रूप में हैं । इन सभी सिफारिशों को स्वीकार किया जा चुका है ।

रिपोर्ट के द्वितीय भाग में रेल संचालन के कई पहलू दिये गये हैं । इस भाग पर भी सविस्तार विचार किया गया है और रिपोर्ट के इस भाग पर 'रेल मन्त्रालय (रेलवे बोर्ड) के विचार' एक पुस्तिका में छपवाये गये थे, जिसकी प्रतियां 24-2-1970 को सभा पटल पर रख दी गयी थीं । रिपोर्ट के इस भाग में कुल 500 विचार और सिफारिशें सन्निहित हैं, जिनमें से 51 अनिवार्यतः विचार के रूप में हैं तथा शेष 449 सिफारिशों के रूप में । इनमें से 292 सिफारिशों को (जिनमें से 74 चालू नीति या परिपाटी के अनुरूप हैं) स्वीकृति प्रदान कर दी गई है, अन्य 29 सिफारिशें अंशतः स्वीकृत की गयी हैं और 63 को स्वीकृति प्रदान नहीं की गयी हैं । शेष 65 सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है क्योंकि इनमें से कई पर अन्य विभागों या मन्त्रालयों से परामर्श अपेक्षित है तथा अन्य सिफारिशों के आशय के सम्बन्ध में ब्यौरेवार जांच अपेक्षित है । जाँच का काम प्रगति पर है और इन सिफारिशों पर शीघ्रतापूर्वक अंतिम रूप से फैसला करने के लिए बराबर ध्यान दिया जा रहा है ।

इन रिपोर्टों पर 'सरकारी विचार' के अनुरूप इन दोनों भाग के विचार और सिफारिशों की विभिन्न मदों पर, यथा अपेक्षित, कार्रवाई प्रारम्भ की जा चुकी है और इनके कार्यान्वयन पर कड़ी निगाह रखी जा रही हैं। स्वीकार की गयो कई सिफारिशें पहले ही कार्यान्वित हो चुकी हैं।

वस्तुओं की छुटपुट चोरी, वैगन तोड़ने, आदि के कारण रेल विभाग को घाटा

2137. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968-69 और 1969-70 के दौरान पार्सलों और वस्तुओं की छुटपुट चोरी के कारण रेल विभाग को कितनी राशि का घाटा हुआ ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान वैगनों के तोड़े जाने के कारण रेल विभाग को कितनी राशि का घाटा हुआ ;

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान रेलवे की सम्पत्ति की चोरी के कारण कुल कितना घाटा हुआ ;

(घ) इसी अवधि के दौरान रेलवे सुरक्षा दल के रख रखाव और चोरी/छुटपुट चोरी/वैगन तोड़ने आदि को रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था पर कितनी राशि व्यय की गई ; और

(ङ) इस सम्बन्ध में रेलवे प्रशासन द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं ?

रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) चोरी के कारण रेलों को हुई हानि का एकमात्र विश्वस्त सूचकांक, इस शीर्षक के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति के रूप में भुगतान की गयी रकम है। 1968-69 और 1969–70 के दौरान चोरियों के कारण भुगतान की गयी क्षतिपूर्ति की रकम क्रमशः 4,33,76,371 रुपये और 4,87,29,403 रुपये थी।

(ख) माल डिब्बों की तोड़-फोड़ के कारण रेलों को हुई हानि के आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते।

(ग) उपर्युक्त अवधि में रेल सम्पत्ति की चोरी होने के कारण भारतीय रेलों को हुई कुल हानि क्रमशः 32.08 लाख रुपये और 35.68 लाख रुपये थी।

(घ) रेलवे सुरक्षा दल के अनुरक्षण पर खर्च की गयी रकम 1968-69 और 1969-70 की अवधि में क्रमशः 10.82 करोड़ और 11.40 करोड़ रुपये थी।

(ङ) एक विवरण संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 412/71.]

मनीपुर के मुख्य न्यायालयों का नये स्थानों पर ले जाया जाना

2139. **श्री एन० टोम्बी सिंह :** क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर सरकार राज्य के मुख्य न्यायालयों को किसी नये स्थान पर स्थानांतरित करने के बारे में विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

विधि और न्याय मन्त्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) जी हां।

(ख) सिविल तथा सेशन न्यायालयों को हटाकर लामफेलपाट ले जाने का विचार है तथा इस प्रयोजन के लिए एक योजना तैयार की गई है। जैसे ही और जब आवश्यक हो जाए, उच्च

न्यायालय भवन का निर्माण करने के लिए एक स्थल का भी चयन अनन्तिम रूप से कर लिया गया है ।

मनीपुर के विधि न्यायालयों में मुकदमों का शीघ्र निपटाया जाना

2140. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर के विधि न्यायालय में मुकदमों को शीघ्र निपटाने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विधि और न्याय मन्त्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) जी हाँ ।

(ख) न्यायिक आयुक्त द्वारा अनुदेश जारी किए गए हैं जिनमें पुराने मामलों को शीघ्र निपटाने के मार्ग निर्धारित करने के लिए, न्यायिक आयुक्त के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन आने वाले न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों के साथ मासिक अधिवेशन करने का निदेश जिला और सत्र न्यायाधीश को दिया गया है । हर सेशन केस और उसके अन्वेषण, उसे सेशन सुपुर्द करने की कार्यवाही और विचारण के बारे में एक मासिक विवरण भेजने का निदेश जिला और सत्र न्यायाधीश को दिया गया है । ऐसे विवरणों की जांच न्यायिक आयुक्त द्वारा वैयक्तिक रूप से की जाती है और यदि किसी अधिकारी के बारे में पता चलता है कि उसने ढीलेपन से काम लिया है तो पीठासीन अधिकारी से रिपोर्ट मांगी जाती है और जहां आवश्यकता होती है भविष्य में मार्ग दर्शन के लिए सुझाव दिए जाते हैं । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट पर चलने वाले मामलों में पुलिस के महानिरीक्षक को सलाह दी गई है कि वह मामले रजिस्ट्रीकरण से युक्तियुक्त समय के अन्दर चार्जशीट भेजने के निदेश अन्वेषण अधिकारियों को दे । न्यायिक आयुक्त ने अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सब न्यायालयों का स्वयं ही निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों के आधार पर आवश्यक अनुदेश इस सम्बन्ध में जारी किए कि स्थगन से कैसे बचा जाए और मामलों के निपटाने में जल्दी कैसे की जाए । न्यायिक आयुक्त द्वारा किए गए उपायों के फलस्वरूप पुराने लम्बित मामलों के आंकड़े बहुत ज्यादा घट गए हैं । न्यायिक आयुक्त के न्यायालय में लम्बित मामले, जो 30-4-1969 को 397 थे, 30-4-1971 को घटकर 214 रह गए हैं । इस प्रकार उपरोक्त कालावधि में, लम्बित मामले जिला और सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में 180 से घटकर 141, अपर जिला और सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में 166 से घटकर 94, उप न्यायाधीश के न्यायालय में 395 से घटकर 186 और पांच मुंसिफ मजिस्ट्रेट न्यायालयों में 1140 से घटकर 633 रह गए हैं ।

मनीपुर में वन उत्पादों पर आधारित उद्योगों की स्थापना

2141. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने मनीपुर के उत्पादों पर आधारित उद्योग स्थापित करने के कोई उपाय किये हैं ।

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : 1971-72 की वार्षिक योजना में मनीपुर प्रशासन ने केन्द्र शासित क्षेत्र मनीपुर में देवदार और बांस पर आधारित एक कागज मिल बनाने की योजना सम्बन्धी सुझाव दिया था । इस पर योजना आयोग के बड़े और मध्यम उद्योगों के अध्ययन दल द्वारा विचार किया गया उन्होंने आयोजना के लिए वन सम्पदा की पूर्ण उपलब्धिता का सुनिश्चय करने के लिए वनों का सर्वेक्षण करने की सिफारिश की । वनों का

सर्वेक्षण पूरा हो जाने के पश्चात योजना की सम्भाव्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए आंशिक व्यवस्था की गई है ।

मनीपुर के जिरीवाम सब डिवीजन तक रेल लाइनों का विस्तार

2142. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कछार में एक सुविधाजनक स्टेशन से मनीपुर के जिरीवाम सब-डिवीजन तक रेल लाइनों का विस्तार करने सम्बन्धी एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय किये जाने की सम्भावना है ?

रेल मन्त्री (श्री हनुमंतैया) : (क) जी नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

आटो साइकिलों के निर्माण हेतु लाइसेंसों के लिए आवेदन पत्र

2143. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या औद्योगिक विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान उनके मन्त्रालय में आटो-साइकिलों के निर्माण हेतु लाइसेन्सों के लिए प्राप्त आवेदन-पत्रों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या किसी फर्म को आटो-साइकिलों के निर्माण हेतु कोई लाइसेन्स दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उस फर्म का नाम क्या है और किस स्थान पर आटो-साइकिलें निर्मित की जायेंगी तथा इस परियोजना की अनुमानित लागत क्या है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) आटो साइकिलें बनाने के लिए सन 1968 के बाद निम्नलिखित आवेदन पत्र प्राप्त हुए :

1. मे० मद्रास मशीन टूल्स मैन्यूफैक्चरर्स लि० कोयम्वतूर, इन्होंने कोयम्बतूर में प्रतिवर्ष 3600 आटो-साइकिलें बनाने की क्षमता का एक नया एकक स्थापित करने के लिए नवम्बर, 1969 में आवेदन किया था। बाद में इन्होंने अपना आवेदन पत्र वापस ले लिया ।

2. मे० प्रदीप इण्ड० नई दिल्ली, हरयाणा, पलवल में, प्रतिवर्ष 10,000 आटो साइकिलें बनाने की क्षमता वाला एक एकक स्थापित करने के लिए इन्होंने जनवरी, 1970 में आवेदन किया था । चूंकि आवेदन पत्र उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के उपबन्धों के अधीन नहीं था अतः उन्हें सम्बन्धित अधिकारी से मिलने की सलाह दी गई और उनका आवेदन पत्र वापस ले लिया समझा गया ।

3. मे० कपूर इण्ड० को-आपरेटिव सोसाइटी लि० कानपुर इन्होंने स्कूटर और आटो-साइकिलें बनाने की एक मिश्रित योजना के लिए जनवरी, 1970 में आवेदन किया था । चूंकि इनकी योजना उपयुक्त ढंग से तैयार नहीं की गई थी अतः उसे रद्द कर दिया गया ।

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों में निम्नलिखित कम्पनियों को प्रति एकक 50,000 आटो साइकिलें प्रतिवर्ष बनाने के लिए औद्योगिक लाइसेंस स्वीकार किया गया है ।

पार्टी का नाम	औद्योगिक लाइसेंस जारी होने की तिथि	स्थापना स्थल	आवेदन पत्र में कम्पनी द्वारा दिखाई गई परियोजना की लागत (लाख रु० में)
1 मे० लक्ष्मी आटो साइकिल्स लि० मद्रास	10-3-69	दण्डकारण्य उड़ीसा	31.00
2. मे० सेन एण्ड पण्डित प्रा० लि० कलकत्ता	6-2-70	कलकत्ता (प० बंगाल)	235.00
3. मे० एटलस साइकिल इण्ड० सोनीपत, हरियाणा)	10-12-70	सोनीपत (हरियाणा)	49.00

इनके अतिरिक्त नीचे लिखी दो अन्य पार्टियों को भी प्रति पार्टी 50,000 आटो-साइकिलें प्रति वर्ष बनाने की क्षमता के लिए आशय पत्र जारी कर दिया है।।

पार्टी का नाम	आशय पत्र जारी करने की तिथि	स्थापना स्थल	आवेदन पत्र में दिखाई गई परियोजना लागत (लाख रु० में)
1. मे० हिन्दुस्तान स्टील प्राजेक्टस नई दिल्ली	17-1-67	गाजियाबाद (उ० प्र०)	33.00
2. मे० जे. जे. इण्ड० कारपोरेशन	17-1-67	रांची (बिहार)	37-00

आशय पत्रों की शर्तें पूरा करते ही इन्हें भी लाइसेंस दे दिया जाएगा।

राज्यों में प्रति व्यक्ति बिजली का उत्पादन और उसकी खपत

2144. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1971 तक देश के प्रत्येक राज्य में प्रति व्यक्ति बिजली का उत्पादन तथा खपत कितनी-कितनी थी ; और

(ख) गत तीन वर्षों में राज्यवार कौन-कौन सी नई विद्युत परियोजनाएं आरम्भ की गईं ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) देश में 1970-71 के लिये प्रति व्यक्ति विद्युत उत्पादन 109 किलोवाट का अनुमान लगाया गया है।

प्रत्येक राज्य में प्रति व्यक्ति विद्युत खपत नीचे सारणी में दी गई है:—

राज्य का नाम	प्रति व्यक्ति खपत (यूनिट में)
आन्ध्र प्रदेश	52
असम	21
बिहार	68
गुजरात	135

हरियाणा	93
हिमाचल प्रदेश	18
जम्मू व कश्मीर	41
केरल	71
मध्य प्रदेश	57
महाराष्ट्र	153
मैसूर	91
नागालैण्ड	6
उड़ीसा	94
पंजाब	159
राजस्थान	45
तमिलनाडु	128
उत्तर प्रदेश	53
पश्चिम बंगाल	118
दिल्ली	273
चंडीगढ़	223
मणिपुर	5
पांडिचेरी	185
त्रिपुरा	1
अखिल भारत	87

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान हाथ में ली गई नई परियोजनाओं को दिखाने वाला विवरण उपाबंध में संलग्न है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 413/71]**

जिला और सेशन न्यायाधीशों का अखिल भारतीय संवर्ग

2145. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जिला और सेशन न्यायाधीशों के लिए अखिल भारतीय संवर्ग बनाने पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उक्त प्रस्ताव कब क्रियान्वित किया जायेगा ?

विधि और न्याय मन्त्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का अन्तर्राज्यीय स्थानान्तरण

2146. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का अन्तर्राज्यीय स्थानान्तरण करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके लिए कोई योजना तैयार की गई है ; और

(ग) उक्त योजना को कब से लागू किया जायेगा ?

विधि और न्याय मन्त्री (श्री एच० आर० गोखले) (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

औद्योगिक लाइसेंस जारी करने के सम्बन्ध में अधिकारियों के विरूद्ध शिकायतें

2147. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक लाइसेंस जारी करने के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरूद्ध गम्भीर शिकायतें की गई हैं और इस प्रकार की कमियों और आचरण की जाँच पड़ताल करने के लिये कोई समिति या अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई है और न ही कोई अन्य व्यवस्था की गई है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार औद्योगिक कम्पनियों को लाइसेंस देने के बारे में शिकायतों की जाँच करने के लिए संसद सदस्यों की एक समिति नियुक्त करने का है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) हाल में औद्योगिक लाइसेंस जारी करने के लिए उत्तरदायी किसी विशेष अधिकारी के विरूद्ध गम्भीर शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं। लाइसेंस के लिए आवेदनों पर कार्यवाही में विलम्ब या भेदभाव के बारे में जब कभी भी शिकायतें प्राप्त होती हैं तो मामले की हमेशा जाँच की जाती है और यदि कोई शिकायत हो तो उसका निवारण कर दिया जाता है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

आरामबाग से होकर तारकेश्वर और वांकुरा को जोड़ने वाली रेलवे लाइन

2148. **श्री रोबिन सेन:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बरास्ता-आराम बाग तारकेश्वर और वांकुरा को जोड़ने वाली एक नई रेलवे लाइन चालू करने की सरकार की कोई योजना है ; और

(ख) उक्त योजना को क्रियान्वित करने में कितना समय लगेगा ?

रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

गोरखपुर नौटनवा शाखा लाइन पर मालडिब्बों की सीलों का तोड़ा जाना

2149. **श्री एस० एल० सक्सेना** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोरखपुर नौटनवा शाखा लाइन पर गत दो वर्षों के दौरान कितने अवसरों पर रेलवे के मालडिब्बों की सीलें तोड़ी गई थी ;

(ख) प्रत्येक अवसर पर क्षति पूर्ति के तौर पर कितनी राशि के दावों का भुगतान करना पड़ा था ; और

(ग) कितने मामलों में चोरों को गिरफ्तार किया गया था और उन्हें दंड दिया गया था ?

रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया):(क)इस खण्ड पर यार्डों में मालडिब्बों से और चलती गाड़ियों

चोरी के दो मामलों की रिपोर्ट 1969-70 में और तीन मामलों की रिपोर्ट 1970-71 में मिली थी।

(ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है।

उद्योगों में कच्चे माल की कमी

2150. **श्री एस० आर० दामाणी :** **श्री टी० एस० लक्ष्मणन :**

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऐसे औद्योगिक कच्चे माल, कलपुर्जों तथा अन्य उपभोक्ता वस्तुओं का पता लगाने के लिये कोई अध्ययन आरम्भ किया है जिनकी सप्लाई बहुत कम है ;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार के अध्ययन किये गए हैं और इस प्रकार की वस्तुओं के नाम क्या हैं; और

(ग) मांग को पूरा करने के लिये उनका देश में उत्पादन बढ़ाने अथवा उनका आयात करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) : विवरण संलग्न है।

विवरण

औद्योगिक वस्तुओं के संभरण की स्थिति का निरंतर संवीक्षा की जाती है। जब कभी भारी कमी आती है या सरकार को इसका पता लगता है तो कमी को पूरा करने के लिए कदम उठाये जाते हैं। उदाहरणार्थ हाल ही में 123 वस्तुओं के लिए जिनका संभरण आजकल कम है औद्योगिक लाइसेंस देने के लिए आवेदन-पत्र माँगे हैं। दूसरी 121 वस्तुऐं इस समय जिनमें तकनोलोजीकल व्यवधान हैं को भी निश्चित प्रकाशित किया गया है। इसके अतिरिक्त सरकार ने लाइसेंसीकरण/पंजीकरण नीति को पर्याप्त उदार कर दिया है और औद्योगिक लाइसेंसों के लिए प्रतिबंधित सूची को समाप्त कर दिया है। जिससे कि औद्योगिक वस्तुओं के उत्पादन और पूर्ति पर प्रभाव न पड़े। इसके अतिरिक्त औद्योगिक कच्चे माल और हिस्से पुर्जों आदि के आयात करने के संबंध में, आयात नीति की संवीक्षा करने के लिए एक स्थायी अन्तर्विभागीय समिति की समय समय पर बैठक होती रहती है। 1971-72 की आयात नीति में, उन वस्तुओं का, जिनका संसार में अभाव है, आयात करने की विशेष व्यवस्था है। ऐसे उद्योग जिनके कच्चे माल की पूर्ति की अवधि संसार में उसके अभाव के कारण, लम्बी हैं उनको एक ही समय में छः महीने से अधिक की अवधि के लिए आवश्यक आयात करने के, आवेदन करने की स्वीकृति देती है। नीति में वास्तविक प्रयोगकर्त्ताओं की आवश्यकता की संवीक्षा करने की भी व्यवस्था है। वास्तविक प्रयोगकर्त्ताओं के प्रकरणों में जिनमें यह पाया जाता है कि विद्यमाप का आयात नीति के प्रयोग से कठिनाई होती है और ओद्योगिक विकास पर प्रभाव पड़ना संभव है। उन पर मुख्य नियंत्रक, आयात एवं निर्यात के अधीन एक विशेष समिति द्वारा विचार किया जाता है।

पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना करने के लिए आवेदन-पत्र

2151. **श्री एस०आर० दामाणी** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए वर्ष 1970-71 के दौरान कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए और वे किन वस्तुओं के लिए थे ;

(ख) उनमें से कितने मंजूर किये गये और वे किन-किन वस्तुओं के लिए थे ;

(ग) क्या किसी पार्टी अथवा किन्हीं पार्टियों ने विशिष्ट रियायतों अथवा छूट के लिए अनुरोध किया है और यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) कितने आवेदन-पत्र रद्द किये गये और उसके क्या कारण थे ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) :(क) (ख) और (घ) : क्षेत्रवार अथवा जिलेवार आधार पर आवेदनों के अलग अलग आंकड़े इस समय नहीं रखे जाते हैं। ऐसे आंकड़े केवल राज्यवार आधार पर ही रखे जाते हैं।

(ग) औद्योगिक लाइसेंसों के आवेदनों का संबंध विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से होता है। ऐसा संभव है कि कुछ आवेदक विशेष रियायत अथवा छूट के लिये संबंधित मंत्रालयों/विभागों तक पहुंच की हो। ऐसे प्रश्न जब कभी आते हैं तो उन पर गुणावगुणों के आधार पर निर्णय लिया जाता है। फिर भी इस प्रकार के आंकड़े किसी केन्द्र स्थान में न तो इकट्ठे किये जाते हैं और न रखे जाते हैं।

रेलवे की विभागीय खान पान-सेवा से हुआ लाभ अथवा हानि

2152. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970-71 के दौरान रेलवे की विभागीय खान-पान से हुए लाभ अथवा हानि का ब्यौरा क्या है और पिछले दो वर्षों के तत्सम्बन्धी आंकड़ों के संदर्भ में इसकी तुलनात्मक स्थिति क्या है;

(ख) क्या बड़े पैमाने पर छुटपुट चोरियां और खराब सेवा के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) उक्त सेवा के स्तर में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया): (क) 1970-71 में भारतीय रेलों की विभागीय खानपान यूनिटों से लगभग 26.12 लाख रुपये का लाभ हुआ जबकि 1968-69 और 1969-70 में क्रमश: 23.42 लाख और 20.61 लाख रुपये का लाभ हुआ था।

(ख) विभागीय खान-पान में बड़े पैमाने पर उठाईगीरी की कोई शिकायत नहीं मिली है लेकिन सेवा का स्तर गिरा हुआ होने के बारे में कुछ शिकायतें मिली हैं।

(ग) सेवा के स्तर में सुधार लाने के लिए जो उपाय किये गये हैं, उनमें से कुछ इस प्रकार हैं : अच्छी किस्म की कच्ची सामग्री की खरीद और सप्लाई के सम्बन्ध में पर्यवेक्षण में कड़ाई बरतना, भोजन सामग्री की समुचित अनुसूची निर्धारित करना, विभाग की ओर से प्रबन्धित यूनिटों में भोजन पकाने में खान-पान कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना और सफाई की सामान्य व्यवस्था सुनिश्चित करना।

Formulation of Irrigation and Power Generation Schemes in Uttar Pradesh

2153. **Shri N. S. Bisht** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the progress made in regard to the large, medium and small scale irrigation and power generation schemes formulated in Uttar Pradesh during the Third Five Year Plan period and in the Fourth Plan period so far ;

(b) the expenditure incurred on these schemes and the acreage of land irrigated thereby and the quantum of electricity generated ;

(c) the comparative figure of works executed in Uttar Pradesh vis-a-vis other States ; and

(d) if adequate progress has not been made in this sphere in Uttar Pradesh, the action being taken or proposed to be taken to remedy the situation ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Baij Nath Kureel) : (a) to (c) The outlay and benefits of the programmes of major and medium irrgation sector and power sector in the various States in the Third Plan, Annual Plans 1966-69 and in the first two years of the Fourth Plan are given in Statements I, II, III and IV attached.

Similar information, as far as available, for the minor irrigation programmes administered by the Ministry of Agriculture are given in Statements V and VI. [Placed in library. See No. LT. 414/71.]

(d) Irrigation and Power are State subjects and funds for these are to be provided by the State Governments within the framework of their Annual Plans. It has been urged on the State Governments, including Uttar Pradesh, that as much additional outlay as possible be made in these important sectors.

Employment of Local Persons in Bharat Heavy Electricals Limited, Hardwar.

2154. **Shri N. S. Bisht :** Will the Minister of **Industrial Development** be pleased to state :

(a) the number of employees in the various grades working In the Bharat Heavy Electricals Limited, Hardwar together with their pay scales ;

(b) whether the orders of the Finance Ministry (Bureau of Public Enterprises) are being complied with to ensure this public undertaking appoints maximum number of persons from amongst local people or those residing in the adjoining areas on the posts carrying pay scales not exceeding rupees five hundred per month ; and

(c) what is the percentage of local people and those residing in adjoining areas among the employees of Bharat Heavy Electricals in the pay scales not exceeding rupees five hundred per month ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) A statement is attached [Placed in library. See No. L. T 415/71]

(b) Yes, Sir.

(c) About 80 percent.

Manufacture of Third Class Narrow Gauge Passenger Coach by C. and W Workshop, Gwalior

2156. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Railways be** pleased to state :

(a) whether the employees of the Carriage and Wagon Workshops, Gawlior, Central Railway, during the Railway Week, put on wheels a third class narrow gauge passenger coach which was manufactured by them ;

(b) how much time was taken by the employees in manufacturing it and the production cost thereof ; and

(c) the nature of awards given to its manufacturers ?

The Minister of Railways (Shri Hanumanthaiya) : (a) No new coach was built but an exisiting coach which got burnt accidentally was rehabilitated by giving heavy repairs to the coach body.

(b) Rehabilitation repairs took about 4 month's time and the cost came to Rs. 11,500/- approximately.

(c) The Foreman and one Carpenter who showed outstanding initiative and ability in rehabilitation of the coach were given a cash award of Rs. 40/-and Rs. 20/- respectively. Several other staff were given commendation letters for the good work done by them in this respect.

Tractor Factory in U. P.

2157. **Shri Hukam Chand Kachwai** : **Shri Jagannathrao Joshi** : **Shri S. M. Banerjee** :

Will the Minister of **Industrial Development** be pleased to state :

(a) the name of the district in Uttar Pradesh where a tractor factory is being set up during 1971-72 ;

(b) the number of tractors likely to be manufactured in the said factory every year and the time by which the factory is likely to be commissioned ?

(c) whether the factory will be in public or private sector ; and

(d) what financial aid is likely to be given by the Central Government to the State Government ;

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddeshwar Prasad) : (a) and (b) : The following units have been licensed/approved for setting up Tractor factories in the Districts of Uttar Pradesh as shown against each :

Name of Tractor manufacturing unit	Make, Model of Agri. Tractors and annual capacity	Location and District
A. Industrial Licences Issued :		
1. Messrs Harsha Tractors Ltd., New Delhi.	DT-14B/T-25 (25 HP) 10,00 Nos.	Loni (District Ghaziabad)
B. Letters of Intent Issued :		
1 Messrs Automobile products of India Ltd., Bombay	Leyland Nuffield-154 (20 HP) 5,000 Nos.	District Pratapgarh
2. Messrs Ptemier Irrigation Equipment Ltd., Calcutta	'David Brown 55 HP 5,000 Nos.	Shahabad (District Ghaziabad)
3. Messrs Larsen and Toubro Ltd., Bombay.	'John Deere' (52 to 82-HP) 6, 000 Nos.	...do...

Messrs Harsha Tractors Ltd., New Delhi, who have been licensed for manufacture of 10,000 Nos. tractors per annum on 9-2-1971 have informed that they would go into production during the next year 1972. The other units are unlikely to go into production in 1972.

(c) The above mentioned units will all be in the Private Sector.

(d) The State Government of Uttar Pradesh have so far not requested for any financial aid for Tractor factories.

New Railway Lines in Madhya Pradesh

2158. **Shri Hukam Chand Kachwai : Shri Phool Chand Verma :**

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the particulars of new Railway lines constructed in Madhya Pradesh during 1969-70 and 1970-71 indicating the length thereof; and

(b) the particulars of new Railway Lines proposed to be constructed and of the narrow/metre gauge lines proposed to be converted into broad gauge lines in the State during the year 1971-72 ?

The Minister of Railways (Shri Hanumanthaiya) : (a) Railway development is not envisaged on any Statewise or regionwise concepts, but on overall development considerations in the national interest. However, Obra-Singrauli line, 19.89 Kms. of which out of a total length of 57.56 Kms., falls in Madhya Pradesh, was opened on 30-4-1970. In addition, the following lines are under construction:

Description	Gauge	Length (in Kms.)	Target date of completion.
1. Morwa (Singrauli)-Katni	B. G.	254.00	March, 1972
2. Guna-Mak i	B.G.	192.22	July, 1973.

(b) No other new lines or conversions are proposed to be taken up in 1971-72 in the State. However, surveys for new lines/conversions in progress and proposed to be taken up are as under:—

I. **In Progress.**

(i) Dhalli Rajdhara-Dantewara-Jadgdalpur rail link-Reassessment of the feasibility-cum-cost study report of 1965-66.

(ii) Conversion of Raipur-Dhamtari N. G. section into B. G.—Traffic Survey.

II. **Survey proposed to be taken up in 1971-72.**

Conversion of the Northern Section of the Satpura Narrow Gauge Railway system into B. G. Traffic Survey.

निम्न आय वर्ग के लोगों को कानूनी सहायता देना

2159. **श्री भोगेन्द्र झा : श्री रामावतार शास्त्री :**

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि वर्तमान परिस्थितियों में विशेषकर निम्न आय वर्ग के लोगों के लिये कानूनी न्याय प्राप्त करना मंहगा काम है;

(ख) क्या सरकार का विचार उन सभी को जिनके पास $2\frac{1}{2}$ एकड़ सिंचित भूमि से कम है, 5 एकड़ गैर-सिंचित भूमि है और 1500 रुपये से कम वार्षिक आय वाले सभी परिवारों को न्यायालय फीस या स्टाम्प शुल्क से छूट देने और वकीलों तथा प्रमाणित प्रतिलिपियाँ आदि की निःशुल्क व्यवस्था करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उपर्युक्त योजना की मुख्य बातें क्या है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) सरकार को इस बात का पता है कि कुछ मामलों में निम्न आय-वर्ग के लोगों को धनाभाव के कारण न्याय कराने में कठिनाई का अनुभव होता है ।

(ख) और (ग) ऐसी कोई भी प्रस्थापना केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन नहीं है। किन्तु भारतीय विधिज्ञ परिषद् और राज्य विधिज्ञ परिषदों के अभिकरण के माध्यम से निर्धनों के लिए विधिक सहायता की व्यवस्था करने की दृष्टि से कुछ उपबन्ध अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 1970 में किए गए हैं।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा नये कारखानों की स्थापना

2160. **श्री धर्मराव अफजल पुरकार** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान मशीन टूल्स (बंगलौर) ने 1973-74 तक पांच अन्य कारखाने स्थापित करने की योजना तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त कारखानों का ब्यौरा क्या है और उन पर कितनी पूंजी लगाये जाने का अनुमान है; और

(ग) इससे कितने व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स का चौथी योजनावधि में छः नयी परियोजनायें स्थापित करने का बिचार है। परियोजनाओं का नाम, स्थापना स्थल और उनमें अनुमानित विनियोजन निम्न प्रकार है :—

परियोजना का नाम और स्थापना स्थल	(विनियोजन) लाख रुपये
1. बंगलौर घड़ी कारखाने का विस्तार करना	366
2. श्रीनगर घड़ी कारखाना	425
3. ट्रैक्टर परियोजना, पिंजौर	491
4. मुद्रण मशीन परियोजना, कला मासेरी	33
5. मेटल फार्मिग प्रेसें, हैदराबाद	330
6. प्लास्टिक इंजेक्शन* मोल्डिंग मशीन परियोजना, बंगलौर	105*

*योजना से इत्तर

(ग) नई परियोजनाओं में, ट्रैक्टर परियोजना को छोड़कर पूर्ण उत्पादन प्रारम्भ हो जाने पर अतिरिक्त रूप से नियोजित किये जाने वाले कुल व्यक्तियों की अनुमानित संख्या लगभग 3,720 होगी, ट्रैक्टर परियोजना में पूर्ण उत्पादन होने पर अतिरिक्त रूप से नियोजित किये जाने वाले कार्मिकों की कुल संख्या विस्तृत परियोजना के पूर्ण होने के बाद ही ज्ञात होगी।

दोहाद (पश्चिम रेलवे) स्थित वर्कशाप एकाउण्ट्स आफिस के ग्रेड दो के लिपिकों की वरीयता

2161. **श्री जगदीश भट्टाचार्य** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें दोहाद (पश्चिम रेलवे) स्थित वर्कशाप एकाउण्ट्स आफिस ग्रेड दो के लिपिकों से गलत वरीयता निर्धारित करने सम्बन्धी एक अभ्यावेदन 22/25 जुलाई, 1970 को प्राप्त हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) और (ख) वर्कशाप लेखा कार्यालय, दोहद के दो कर्मचारियों द्वारा सचिव रेलवे बोर्ड के नाम भेजे गये 30-6-70 के दो अभ्यावेदन 2-7-70 को प्राप्त हुए थे जिनका सम्बन्ध उनकी वरिष्ठता के गलत निर्धारण से था। इनकी जांच की गयी और उनकी वरिष्ठता उपयुक्त रूप से निश्चित कर दी गयी।

बजुआ गुजरात रिफाइनरी साइडिंग आदि के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता की बकाया राशि का भुगतान

2162. **श्री रतनलाल ब्राह्मण** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बजुआ गुजरात रिफाइनरी साइडिंग, फर्टिलाइजर साइडिंग आदि के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता की बकाया राशि का भुगतान कर दिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसमें विलम्ब के क्या कारण हैं और सरकार ने कर्मचारियों को इस राशि का भुगतान कराने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी हां।

(ख) सवाल नहीं उठता।

अजमेर डिवीजन के सहायक कार्मिक अधिकारी/तथा अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतें

2163. **श्री रतनलाल ब्राह्मण** : **श्री बी० के० मोदक** :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे में अजमेर के सहायक कार्मिक अधिकारी प्रथम, प्रभाग अधीक्षक कार्यालय उप सी० ए० ओ० (टी० ए०) और ए० ए० ओ० (जनरल) के विरुद्ध संगठित श्रमिकों द्वारा जनवरी और फरवरी 1971 में कतिपय इश्तहारों में उनके श्रमिक-विरोधी रवैये और दुर्विनियोग के बारे में कई शिकायतें की गई थीं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) और (ख) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

पश्चिम बंगाल के निचले दामोदर क्षेत्र में बाढ़ पर नियंत्रण

2164. **डा० सरदीश राय**: क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंचाई विभाग ने पश्चिम बंगाल के निचले दामोदर क्षेत्र में बाढ़ पर नियंत्रण रखने की योजना को अंतिम रूप दे दिया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं तथा इसको कब क्रियान्वित किया जाएगा ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख) : पश्चिम बंगाल सरकार ने निचले दामोदर क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण तथा जल-निकास सुधार के लिए एक व्यापक स्कीम का आयोजन किया है और 6.8 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर स्कीम के चरण-1 के लिए एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है जिसमें निम्नलिखित मुख्य कार्य परिकल्पित है :—

(1) हुगली के बाम तट पर समस्त स्थानीय बेसिनों के जल-निकास को समायोजित करने के लिए हुगली नदी तक ग्रामता में मदारिया खाल के मुहाने से लगभग 50 किलो-मीटर लम्बाई में ग्रामता चैनल का पुन : खण्ड विभाजन (रिसैक्शनिंग);

(2) ज्वारीय अन्तर्वाह (टाइडल इन्फलक्स) को रोकने के लिए ग्रामता चैनल पर मुहाना कपाट (स्लूस) का निर्माण ;

(3) 3 किलोमीटर लम्बे तटबंध को बेगुग्राहाना के निकट ग्रामता चैनल के निकास को बन्द करना ;

(4) मदारिया, देकातिया,गुजरपुर, गायघाट, चेसोपाटी, बैनाम, देवानतला, इत्यादि जैसी जल-निकास नालियों की खुदाई और ग्रानुषांगिक कार्यों का निर्माण ।

योजना ग्रायोग ने स्कीम को मंज़ूरी दे दी है । पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य की चौथी पंचवर्षीय योजना में इस स्कीम के लिए 1.40 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है । राज्य सरकार ने पहले ही इस स्कीम की कार्यान्विति शुरू कर दी है ।

फारेन ट्रैफिक एकाउन्टस ग्राफिस, दिल्ली (पश्चिम रेलवे) में रिजर्व कोटे में क्लर्क ग्रेड I में पदोन्नति

2165. **श्री रेणु पद दास** : क्या रेल मन्त्री फारेन ट्रैफिक एकाउटन्स ग्राफिस दिल्ली में रिजर्व कोटे में क्लर्क ग्रेड I में पदोन्नति के बारे में 24 नवम्बर, 1970 के ग्रतारांकित प्रश्न संख्या 2142 के उत्तर के संबन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि इस सम्बंध में क्या ग्रनुदेश दिये गये हैं ?

रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया) : जैसा कि लोक सभा के 24 नवम्बर, 1970 के ग्रतारां-कित प्रश्न 2142 के उत्तर में पहले बताया जा चुका है कि 17 नवम्बर, 1970 को रेल प्रशासन को सूचित कर दिया गया था कि रेलवे बोर्ड द्वारा इस मामले पर विचार किये जाने के पश्चात यह विनिश्चय किया गया था कि तीनों कर्मचारी सर्वश्री डी० पी० माथुर, डी० बी० दत्ता और टी० डी० छाबड़ा 1-4-1956 से बढ़े हुए ग्रेड के पदों पर पदोन्नति पाने और बकाया का भुगतान लेने के पात्र नहीं थे क्योंकि 1-4-1956 को लेखा विभाग में हुई रिक्तियों को पहले से सही तौर पर भर लिया गया था ।

चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों (उत्तर रेलवे) को गर्म वर्दी दिया जाना

2166. **श्री रेणपद दास** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे में काम कर रहे चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को तीन वर्षों के पश्-चात, गर्म वर्दी दी जाती है, जबकि उत्तर रेलवे और ग्रन्य जोनों में दो वर्षों के पश्चात गर्म वर्दी दी जाती है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस भेदभाव के क्या कारण हैं और इस ग्रसमानता को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया):(क) और (ख) रेलों में लागू ग्रादेशों के ग्रनुसार चौथी श्रेणी के कर्मचारियों को वर्दी की सप्लाई की ग्रावश्यकता हर रेलवे पर हर कोटि के लिए भिन्न-भिन्न है ।

वर्दी समिति, 1970 की सिफारिशों के परिणामस्वरूप, विभिन्न कोटि के रेल कर्मचारियों को वर्दी सप्लाई करने के समूचे प्रश्न पर विचार हो रहा है और जो विनिश्चय किया जायेगा उससे स्थिति ठीक हो जायेगी।

कोसी, गंडक, सरजू और घाघरा पर बांध के निर्माण का फरक्का बांध पर विपरीत प्रभाव

2167. **श्री रेणुपद दास :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि कोसी,गन्डक, सरजू और घाघरा पर बाँध बनाने तथा पश्चिम बंगाल में रिहन्ड बांध का निर्माण करने की योजनाओं को कार्य रूप देने से फरक्का बाँध के लिए कोई जल नहीं बचेगा ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख) बेसिन में परियोजनाओं की क्रियान्विति से उन लाभों में कोई कटौती नहीं होगी जो फरक्का बराज परियोजना से उस रूप में परिकल्पित हैं जिसमें कि वह स्वीकृत हुई है।

हिसार में राष्ट्रीय राजमार्ग नं० 10 की रेल-क्रासिंग पर ऊपरी पुल

2168. **श्री मनीराम गोदरा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिसार में राष्ट्रीय राज मार्ग नं० 10 के रेल क्रासिंग पर किसी ऊपरी पुल के निर्माण की मंजूरी दे दी गई है ; और

(ख) उपरी पुल के निर्माण कार्य के पूरा होने में कितना समय लगेगा ?

रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया): (क) जी हां। हिसार में वर्तमान समपार के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल बनाने का काम 1971-72 के रेलवे के निर्माण कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया है।

(ख) इस निर्माण कार्य के खर्च का अनुमान राज्य सरकार को भेज दिया गया है ताकि वह अपने हिस्से के खर्च की स्वीकृति प्रदान करे। आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होते ही रेल प्रशासन अपने हिस्से के खर्च को मंजूरी दे देगा और पुल खास पर अपने हिस्से के निर्माण की योजना इस तरह बनायेगा कि सरकार द्वारा बनाये जाने वाले पहुंच मार्गों के निर्माण के साथ पुल भी बन कर तैयार हो जाये।

वायदा व्यापार करने वाली मान्यता प्राप्त एसोसिएशनें

2169. **श्री बृजराज सिंह कोटा :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वायदे व्यापार करने वाली मान्यता प्राप्त एसोसिएशनों के नाम क्या हैं ; और

(ख) उन वस्तुओं के नाम क्या हैं जिनमें वायदे व्यापार करने की अनुमति है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) : एक विवरण संलग्न है। **ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 416/71]**

बीकानेर और बाड़मेर के बीच बरास्ता जैसलमेर रेल मार्ग

2170. **श्री बृजराज सिंह कोटा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीकानेर और बाड़मेर के बीच बरास्ता जैसलमैर रेल मार्ग बनाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उक्त योजना कब तक क्रियान्वित की जायेगी ?

रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

ग्रीष्म काल में राजधानी से बड़ी संख्या में बाहर जाने वाले लोगों के कारण दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अधिक भीड़ भाड़ होना

2171. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रीष्म काल में राजधानी से बड़ी संख्या में बाहर जाने वालों के कारण दिल्ली रेलवे स्टेशन पर होने वाली अधिक भीड़-भाड़ से यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में उनके मन्त्रालय ने अब तक क्या व्यवस्था की है ?

रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी हाँ, गर्मियों में बाहर जाने वाले लोगों के कारण इस समय दिल्ली जं० स्टेशन पर अत्यधिक भीड़-भाड़ है।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

गर्मी की वर्तमान भीड़ भाड़ को कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :

(i) 31-5-1971 तक 50 विशेष गाड़ियाँ चलायी गयी हैं और जून, 1971 में 17 और गाड़ियां चलाने का प्रस्ताव है।

(ii) दिल्ली तथा नयी दिल्ली से चलने वाली महत्वपूर्ण गाड़ियों में अतिरिक्त सवारी डिब्बे लगाये जाते हैं।

(iii) दिल्ली स्टेशन पर दो और नयी दिल्ली स्टेशन पर तीन अतिरिक्त काउंटर खोल दिये गये हैं।

(iv) अतिरिक्त कर्मचारियों को तैनात करके दिल्ली और नई दिल्ली के बुकिंग और आरक्षण कार्यालयों के कर्मचारियों की संख्या बढ़ा दी गयी है।

(v) आरक्षण और टिकट जारी करने की प्रणाली समुचित है इसे सुनिश्चित करने के लिए बुकिंग और आरक्षण कार्यालयों के पर्यवेक्षण कार्य में कड़ाई बरतने के उद्देश्य से नियमित तथा आकस्मिक जांच की जा रही हैं।

नई दिल्ली रेलवे (उत्तर रेलवे) के वाणिज्यिक क्लर्कों के लिए स्वीकृत ड्यूटी रोस्टर

2172. **श्री प्रवीण सिंह सोलंकी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ बड़े बड़े रेलवे स्टेशनों पर वाणिज्यिक क्लर्क स्वीकृत ड्यूटी रोस्टरों अथवा ड्यूटी-सूची के बिना कार्य कर रहे हैं ;

(ख) क्या नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भी इसी प्रकार का स्टेशन है ; और

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ।

रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) से (ग) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली में एक अर्हता प्राप्त सचिव की नियुक्ति

2173. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने फरवरी, 1968 में औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड को, कम्पनी कार्य विभाग द्वारा अपेक्षित, एक अर्हता प्राप्त सचिव नियुक्त करने को कहा था ;

(ख) क्या राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड ने अब तक कोई ऐसा अर्हता-प्राप्त कम्पनी सचिव नियुक्त किया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) : इस मन्त्रालय के अधीन आने वाले सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों को इस मन्त्रालय ने 1968 में यह अनुदेश दे दिये थे कि भविष्य में सचिवों की नियुक्ति करने के मामले में उन उम्मीदवारों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए जो कि सचिव के लिये योग्यता प्राप्त हों । राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम के वर्तमान सचिव 1965 में नियुक्त किये गये थे जबकि सामान्य अनुदेश जारी नहीं हुए थे ।

खड़गपुर रेलवे टाउन में स्थित सफाई कर्मचारी बस्ती में सुविधाएं

2174. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खड़गपुर रेलवे टाऊन में स्थित सफाई कर्मचारी बस्ती में सभी आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कर दी गई हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या इस बस्ती से बिजली, पानी और शिक्षा जैसी आवश्यक सुविधायें उन्हें उपलब्ध करने सम्बन्धी कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ; और

(ग) यदि हां, तो उपर्युक्त योजना की मुख्य बातें क्या हैं ।

रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) खड़गपुर में, दुर्गा मन्दिर के पास वाली बस्ती को छोड़कर, जहां अलग अलग यूनिटों में बिजली की बत्तियों की व्यवस्था अभी नहीं की गयी, पांचों भंगी बस्तियों में सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं ।

(ख) दुर्गा मन्दिर के पास वाली बस्ती में, जहां अलग अलग यूनिटों में बत्तियां नहीं हैं, चालू वर्ष में 30 प्रतिशत यूनिटों में बत्तियों की व्यवस्था की जा रही है और धन की उपलब्धता के अनुसार शेष यूनिटों में बत्तियां अगले वर्षों में लगाने का कार्यक्रम बनाया जायेगा । खड़गपुर की

सभी बस्तियों में प्राइमरी स्कूल मौजूद हैं। दुर्गा मन्दिर बस्ती के पास लड़कियों और लड़कों के हायर सेकन्ड्री स्कूल भी मौजूद हैं।

(ग। ऊपर (ख) में बताये अनुसार।

फारेन यातायात लेखा कार्यालय, दिल्ली (पश्चिम रेलवे) में सफाई वालों के रिक्त पद

2175. **श्री सरोज मुखर्जी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे के दिल्ली स्थित फारेन यातायात लेखा कार्यालय में सफाई वालों के कुछ पद रिक्त पड़े हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

अपेंडिक्स ii-ए परीक्षा में सफल लिपिकों की पदोन्नति

2176. **श्री सरोज मुखर्जी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक जोनल रेलवे में लेखा विभाग में ऐसे लिपिकों की कुल संख्या कितनी है जिन्होंने अपेंडिक्स ii-ए परीक्षा पास कर ली है और पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे हैं ; और

(ख) उच्चतर ग्रेडों में उनकी पदोन्नति के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है।

रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया):

(क)	मध्य	139
	पूर्व	411
	उत्तर	243
	पूर्वोत्तर	274
	पूर्वोत्तर सीमा	16
	दक्षिण	429
	दक्षिणपूर्व	296
	दक्षिण मध्य	145
	पश्चिम	446

(ख) अपेंडिक्स ii-ए में अर्हता प्राप्त ग्रेड II के लिपिकों को स्थान रिक्त होने पर उनके लिए आरक्षित रिक्त स्थानों के कोटे के अनुसार ग्रेड I के लिपिक के रूप में पदोन्नत किया जाता है।

पश्चिम बंगाल में बाढ़ और राहत संबन्धी कार्य

2177. **श्री सरोज मुखर्जी** : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1970 में पश्चिम बंगाल में बाढ़ के कारण वहाँ के लोगों को हुई कुल हानि का अनुमान लगाया है ; और

(ख) बाढ़-पीड़ितों को सहायता देने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) : पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा किए गये मूल्यांकन के अनुसार, 1970 वर्ष के दौरान राज्य में बाढ़ से कुल 87 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। इसमें फसल, मकानों, और सरकारी उपयोग की वस्तुओं से संबन्धित जो नुकसान हुए हैं, उनके क्रमश: 61 करोड़ रुपये, 11 करोड़ रुपये और 15 करोड़ रुपये के होने का अनुमान है।

(ख) पश्चिम बंगाल सरकार ने बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में, जहां कहीं आवश्यक हुआ, सैनिक अधिकारियों की सहायता लेकर बचाव और राहत के कार्य किये हैं। राज्य सरकार ने बाढ़-पीड़ित व्यक्तियों को जो सहायता दी है, उसमें अहेतुक सहायता की मंजूरी, घर बनाने के लिए ऋण, परीक्षणात्मक राहत-कार्य गैर-खेतिहर परिवारों को पुनर्वास सहायता, दवाइयों की सप्लाई,पेयजल की व्यवस्था, पुस्तक-अनुदान,फीस-माफी, पशुओं की खरीद के लिए ऋण, तकावी ऋण आदि सम्मिलित हैं।

जिस केन्द्रीय दल ने राज्य में 1970 की बाढ़ के दौरान बाढ़ से हुए नुकसान और सहायता कार्यों की मात्रा का मूल्यांकन किया था उसकी सिफारिशों के आधार पर केन्द्रीय सरकार ने 1970-71 में बाढ़-सम्बन्धी राहत पर व्यय के लिए राज्य सरकार को 18.91 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार ने बीज, खाद आदि की खरीद के लिए अल्पावधिक ऋण के रूप में पश्चिम बंगाल सरकार को 5 करोड़ रुपये दिये।

केरल में डीजल इंजन वाली रेलगाड़ियां चलाना

2178. **श्री फूलचन्द वर्मा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव है कि केरल में डीजल इंजन वाली रेलगाड़ियां चलाई जायें ;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त प्रस्ताव को कब क्रियान्वित किया जायेगा ?

रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) और (ख) केरल में चलने वाली अनेक माल गाड़ियों और तीन डाक/एक्सप्रेस गाड़ियों का डीजलीकरण किया जा चुका है। डीजलीकरण के चरणबद्ध कार्यक्रम के भाग के रूप में चौथी योजना के दौरान केरल में और गाड़ियों के बिजली-करण का कार्यक्रम बनाया गया है। डीजल इंजनों का आवंटन उनकी उपलब्धता और विभिन्न खण्डों की सापेक्ष परिचालनिक आवश्यकताओं पर निर्भर करेगा।

हावड़ा जनता और हावड़ा शियाखाला लाइट रेलवे का बही मूल्य

2179. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मेसर्स मार्टिन बर्न एण्ड कम्पनी के स्वामित्व वाली तथा उसके द्वारा नियंत्रित हावड़ा जनता और हावड़ा शियाखाला लाइट रेलवे का वर्तमान बही मूल्य कितना है ?

रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया) : हावड़ा आमता लाइट रेलवे का स्वामित्व हवड़ा आमता लाइट रेलवे कम्पनी लि० के पास है। इसी प्रकार, हवड़ा-शियाखाला लाइट रेलवे का स्वामित्व हावड़ा-शियाखाला लाइट रेलवे कम्पनी लि० के पास है। 31.3.70 को प्रकाशित इन कम्पनियों के तुलन पत्रों के अनुसार, मार्टिन बर्न लि० इन कम्पनियों के सचिव हैं।

प्रकाशित तुलन पत्रों में इन रेलवे कम्पनियों की परिसम्पत्तियां और दायिताएं इस प्रकार हैं।

हवड़ा-आमता लाइट रेलवे

दायिताएं	रु०	परिसम्पत्तियां	रु०
हिस्सा पूंजी	26,00,000	अचल परिसम्पतियाँ	48,84,197
आरक्षित तथा अधिशेष	2,92,116	निवेश	67,313
ऋण	10,91,407	वर्तमान परिसम्पत्तियां,	20,34,006
लगा ब्याज	65,129	ऋण और अग्रिम	
वर्तमान दायिताएं और व्यवस्थाएं	29,36,864		
	61,85,516		69,85,516

हवड़ा-शियाखाला लाइट रेलवे

दायिताएं	रु०	परिसम्पत्तियां	रु०
हिस्सा पूंजी	6,00,000	अचल परिसम्पत्तियां	13,64,168
आरक्षित तथा अधिशेष	3,38,108	वर्तमान परिसम्पत्तियां ऋण और अग्रिम	1,00,966
वर्तमान दायिताएं और व्यवस्थाएं	5,27,026		
	14,65,134		14,65,134

पश्चिम बंगाल में उद्योगों में नया पूंजी निवेश

2180. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में वर्ष 1969-70 में (उद्योगवार) और वर्ष 1970-71 में (महीने-वार) और चालू वर्ष के प्रथम मास में नये पूंजी-निवेश का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) प्रत्येक मामले में पूंजी निवेश में वृद्धि अथवा कमी के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

1969-70 और 1970-71 में पश्चिमी बंगाल में (उद्योगवार) किए गए वास्तविक विनियोजन का विवरण उपलब्ध नहीं है (फिर भी, अनुमानित विनियोजन सम्बन्धी कुछ जानकारी जो केवल मई, 1970 के बाद पश्चिमी बंगाल में औद्योगिक प्रायोजनाएं चालू करने के लिए दिए गए आशय पत्रों के बारे में है, नीचे दी जा रही है : —

माह	उद्योग	विनियोजन (लाख रु० में)
मई, 1970	शीशे की बोतलें	17.75

जून, 1970	पोटेनिशियामीटर	85.20
जुलाई, 1970	शिशु आहार एरियल रोप वे	71.00
अगस्त, 1970	अल्यूनियम कार्ड स्टेव एयरोड्रोम रनवे लैम्प	0.48
नवम्बर, 1970	इण्डस्ट्रियल फरनैस	उपलब्ध नहीं है।
दिसम्बर, 1970	जी एल एस लैम्प	17.11
जनवरी, 1971	ट्रक माऊन्टेड क्रेन्स डिस्क टम्बलर, लॉकिंग डिवाइसें डोर लाक रियोठ कन्ट्रोल और विन्डो रेगुलेटर	7.00
फरवरी, 1971	इण्डस्ट्रियल एक्स रे मशीने रिकार्ड प्लेइंग इक्विपमेंट	6.15
मार्च, 1971	स्टीरियों कार्टरिजेज स्वचालित ट्रैन नियंत्रण उपकरण कृषि ट्रैक्टर लुग्दी तथा कागज	254.64
अप्रैल, 1971	ओ टी एस कैन्स जनरल लाइफ कन्टेनर्स विजन साइटिंग इक्विपमेंट बैण्ड चेंज स्विचेज, हैक्सों ब्लेड्स, रिकार्ड और इन्डीकेटर्स स्कूटर	207.75
		661.98

साधारणत: 1969-1970 में पश्चिमी बंगाल में औद्योगिक विकास की गति को धीमा करने में कुछ औद्योगिक क्षेत्रों में मन्दी, कच्चे माल की कमी, हड़तालें और तालाबन्दी और कटु श्रमिक प्रबन्धक संबंध कारण रहे हैं।

अप्रैल, 1971 तक जारी किए गए आशय-पत्रों की संख्या के अनुसार और वर्ष, 1970 की तुलना में जारी किए गए लाइसेंसों की संख्या के अनुसार औद्योगिक स्थिति में सुधार होता दिखाई दे रहा है।

हाल ही में विकसित "गैस उत्पादक" द्वारा विद्युत का उत्पादन

2181. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यदि हाल में विकसित "गैस उत्पादक" का प्रयोग विद्युत के उत्पादन में किया जाये तो न केवल भारत की विद्युत की सम्पूर्ण आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है बल्कि फालतू क्षमता भी उपलब्ध हो सकती है।

(ख) यदि हां, तो विकसित "गैस उत्पादक" का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार ने इस प्रक्रिया का कोई अध्ययन किया है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (ग) गैस इंजन चालित विद्युत-उत्पादन सेटों को फीड करने के लिए विगत काल में गैस उत्पादक संयंत्रों का इस्तेमाल होता रहा है, लेकिन यह किफायती साबित नहीं हुआ है। आधुनिक बृहत कोयला जलाने वाले केन्द्रों के मुकाबले में जलते हुए कोयले से प्राप्त उत्पादक गैस से भी विद्युत का उत्पादन किफायती साबित नहीं हुआ है। हाल के वर्षों में कुछ देशों में घटिया दर्जे के कोयले के भूगत गैसीकरण की तकनीकें विकसित की जा रही हैं। जब ये काफी विकसित हो जाएंगी तो ये भारत के लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। इस समय ये भारतीय परिस्थितियों के लिये किफायती नहीं है।

फारेन ट्रैफिक एकाउन्ट्स आफिस, दिल्ली (पश्चिम रेलवे) के कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों के आवंटन हेतु कोटा

2182. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली स्थित पश्चिम रेलवे के फारेन ट्रैफिक एकाउन्ट्स आफिस के कर्मचारियों को आवंटन के लिये क्वार्टरों के कोटे को निर्धारित करने के प्रश्न की उत्तर रेलवे द्वारा जांच की जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में कब तक निर्णय लिये जाने की संभावना है ?

रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) और (ख) यह मामला विचाराधीन है और शीघ्र ही कोई निर्णय हो जाने की सम्भावना है ?

मध्य प्रदेशों से लाइसेंसों/आशय पत्रों के लिए अनिर्णीत पड़े आवेदन-पत्र

2183. **श्री जगन्नाथ राव जोशी** : **श्री लक्ष्मीनारायण पाण्डे** :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में उद्योगों की स्थापना करने के लिये लाइसेन्सों/आशय-पत्रों हेतु दिये गये कितने आवेदन-पत्र भारत सरकार के पास अनिर्णीत पड़े हैं ;

(ख) इन आवेदन-पत्रों पर निर्णय न लेने के क्या कारण हैं ; और

(ग) उन पर निर्णय कब तक लिया जायेगा ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) विगत तीन वर्षों में अर्थात 1968, 1969 तथा 1970 में मध्य प्रदेश में नए औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने के लिये कुल 63 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। इन आवेदनों में से तीन के लाइसेंस तथा 7 मामलों में आशय पत्र जारी कर दिये गये हैं, 23 आवेदनपत्र रद्द कर दिये गये हैं और 4 का निपटान कर दिया गया है। शेष 26 आवेदनपत्र विचाराधीन हैं इसके अलावा, चालू अवधि में (30 अप्रैल तक) प्राप्त ऐसे और 13 आवेदन पत्र भी विचाराधीन हैं।

(ख) तथा (ग) औद्योगिक लाइसेंस के आवेदनों पर विचार करते समय प्रस्तावों के विभिन्न पहलुओं की विस्तृत रूप से जांच करने की आवश्यकता पड़ती है और कई कारणों से किसी विशिष्ट आवेदनों को निपटाने में काफी देर भी हो जाया करती है। इसमें से कुछ मामलों में आवेदनों में सभी आवश्यक बातें नहीं दी गई होती हैं और अतिरिक्त जानकारी मंगानी पड़ती है। अन्य कुछ मामलों में सम्पूर्ण उद्योग पर नीति सम्बन्ध निर्णय लेना पड़ता है। अनिर्णीत आवेदनों का निपटान कब तक कर दिया जाएगा यह बता सकना बड़ा कठिन है। फिर भी, सरकार लाइसेंस के सभी

आवेदनों का शीघ्र निपटान करना चाहती है और इस बात का सुनिश्चय किया जा रहा है कि लाइसेंस के आवेदनों पर निर्णय, जहां तक संभव होता है आवेदनों पर प्राप्त होने अथवा आवेदक पार्टी से पूर्ण जानकारी प्राप्त होने के तीन महीने के भीतर, जो भी बाद में हो कर लिया जाता है ।

उड़ीसा में जड़ाऊ हराभंगी सिंचाई परियोजना के पूरा होने में विलम्ब

2184. **श्री डी० के० पंडा** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के गंजम जिले में "जड़ाऊ हराभंगी" सिंचाई परियोजना को तीसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था तथा क्या वह विचाराधीन है ;

(ख) इसको चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल न किए जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार को "जरन-हराभंगी" परियोजना से संबंधित पहला प्रतिवेदन 1963 में और दूसरा प्रतिवेदन 1967 में प्राप्त हुआ था और यदि हां, तो इस कार्य को चालू वर्ष में आरम्भ न करने के क्या कारण हैं ; और

(घ) यह परियोजना कब पूरी हो जाएगी ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (घ) : केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग में 1964 में जोरो हराभंगी स्कीम पर एक प्रारंभिक रिपोर्ट प्राप्त हुई थी उसमें राज्य के इंजीनियरों को यह सुझाव दिया गया था कि इस संबंध में विस्तृत जांच-कार्य किया जा सकता है । जून, 1967 में केन्द्रीय सिंचाई और विद्युत मंत्री ने स्थल का निरीक्षण किया और यह सुझाव दिया कि स्कीम की लागत में मितव्ययिता लाने की दृष्टि से उस बांध के लिए किसी एवजी स्थल के और अधिप्लवन जल मार्ग (स्पिलवे) और जल संवाहक प्रणाली के संबंध में जांच की जाए । राज्य सरकार ने यह बताया है कि यह जांच अभी तक जारी है ।

जब विस्तृत जांच पर आधारित परियोजना रिपोर्ट राज्य सरकार से प्राप्त हो जाएगी, तो उड़ीसा की विकासशील योजनाओं में इस परियोजना को शामिल करने पर विचार किया जा सकता है ।

दिल्ली स्थित फारेन ट्रैफिक एकाउन्टस आफिस और अजमेर स्थित ट्रैफिक एकाउन्टस आफिस के कर्मचारियों को मानदेय का भुगतान

2185. **श्री समर मुखर्जी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1969-70 के लिए ब्रांच लाइन आय विवरण बनाने का कार्य दिल्ली स्थित फारेन ट्रैफिक एकाउन्टस आफिस (पश्चिम रेलवे), और अजमेर स्थित ट्रैफिक एकाउन्टस आफिस के कर्मचारियों द्वारा मानदेय देने के आधार पर किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या कर्मचारियों को मानदेय का भुगतान कर दिया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें बिलम्ब के क्या कारण हैं यह भुगतान कब किया जायेगा ?

रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) मानदेय के आधार पर काम करने के लिए रखे गये कर्मचारियों द्वारा संकलित सूचना की नमूने के तौर पर परख की गई थी और शाखा लाइनों की आमदनी के आंकड़ों में कुछ फर्क

पाया गया। इसकी पुनरीक्षा की जा रही है। लेकिन आगे जांच होने तक, कर्मचारियों को मानदेय के भुगतान के संबंध में कार्यवाही चल रही है और आशा है भुगतान शीघ्र ही हो जायेगा।

दिल्ली और अजमेर स्थित यातायात लेखा कार्यालयों की कर्मचारी संख्या

2186. **श्री समर मुखर्जी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम रेलवे के दिल्ली स्थित फारेन यातायात लेखा कार्यालय, अजमेर स्थित यातायात लेखा कार्यालय और उत्तर रेलवे के दिल्ली स्थित यातायात लेखा कार्यालय की कर्मचारी संख्या कितनी-कितनी है ; और

(ख) उपर्युक्त कार्यालयों में प्रत्येक एकक के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की अलग-अलग संख्या कितनी है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) कर्मचारियों की संख्या

	पश्चिम रेलवे		उत्तर रेलवे
	इतर यातायात लेखा दिल्ली	**यातायात लेखा कार्यालय, अजमेर**	**यातायात लेखा कार्यालय, दिल्ली**
	276	1034	946

(ख) चौथी श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या

1 रिकार्ड सार्टर	2	1	2
2 रिकार्ड लिफ्टर	—	—	4
3 दफ्तरी	6	7	15
4 गेस्टेटनर चालक	—	—	1
5 चपरासी	16	43	57
6 हमाल	6	33	—
7 फराश	—	—	1
8 सफाई वाला	4	7	8
9 कार्यालय खालासी	—	—	10
10 टी०आई०ए० खालासी	—	—	23
11 माली	—	1	1
12 गाड़ी खालासी	—	—	1

देवगढ़ को पन-बिजली की सप्लाई

2187. **श्री पी० गंगादेव** : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उड़ीसा में देवगढ़ को 1972 के अन्त तक पन-बिजली की सप्लाई करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त बिजली को बोनाई से बारकोटे और बारकोटे से देवगढ़ तक ले जाने की मन्जूरी की हुई योजना को 1971 के अन्त तक कार्य रूप दे दिया जायेगा ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) जी, हां।

(ख) बोनाई से बारकोटे और बारकोटे से देवगढ़ तक 33 के० वी० पारेषण पथ के 1971 के अन्त तक चालू होने की संभावना है।

बिड़ला बन्धुओं के अल्यूमिनियम निगम को रिहन्द बाँध से सस्ती बिजली की सप्लाई

2188. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिड़ला बन्धुओं के अल्यूमीनियम निगम को रिहन्द बांध से सप्लाई की जाने वाली बिजली उस क्षेत्र में किसानों और छोटे एककों को सप्लाई की जाने वाली बिजली से सस्ती है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या बिड़ला बन्धुओं के साथ 25 वर्ष का कोई करार किया गया था ;

(ग) क्या इस करार के कारण सरकार को भारी वित्तीय हानि उठानी पड़ी है ; और

(घ) यदि हाँ, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) जी, हाँ।

(ख) रिहन्द जल-विद्युत परियोजना से हिन्दुस्तान अल्यूमीनियम निगम लिमिटेड को विद्युत की सप्लाई देने के लिए उसके और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच एक करार मौजूद है। करार की अवधि 25 वर्ष की है लेकिन सप्लाई शुरू होने के समय से 16 वर्ष की अवधि के लिये दर निश्चित है। दर में उसके बाद संशोधन या वृद्धि की जा सकती है बशर्ते कि वह वृद्धि निर्धारित दर से अधिक न हो।

(ग) **और** (घ) : इस बात का कोई संकेत नहीं प्राप्त हुआ है कि इस करार के कारण सरकार को भारी वित्तीय क्षति उठानी पड़ी है।

परिशिष्ट II-क की परीक्षा में पास हुए श्रेणी–II के लिपिक

2189. **श्री मनोरंजन हाजरा** : क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक जोनल रेलवे के लेखा विभाग में श्रेणी II के ऐसे लिपिकों की अलग अलग कुल संख्या कितनी है जो परिशिष्ट–II-क की योग्यता प्राप्त हैं और जिन्हें यह योग्यता प्राप्त नहीं है ?

रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

फारेन, ट्रैफिक अकाउन्टस आफिस, दिल्ली (पश्चिम रेलवे) के श्रेणी I के लिपिकों की अनियमित पदावनति

2190. **श्री मनोरंजन हाजरा** : क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व रेलवे मंत्री को पश्चिम रेलवे के लेखा विभाग के श्रेणी-I के लिपिकों की पदोन्नति-पदावनति के बारे में अपनाई जाने वाली पद्धति और फारेन, ट्रैफिक अकाउन्टस, आफिस, पश्चिम रेलवे दिल्ली में श्रेणी-I के कार्यकारी लिपिकों की कुछ अनियमित पदावनतियों के बारे में भी दिनांक 18 अक्तूबर 1970 का एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी हां ।

(ख) यह मामला विचाराधीन है ।

रेलवे के लिये पहिये, एक्सल तथा इस्पात के टायरों के निर्माण के लिये निगम

2191. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ग) क्या सरकार का विचार रेलवे के लिये पहिये, एक्सल तथा इस्पात के टायरों के निर्माण के लिये एक स्वायतशासी निगम बनाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो निगम कब तक बन जायेगा ?

रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) विभागीय यूनिट के रूप में अथवा सार्वजनिक क्षेत्र में पहिया और धुरा संयंत्र लगाने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

(ख) फिलहाल सवाल नहीं उठता ।

Rohtak shuttle starting from Dankaur instead of Ghaziabad

2192. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the Rothak Shuttle used to start from Ghaziabad at 7. 50 A. M. previously :

(b) whether the said shuttle now starts from Dankaur instead of Ghaziabad and is usually late ;

(c) the reasons for operating the said shuttle from Dankaur instead of Ghaziabad ; and

(d) whether Government propose to make arrangements to start the said shuttle from Ghaziabad instead of Dankaur or ensure that this train does not run late ?

The Minister of Railways (Shri Hanumanthaiya) : (a) Yes.

(b) and (c) : In response to demands from the daily passengers, the previous IRDG Ghaziabad-Rohtak shuttle was extended to run from Dankaur from 10.10.70 and from Khurja to Rohtak from 1.6.71. The punctuality performance of the extended train has been by and large satisfactory.

(d) Does not arise.

आन्ध्र प्रदेश में श्री सैलम पन बिजली परियोजना का निर्माण

2193. **श्री पी० वेंकटसुब्बया** : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में श्री सैलम पन बिजली परियोजना के निर्माण में अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) क्या परियोजना का निर्माण-कार्य निर्धारित अवधि के अन्दर पूरा हो जायगा; और

(ग) मन्जूर की गई राशि में से अब तक कितना धन खर्च हो गया है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) मुख्य बांध के अधिप्लवन-मार्ग (स्पिल वे) हिस्से और ग्रेविटो बांध हिस्से में कार्य प्रगति पर है। गहरे नदी तल भाग में नींव के कठिन कार्य पूरे हो चुके हैं और चिनाई की भराई नदी के औसत तल स्तर तक आ चुकी है। नदी तल में सबसे गहरी नींवों में छेदन कार्य तथा पिलाई पूरी हो चुकी है। नीवों के उच्चतर उन्नयनों (एलीवेशन) में यही कार्य प्रगति पर है। पीलपायों पर नीवों से संबंधित समस्या का भी समाधान हो चुका है और इन पर कार्य प्रगति पर है। निर्माण कार्य के दौरान बाँध में अनेक विशेष उपस्करों, जैसे प्रतिबल (स्ट्रेस) मीटरों, चट्टान विरूपण (डिफार्मेशन) मीटरों आदि को प्रतिष्ठापित किया जा रहा है। विद्युत घर के स्थल के बारे में निर्णय हो चुका है और उस पर कार्य शुरू किया जा रहा है।

(ख) परियोजना पहले 1975-76 तक पूर्ण होनी अनुसूचित थी। परियोजना कार्यकारी समिति की हाल की बैठक में निर्माण की प्रगति का पुनरवलोकन किया गया जिसके अनुसार प्रथम सेट को 1977-78 तक तथा शेष तीन सेटों को 1978-79 में चालू करना सम्भव हो सकेगा।

(ग) फरवरी, 1971 के अन्त तक 28.36 करोड़ रुपये व्यय किया गया था।

कृष्णा,-गोदावरी जल-विवाद सम्बन्धी न्यायाधिकरण का निर्णय

2194. **श्री पी० वेंकटसुब्बया** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृष्णा-गोदावरी नदी जल-विवाद का निपटारा करने हेतु गठित किये गये न्यायाधिकरण ने अपने विचार-विमर्श पूरे कर लिये हैं ; और

(ख) यदि हाँ, तो न्यायाधिकरण अपना पंचाट कब तक दे देगा ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख) : केन्द्रीय सरकार ने कृष्णा जल-विवाद न्यायाधिकरण और गोदावरी जल-विवाद न्यायाधिकरण 10-4-1969 को स्थापित किए थे और न्यायनिर्णय की कार्यवाही चल रही है। न्यायाधिकरण अपने कार्यों को यथासंभव शीघ्र समाप्त करने के लिए प्रयत्न तो कर रहे हैं लेकिन ऐसी स्थिति में यह बता सकना संभव नहीं है कि न्यायनिर्णयन की कार्यवाही कब पूरी होगी।

रेलवे मालडिब्बों के निर्माण की दर

2196. **श्री राम सहाय पांण्डेय** : **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी** :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विभिन्न प्रकार के रेलवे माल डिब्बों की निर्माण दर क्या है ;

(ख) रेल के जिन माल डिब्बों की विदेशों में मांग है उनकी देश में वर्तमान मांग क्या है ; और

(ग) क्या देश तथा विदेश की मांग को पूरा करने के लिये रेलवे माल डिब्बों का निर्माण करने के लाइसेंस गैर-सरकारी निर्माताओं को देने का है ?

रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में विभिन्न प्रकार के माल डिब्बों के उत्पादन की औसत दर चौपहिये माल-डिब्बों के हिसाब से लगभग 14,000 माल डिब्बे प्रति वर्ष है।

(ख) भारतीय रेलों में कितने माल डिब्बों की आवश्यकता होगी इसका अनुमान, पंचवर्षीय

योजना की अवधि के दौरान यातायात के प्रत्याशित विकास के आधार पर तैयार किया जाता है और प्रतिवर्ष माल-डिब्बों की प्राप्ति इस तरह की जाती है कि उत्पादन भार उपयुक्त रूप से चरण बद्ध रहे। अतः माल डिब्बों की मांग की कोई निर्धारित मात्रा नहीं है।

देश में वर्तमान स्थापित क्षमता अपनी तथा निर्यात सम्बन्धी मांगों को पूरा करने के लिये पर्याप्त है।

(ग) सवाल नहीं उठता।

केरल में कीरियाकिट्टी कोरप्पन सिंचाई योजना

2197. **श्री एम० के० कृष्णन :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान केरल के पालघाट जिले में गीरियाकिट्टी कोरप्पन सिंचाई योजना का प्रबंध अपने हाथों में लेने की आवश्यकता के बारे में दिलाया गया हैं ;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार को केरल को संसद सदस्यों से इस मामले से सम्बन्धित कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (घ) : कुछ संसद-सदस्यों ने कुरियारकुट्टी कराप्पर सिचाई स्कीम का उत्तरदायित्व लेने का अनुरोध किया है। चूँकि इस परियोजना के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं, केरल सरकार से पूछताछ की गई थी, जिन्होंने यह बताया है कि इस परियोजना के लिये अन्वेषण लगभग पूर्ण होने वाले हैं और परियोजना रिपोर्ट तथा प्राक्कलन तैयार हो रहे हैं।

एरणाकुलम रेलवे स्टेशन (दक्षिण रेलवे) के नैमित्तिक मजदूरों को पुनः काम पर लगाना

2198. **श्री एम० के० कृष्णन** : क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एरणाकुलम जंक्शन रेलवे स्टेशन, केरल में हाल ही में बहुत अधिक संख्या में नैमित्तिक मजदूरों की छंटनी की गई है ;

(ख) यदि हां, तो कुल कितने कर्मचारियों को काम पर से हटाया गया है ;

(ग) क्या सरकार ने इन को पुनः काम पर लगाने अथवा वैकल्पिक काम देने के लिये कोई कार्यवाही की है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) और (ख) : एर्णाकुलम के निकट मार्शलिंग यार्ड का निर्माण कार्य पूरा हो जाने पर 273 नैमित्तिक मजदूरों को कार्यमुक्त किया गया था।

(ग) और (घ) : 20 नैमित्तिक मजदूरों को फिर से काम पर लगा लिया गया है। शेष मजदूरों को फिलहाल फिर से काम पर नहीं लगाया जा सकता क्योंकि उस क्षेत्र में कोई काम नहीं है। जब नया काम शुरू होगा तो उन्हें समाहित कर लिया जायेगा।

कालूपुराघाट (दक्षिण पूर्व रेलवे) में पी० डब्ल्यू० आई० के अन्तर्गत वरिष्ठ नैमित्तिक श्रमिकों की सबस्टीट्यूट गैंगमैन के रूप में नियुक्ति नियमित करना

2199. **श्री चिन्तामणि पाणीग्रही** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पूर्व रेलवे के कालूपुराघाट में पी० डब्ल्यू० आई० के अन्तर्गत 50 प्रवर नैमित्तिक श्रमिक नियमित स्थानों पर सब्स्टीट्यूट गैंगमैनों के रूप में गत 7 वर्षो से कार्य कर रहे हैं किन्तु उन्हें अभी तक नियमित नहीं किया गया है ;

(ख) क्या सरकार को और भी पता है कि उनकी सबस्टीट्यूट कर्मचारियों के रूप में नियुक्ति से पूर्व उन्होंने 10 वर्ष से अधिक नैमित्तिक श्रमिकों के रूप में सेवा की है; और

(ग) प्रशासन का विचार उन्हें कब स्थायी गैंगमैन बनाने का है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया): (क) से (ग) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

पुरी स्टेशन (दक्षिण पूर्व रेलवे) के गुड्स शेड में काम कर रहे 'हम्मालों" को सामान उतारने-चढ़ाने के लिए मिलने वाली मजूरी की दरों में वृद्धि

2200. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि अभी भी दक्षिण पूर्व रेलवे के पुरी स्टेशन पर गुड्स शेड में काम कर रहे "हम्मालों" को प्रति क्विंटल 6 पैसे अर्थात् 400 क्विंटल के 25 रुपये की दर से उतारने तथा चढ़ाने की मजूरी मिलती है ;

(ख) क्या सरकार का विचार उतारने तथा चढ़ाने की दरों को तुरन्त बढ़ाने का है ;

(ग) पुरी स्टेशन पर किस ठेकेदार को यह काम सौंपा गया है; और

(घ) पुरी स्टेशन पर रेलवे अधिनियम, 1857 की उतारने चढ़ाने की ठेके प्रणाली को अभी भी बनाये रखने के क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया): (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) स्टेशन मास्टर, पुरी ।

(घ) रेल अधिनियम, 1857 की माल चढ़ाने-उतारने की ठेका प्रणाली का उल्लेख किस आशय से किया गया है यह बात समझ में नहीं आती । माल चढ़ाने उतारने के ठेके की यह प्रणाली भारतीय रेलों पर सामान्यतः पहले से ही प्रचलित है ।

दक्षिण पूर्व रेलवे के खुरदा डिविजन में स्टेशनों पर लायसेंस प्राप्त कुलियों के विश्राम स्थानों की कमी

2201. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दक्षिण पूर्व रेलवे के खुरदा डिवीजन के समस्त स्टेशनों पर लायसेंस प्राप्त कुलियों के लिए विश्राम स्थानों की कमी है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उनके लिये उपयुक्त विश्राम स्थानों की व्यवस्था करने के बारे में विचार कर रही है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) खोरदा मंडल में लाइसेंस प्राप्त भारिकों को जिन स्टेशनों पर काम करने के लाइसेंस मिले हुए हैं, उन पर बने हुए तीसरे दर्जे के प्रतीक्षालयों की सुविधाओं का उपयोग करने की उन्हें अनुमति दे दी गयी है।

(ख) सवाल नहीं उठता।

Extension of Loco-Sheds at Ratlam and Neemuch (Western Railway)

2202. **Dr. Laxminarain Pandey** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the Loco-sheds at Ratlam and Neemuch are being extended ;

(b) if so, the number of engines operating on Ratlam (broad-gauge and metre-gauge) Ratlam and Neemuch (metre-gauge) lines at present and the capacity of the loco-sheds ; and

(c) the additional capacity expected to be created at the aforesaid places by the proposed extension scheme and the time when the proposed work would be started ?

The Minister of Railways (Shri Hanumanthaiya) : (a) B. G. Diesel loco shed at Ratlam is being extended to home 100 locos B. G. and M. G. steam loco sheds at Ratlam and the M. G. steam shed at Neemuch are not being extended.

(b) The capacity and holdings of the steam and diesel sheds of Ratlam and Neemuch are as follows :-

Shed	Capacity	Number held
Ratlam diesel (B. G)	50	75
Ratlam steam (B. G.)	100	42
Ratlam steam (M. G.) (outstation)	Nil	Nil
Neemuch steam (M. G.)	35	34

(c) Capacity to home 100 B.G. diesel locos is proposed to be created at Ratlam diesel shed and the work is being taken in hand during the current financial year.

Halt of Passenger Train at Taspura Railway Station, Mandsaur on Central Railway

2203. **Dr. Laxminarain Pandey**: Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether passenger train halts at Taspura Railway Station in Mandsaur district on the Central Railway;

(b) whether the passengers do not get tickets on that Station for next Stations although that station has been provided with necessary staff;

(c) whether the station has not been provided with any shed for passengers; and

(d) if so, time by which necessary improvements are proposed to be carried out in this regard ?

The Minister of Railways (Shri Hanumanthaiya): (a) There is no passenger booking station by the name Taspura in Mandsaur District on the Central Railway.

(b) to (d). Do not arise.

Laying of 70 Pound Rails Between Khandwa and Ajmer

2204. **Dr. Laxminarain Pandey** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether the metre-gauge railway line between Khandwa and Ajmer has been replaced by 70 pound rails;

(b) if so, which part of the railway line between Khandwa and Ajmer has been replaced and which part is yet to be replaced;

(c) the reasons for laying 70 pound rails on the said route;

(d) whether the replacement has been made on the above route in order to run a mail train on this line for which the people of the said area have been making repeated demands; and

(e) if so, the action being taken in this regard ?

The Minister of Railways (Shri Hanumanthaiya): (a) No.

(b) to (e) Do not arise.

There is also no proposal for introducing a mail train on this section.

Railway Line from Godhara to Kota

2205. **Dr. Laxminarain Pandey**: Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the Railway Board has received a memorandum containing the demand for the construction of a new railway line from Godhara (Gujarat) to Kota (Rajasthan) ; and

(b) if so, the steps taken by Government in this regard ?

The Minister of Railways (Shri Hanumanthaiya) : (a) No.

(b) Does not arise.

Punasa Irrigation Project in Madhya Pradesh

2206. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether the Punasa Irrigation Project in Madhya Pradesh has since been approved;

(b) if so, its approximate cost; and

(c) the progress made in the implementation of the project ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Baij Nath Kureel : (a) The Government of India do not consider it advisable to consider the clearance of any new projects in the Narmada basin, when the water dispute regarding the Narmada river and its valley is under the consideration of the Narmada Water Disputes Tribunal.

(b) and (c): Do not arise.

Amritsar Express train running between Bombay and Amritsar

2207. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the Amritsar Express train running between Bombay and Amritsar is not so popular due to its slow speed as compared to other Express trains; and

(b) if so, the action taken by Government to increase the speed of this Express train ?

The Minister of Railways (Shri Hanumanthaiya): (a) No, 57 Dn/58 Up Express running between Bombay and Amritsar is very well patronised, in spite of the fact that the journey time of 57 Dn/58 Up Express is about 5 hours more than of No. 5/6 Mail on account of a larger number of intermediate stoppages, and longer duration of halts at Manmad, Chalisgaon, Bhusaval and other stations, for shunting slip and programmed coaches.

(b) Does not arise.

छोटे किसानों को सस्ती दरों पर बिजली की सप्लाई

2208. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में किसानों को सस्ती दरों पर बिजली देकर कृषि-उत्पादन की वृद्धि करने के बारे में कुछ योजनायें बनाई हैं ;

(ख) क्या वाणिज्यिक मामलों की तुलना में छोटे किसानों को बिजली के लिए अधिक मूल्य देने पड़ते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने छोटे किसानों की कठिनाई को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) सफाई के स्वरूप, अपेक्षित सप्लाई का उद्देश्य और अन्य संबंधित तथ्यों को देखते हुए राज्य बिजली बोर्ड बिजली की सप्लाई के लिए विभिन्न टैरिफ निर्धारित करते हैं। कृषि उत्पादन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से राज्य बिजली बोर्डों द्वारा कृषि में काम आने वाली विद्युत् के लिए प्रोत्साहनात्मक टैरिफ लगाए गए हैं। राज्य बिजली बोर्डों की ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों की वित्त व्यवस्था हेतु केंद्रीय क्षेत्र में ग्राम विद्युतीकरण निगम की स्थापना की गई है। इन स्कीमों में सिंचाई पंपिंग सेटों के ऊर्जन पर विशेष बल दिया गया है। पिछड़े क्षेत्रों में ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के लिए निगम रियायती शर्तों पर ऋण स्वीकार करता है।

(ख) और (ग) : साधारणतः कृषकों को विद्युत् सप्लाई 400 वोल्ट पर दी जाती है जिसमें उच्च वोल्टता से ट्रांसफोर्मेशन और निम्न वोल्टता पर वितरण में व्यय होता है। लघु उद्योगों की दरों के साथ मुकाबले में जिन्हें कृषकों के सामान वोल्टता पर ही सप्लाई की जाती है, कृषि उद्देश्यों के लिए टैरिफ दरें बहुत से राज्यों में या तो उतनी ही हैं अथवा कम हैं।

उत्तर प्रदेश के औद्योगिक संस्थाओं को दिये गये ऋण

2209. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1968-69 और 1969-70 में केन्द्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में औद्योगिक संस्थाओं को कितनी राशि के ऋण दिये गये ; और

(ख) ये ऋण किन प्रयोजनों के लिये दिये गये तथा उनकी शर्तें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) और (ख) : औद्योगिक विकास मंत्रालय द्वारा सीधे उत्तर प्रदेश की किसी भी गैर सरकारी औद्योगिक कम्पनी/व्यक्ति को उक्त अवधि में कोई ऋण नहीं दिया गया है। फिर भी केन्द्रीय सरकार राज्य के छोटे उद्योगों को ऋण देने के लिए राज्य सरकारों को उद्योग अधिनियम/नियम के अधीन ऋण देने के लिए सरकारी सहायता देती है। 1968-69 की अवधि में उत्तर प्रदेश सरकार ने 138 ऋण स्वीकार किए तथा 37.53 लाख रुपये वितरित किये। इस प्रकार का 1969-70 का विवरण उपलब्ध नहीं है।

केन्द्रीय औद्योगिक परियोजनाएं

2210. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1971 में कितनी केन्द्रीय औद्योगिक परियोजनाएं पहली बार आरम्भ की जायेंगी ;

(ख) 1971 में भारत में कितनी औद्योगिक परियोजनाएं विदेशी फर्मों के सहयोग से आरम्भ की जायेंगी; और

(ग) दोनों क्षेत्रों में अलग अलग कुल कितनी विदेशी पूंजी लगाई जायेगी ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) : एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

चतुर्थ योजना अवधि में स्थापित/पूरी होने वाली केन्द्रीय औद्योगिक परियोजनाओं के नाम चतुर्थ पंचवर्षीय योजना रिपोर्ट के पृष्ठ 326-330 पर दिये गये हैं । चलते रहने वाली, तथा नई योजनाओं और प्रस्तावित परिव्यय के बारे में भी वही दिया गया है । यह बताना अभी संभव नहीं है कि किसी विशेष केन्द्रीय औद्योगिक परियोजना का 1971 में सर्वप्रथम सूत्रपात अथवा आरम्भ किया जायेगा । केन्द्रीय क्षेत्र की ऐसी महत्वपूर्ण औद्योगिक परियोजनाओं की एक सूची, जिन पर प्रारम्भिक कार्य/निर्माण कार्य 1971-72 में किये जाने की आशा है, नीचे दी जाती है :—

1. भिलाई इस्पात संयंत्र का विस्तार
2. उष्मसह संयंत्र
3. मिश्रधातु इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर का विस्तार
4. सेलम, वैजाग तथा होजपेट में नई इस्पात परियोजना
5. जम्मू काशमीर में हिमटु घड़ी का कारखाना
6. जस्ता पिघलाने की भट्टी, वैजाग
7. असम रिफाइनरी
8. पम्प तथा कम्प्रेशर परियोजना
9. ट्रामबे उर्वरक प्रायोजना का विस्तार
10. तलचेर और रामगुंडम में उर्वरक परियोजनाएं

पर्याप्त औद्योगिक आधार तैयार कर लिया गया है । और पूंजीगत एवं उपभोक्ता सम्मान दोनों के लिए उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में पहले ही विदेशी सहयोग कर लिया गया है, अब तो अत्याधिक चयनात्मक रूप से वह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है कि विदेशी विनियोजन और सहयोग ऐसे क्षेत्रों में अनावश्यक रूप से न लगा दिया जाये जहां देश में पर्याप्त रूप से तकनीकी जानकारी विकसित हो चुकी है । विदेशी सहयोग तथा विनियोजन में साझेदारी के प्रस्तावों पर उनके गुणावगुण पर तथा कुछ शर्तों के अधीन विचार किया जाता है ।

रेलवे कर्मचारियों की मजूरी में वृद्धि पर रोक (वैज फ्रीज)

2211. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के विचाराधीन रेलवे कर्मचारियों के लिए मजूरी पर रोक लगाने अथवा मजूरी को उत्पादिता के साथ सम्बद्ध करने के बारे में कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया): (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) : सवाल नहीं उठता ।

दूसरी श्रेणी के अधिकारियों का अन्तर्क्षेत्रीय स्थानान्तरण (दक्षिण रेलवे)

2212. **श्री सी० चित्तिबाबू :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण रेलवे डिवीजन-आर० एम० वर्क्स वर्कशाप और एम०/डब्ल्यू से अलग अलग संकेत तथा दूर संचार विभाग के श्रेणी दो के कितने अधिकारी सम्बद्ध हैं ;

(ख) उनमें कितने अधिकारी लगभग तीन वर्ष से उसी डिवीजन में हैं;

(ग) क्या संकेत तथा दूर संचार विभाग के कुछ श्रेणी दो के अधिकारी लगभग तीन वर्ष की अवधि से, जबकि उनकी श्रेणी दो में पदोन्नति हुई थी, उसी डिवीजन में हैं; और

(घ) यदि हां, तो श्रेणी दो के उन अधिकारियों को जो श्रेणी तीन से श्रेणी दो में उसी डिवीजन में पदोन्नत किये गये थे, दूसरे क्षेत्रों में स्थानांतरित न किये जाने के क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) दक्षिण रेलवे में सिगनल और दूर-संचार विभाग के श्रेणी II के जो अधिकारी कार्य कर रहे हैं उनकी संख्या इस प्रकार है: —

(i) प्रधान कार्यालय	—	3
(ii) मण्डल	—	5
(iii) रिमाडलिंग/वर्क्स कन्स्ट्रक्शन	—	3
(iv) वर्कशाप	—	1
(v) माइक्रोवेव कन्स्ट्रक्शन	—	1
जोड़		13

(ख) मण्डलों में दो ।

(ग) जी हां, मण्डल में एक ।

(घ) अधिकारियों के एक स्थान पर टिके रहने की कोई निश्चित अवधि निर्धारित नहीं की गयी है । प्रशासनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर स्थानान्तरण किये जाते हैं ।

दक्षिण रेलवे के कुछ कर्मचारियों को रात्रि कार्य भत्ता न दिया जाना

2213. **श्री सी० चित्तिबाबू** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास डिवीजन के संकेत और दूसरे संचार विभाग के कुछ कर्मचारियों को तथा

इंजीनियरिंग गैंगमैनों को फरवरी, 1971 से तथा गुन्टकल के बेतार संचालकों को अक्टूबर, 1970 से रात्रि भत्ता नहीं दिया गया है यद्यपि मजूरी भुगतान अधिनियम के अन्तर्गत इसकी व्यवस्था है ;

(ख) क्या दक्षिण रेलवे के सभी डिवीजनों में बहुत सी श्रेणियों के कर्मचारियों को कानूनी समय सीमा के अन्तर्गत रात्रि भत्ता नहीं दिया जा रहा है ;

(ग) क्या क्षेत्रीय लेखा कार्यालय में रात्रि भत्ते के बिलों में देरी की जाती है जिससे मजूरी भुगतान अधिनियम का उल्लंघन होता है; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) मद्रास मण्डल के सिगनल और दूर-संचार कर्मचारियों को, कुछ मामलों को छोड़कर, अप्रैल, 1971 तक के रात्रि ड्यूटी भत्ते का भुगतान कर दिया गया है ।

अनेक इंजीनियरी यूनिटों के गैंगमैनों के रात्रि ड्यूटी भत्ते के बिल भुगतान की व्यवस्था करने के लिए मण्डल लेखा कार्यालय को भेज दिये गये हैं ।

जहां तक गुन्तकल्लु मण्डल के वायरलैस आपरेटरों का सम्बन्ध है, उन्हें अक्तूबर और नवम्बर 1970 के महीनों के रात्रि ड्यूटी भत्ते का भुगतान कर दिया गया है । दिसम्बर, 70 से अप्रैल, 71 तक के महीनों के देय भत्ते की मांग की गयी है और सम्बन्धित कर्मचारियों को भुगतान की व्यवस्था करने के लिए बिल मण्डल लेखा कार्यालय, गुन्तकल्लु को भेज दिये गये हैं ।

(ख) हमेशा ऐसे प्रयास किये जाते हैं कि अधिकांश कर्मचारियों को यथासम्भव निर्धारित समय-सीमा के भीतर रात्रि ड्यूटी भत्ते का भुगतान हो जाये ।

(ग) बिलों को आम तौर पर मण्डल लेखा अधिकारियों द्वारा बिना परिहार्य विलम्ब के भुगतान के लिए पास कर दिया जाता है । लेकिन वास्तव में निम्नलिखित विभिन्न कारणों से भत्तों के लिए दावे प्राप्त होने में विलम्ब होता है ;

(i) वेतन-अवधि सभी विभागों के लिए एक समान नहीं है ।

(ii) कल्पित उपस्थिति के आधार पर भत्ते के भुगतान का दावा किया जाता है और उसका यदि आवश्यक हुआ तो, बाद की वेतन अवधि में समायोजन करने के लिए कहा जाता है ।

(iii) विभिन्न यूनिटों से दावा प्राप्त होने पर वेतन-अवधि समाप्त होने के बाद ही रात्रि ड्यूटी भत्ते का दावा प्रस्तुत किया जा सकता है और बिल ड्राइंग अधिकारी को दावों की जांच करने और उपयुक्त मंजूरी प्राप्त करने के बाद पूरी वेतन अवधि के लिए बिल तैयार करने होते हैं और भुगतान के लिए बिलों को लेखा विभाग में भेजना होता है ।

(घ) सभी सम्बन्धित विभागों को अनुदेश जारी किये गये हैं जिनमें रात्रि ड्यूटी भत्ते के भुगतान के लिए निर्धारित समय-सीमा का पालन करने की आवश्यकता दोहरायी गयी है ।

वाणिज्यिक क्लर्कों की संख्या में कमी

2214. **श्री चन्द्रिका प्रसाद : श्री पीलू मोदी :**

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1968 और 31 मार्च, 1971 को रेलवे के प्रत्येक जोन में प्रभागवार निम्नलिखित श्रेणियों के कर्मचारियों की संख्या क्या थी :

सहायक स्टेशन मास्टर, गार्ड, चल-टिकट परीक्षक, टिकट कलक्टर, कार्यालय क्लर्क, वाणिज्यिक क्लर्क, लेखा क्लर्क, प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के अधिकारी;

(ख) क्या यातायात में समग्र रूप से वृद्धि होने के बावजूद उपर्युक्त अवधि के दौरान वाणिज्यिक क्लर्कों की संख्या में निरन्तर कमी हुई है; यदि हां; तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) प्रत्येक जोन में डिवीजन-वार 1 जनवरी, 1968 से 31 मार्च, 1971 तक की अवधि के दौरान वाणिज्यिक क्लर्कों की श्रेणी में कम किये गये पदों की संख्या कितनी है; और

(घ) सहायक स्टेशन मास्टर, गार्ड, चल-टिकट परीक्षक, टिकट कलक्टर, कार्यालय क्लर्क, लेखा क्लर्क, प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों की श्रेणियों में इस प्रकार कम किये गये पदों की संख्या कितनी है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

जोनल ट्रेनिंग स्कूल, उदयपुर (पश्चिम रेलवे) में प्रबोधन पाठ्यक्रमों के प्रशिक्षणार्थियों को निःशुल्क वर्दी देना

2215. **श्री चंद्रिका प्रसाद :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जोनल ट्रेनिंग स्कूल, उदयपुर (पश्चिम रेलवे) में प्रबोधन पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले रेलवे कर्मचारियों को प्रबोधन पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण लेते समय एक विशिष्ट वर्दी पहननी पड़ती है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त स्कूल के अधिकारियों द्वारा नियत वर्दी का व्यौरा क्या है तथा इसका अनुमानित मूल्य कितना है;

(ग) जिन प्रशिक्षणार्थियों को वर्दी नहीं दी जाती है क्या उन्हें अपनी जेब से वर्दी खरीदने के लिये बाध्य किया जाता है;

(घ) उक्त प्रबोधन पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण लेने वाले कर्मचारियों को किन कारणों से केवल 15 से 20 दिनों तक के लिये वर्दी खरीदने के लिये विवश किया जाता है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार अब सभी प्रशिक्षणार्थियों को निःशुल्क वर्दी देने का है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) से (ङ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

प्रेषित माल पर न्यून शुल्क की बकाया राशि

2216. **श्री चंद्रिका प्रसाद :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यात्री गाड़ी से बुक की जाने वाली हरी मिर्चों, प्याज और आलुओं पर अन्य हरी-सब्जियों पर लागू दर से अधिक दर पर शुल्क लिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या रेलवे के लेखा कार्यालयों ने पता लगाया है कि अप्रैल 1970 से जनवरी 1971 की अवधि के बीच उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित तथा बुक की गई वस्तुओं के प्रेषित माल पर अत्यन्त न्यून शुल्क लगाया गया है;

(घ) यदि हां तो प्रत्येक जोनल रेलवे अलग-अलग न्यून शुल्क की कुल कितनी राशि का पता लगाया गया है और कितनी राशि वसूल की गई है और कितनी राशि बकाया है; और

(ङ) न्यून-शुल्क की वसूली करने के लिये रेलवे ने क्या प्रबन्ध किये हैं ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी हां।

(ख) ऐसा विचार है कि अपेक्षाकृत अधिक शीघ्र गलने-सड़ने वाली सब्जियों पर निचली दर के प्रभार लगने चाहिए।

(ग) और (घ) एक विवरण संलग्न है जिसमें अपेक्षित सूचना दी गयी है।

(ङ) न्यून प्रभारों की बकाया रकम को वसूल करने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं।

विवरण

रेलवे	न्यून प्रभारों की कुल रकम	रकम जो वसूल हुई	बकाया रकम जो वसूल होनी है
1	2	3	4
	रुपये	रुपये	रुपये
मध्य	1,962.90	61.70	1,901.20
पूर्व	145.10	1.60	143.50
उत्तर	63.35	21.35	42.00
पूर्वोत्तर	762.97	कुछ नही	762.97
पूर्वोत्तर सीमा	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
दक्षिण	1,132.50	26.60	1,105.90
दक्षिण मध्य	11,191.88	37.30	11,154.58
दक्षिण-पूर्व	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
पश्चिम	23,343.70	3,705.40	19,638.30

ब्यास बांध और भाखड़ा बांध परियोजनाओं के मैकेनीकल और इलेक्ट्रीकल कर्मचारी

2217. **श्री प्रबोध चन्द्र** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्यास बांध परियोजना और भाखड़ा बाँध परियोजना के मेकेनीकल और इलेक्ट्रीकल सर्किलों की संख्या और नाम क्या हैं तथा उन मैकेनीकल और इलेक्ट्रीकल डिवीजनों की संख्या और नाम क्या हैं जिनके लिये उक्त सर्किल बनाये गये थे ; और

(ख) इस समय व्यास बाँध परियोजना तथा भाखड़ा बाँध परियोजना पर कितने मैकेनीकल और इलेक्ट्रीकल सब डिवीजनल अधिकारी तथा कार्यकारी इन्जीनियर कार्य कर रहे हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क और (ख) : एक विवरण संलग्न है । [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 417-71]

मध्य प्रदेश के रेवा-सिधी-सहडोल क्षेत्र में रेलवे लाइनें

2218. **श्री रणबहादुर सिंह** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के रेवा-सिधी-सहडोल क्षेत्र में भारी मात्रा में खनिज निक्षेपों को निकालने के लिये उस क्षेत्र में रेलवे लाइन के निर्माण की व्यवहार्यता के सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार चालू योजना में व्यवहार्यता अध्ययन के लिये आदेश देने का है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं ।

(ख) धन की कमी होने और यातायात की दृष्टि से पर्याप्त औचित्य न होने के कारण फिलहाल रीवां-सीधी-सहडोल क्षेत्र में रेलवे लाइन के निर्माण पर विचार नहीं किया जा सकता ।

(ग) जी नहीं ।

रंगिया में डिवीजनल मुख्यालय

2219. **श्री धरनीधर दास** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे पर रंगिया में डिवीजनल मुख्यालय के लिये स्थान की तकनीकी सम्भाव्यता के बारे में सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका निर्माण-कार्य कब आरम्भ हो जायेगा; और

(ग) रंगिया में डिवीजनल मुख्यालय अनुमानतः कब तक बन कर पूरा हो जायेगा और उद्घाटन कब होगा ?

रेल मंत्री (श्री हनुमंतैया) : (क) सभी संगत पहलुओं का गहन अध्ययन कर लेने के पश्चात् उपयुक्त स्थान के चयन के लिए रेल प्रशासनों ने असम राज्य सरकार का यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है कि तकनीकी समिति जिसमें राज्य सरकार और रेल प्रशासन के प्रतिनिधि होंगे, द्वारा संयुक्त जांच-पड़ताल की जाये। रेल प्रशासन अपने प्रतिनिधि नामित कर चुका है लेकिन राज्य सरकार को अभी नामित करना है। जैसे ही समिति पूरी तरह गठित हो जायेगी, जाँच-पड़ताल का काम शुरू कर दिया जायेगा।

(ख) और (ग) : भाग (क) के उत्तर को देखते हुए अभी यह बताना सम्भव नहीं है कि निर्माण-कार्य किस तारीख से शुरू होगा। इन्हीं कारणों से यह कहना भी सम्भव नहीं है कि निर्माण-कार्य कब पूरा होगा और मण्डलीय मुख्यालय का उद्घाटन कब होगा।

आन्ध्र प्रदेश के कुप्पम कस्बा के रेलवे फाटक पर उपरि-पुल (दक्षिण रेलवे)

2220. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के चितूर जिले के कुप्पम कस्बे के रेलवे फाटक पर उपरि-पुल बनाने के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव को कब तक क्रियान्वित किया जायेगा ?

रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जोलार पेट्टै-बेंगलुरु सिटी खण्ड में कि० मी० 250/4–5 पर वर्तमान समपार के बदले कुप्पम के निकट कि० मी० 250/14-15 पर एक निचला सड़क पुल (ऊपरी सड़क पुल नहीं) बनाने का प्रस्ताव 1971-72 के रेलवे निर्माण कार्यक्रम में पहले ही शामिल किया जा चुका है।

(ख) राज्य सरकार के परामर्श से विस्तृत योजना और खर्च के अनुमानों को अभी अन्तिम रूप/मंजूरी देना बाकी है। जब इन्हें अन्तिम रूप-मंजूरी दे दी जायेगी और राज्य सरकार भी पहुंच मार्गों के सम्बन्ध में काम शुरु करने की स्थिति में होगी तब रेलवे पुल संरचना पर काम शुरु करेगी ताकि ये दोनों काम साथ-साथ पूरे हो सकें।

आंध्र प्रदेश के चितूर टाउन के रेलवे फाटक पर उपरिपुल (दक्षिण रेलवे)

2221. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के चितूर टाउन रेलवे फाटक पर उपरि पुल बनाने से सम्बन्धित प्रस्ताव को मंजूर कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव को कब तक क्रियान्वित किया जायेगा ?

रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी हां।

(ख) राज्य सरकार ने पहुंच मार्गों के लिये, हाल ही में एक सशोधित अनुमान भेजा है। तदनुसार, रेलवे के हिस्से के निर्माण कार्य के अनुमान को संशोधित किया जा रहा है। विस्तृत अनुमान स्वीकार होने और राज्य सरकार के इस स्थिति में होने पर कि वह पहुंच मार्गों का काम शुरु कर सके, रेलवे पुल संरचना का काम हाथ में लेगी ताकि पुल खास और पहुंच मार्ग साथ-साथ पूरे हो सकें।

यातायात निरीक्षकों और गति निरीक्षकों के कार्य के बारे में टिप्पणी (पश्चिम रेलवे)

2222. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : **श्री चन्द्रिका प्रसाद** :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे के जनरल मैनेजर ने अपने निरीक्षणों के पश्चात यातायात निरीक्षकों और गति निरीक्षको के कार्य के बारे में टिप्पणी की है :

(ख) क्या उक्त टिप्पणी को डिवीजनल सुपरिन्टेन्डेन्ट के 18 दिसम्बर, 1970 की पत्र संख्या टी० 394/23 खंड दो के अनुसार परिचालित किया गया था; और

(ग) क्या पश्चिम रेलवे के जनरल मैनेजर की टिप्पणी और उपर्युक्त भाग (ख) में उल्लिखित पत्र की एक एक प्रति को सभा पटल पर रखने का सरकार का विचार है।

रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) से (ग) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

यातायात निरीक्षकों और मूवमेंट इन्सपैक्टरों पर किया गया खर्च

2223. **श्री ओंकार लाल बेरवा :**　　　　　**श्री चन्द्रिका प्रसाद :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1969 और 1970 में यातायत निरीक्षकों और मूवमेंट इन्सपैक्टरों पर अलग अलग उनको दिये जाने वाले वेतन, भत्ते तथा यात्रा भत्ते और अन्य सुविधाओं के रूप में कुल कितना खर्च किया गया है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

यातायात विभाग तथा वाणिज्यिक विभाग के कर्मचारियों का एक विभाग से दूसरे विभाग में स्थानान्तरण

2224. **श्री ओंकार लाल बेरवा :**　　　　　**श्री चन्द्रिका प्रसाद :**

श्री प्रवीण सिंह सोलंकी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यातायात विभाग की परिवहन और वाणिज्य नामक दो शाखायें हैं तथा एक शाखा के श्रेणी एक और दो के अधिकारियों को दूसरी शाखा में रखा जा सकता है ;

(ख) क्या परिवहन शाखा के कर्मचारी ही अब तक रेलवे में स्टेशन मास्टर नियुक्त किये जाने के पात्र हैं ; और

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी हाँ।

(ख) जी हां।

(ग) स्टेशन मास्टरों का वर्गीकरण तीसरी श्रेणी में किया जाता है। इस वर्ग के कर्मचारियों की अदला बदली नहीं की जा सकती क्योंकि स्टेशन मास्टरों को परिवहन और वाणिज्यिक दोनों ही तरह के कार्यों का पर्यवेक्षण करना पड़ता है। स्टेशन मास्टर के पदों पर केवल उन्हीं कर्मचारियों को तैनात किया जाता है जिन्हें दोनों ही तरह के कामों का प्रशिक्षण और अनुभव प्राप्त होता है।

रेलवे के वाणिज्य विभाग के कार्यकरण के बारे में प्रशासन सुधार आयोग की टिप्पणियां

2225. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासनिक सुधार आयोग ने रेलवे के वाणिज्य विभाग के कार्यकरण के संबंध में कुछ टिप्पणियां की हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उन टिप्पणियों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी हां।

(ख) सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं।

पूर्वोत्तर रेलवे पर मूल्यवान वस्तुओं की चोरी

2226. **श्री इसहाक सम्भली** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ डिवीजन के गार्डों ने विशेषकर एशबाग रेलवे स्टेशन से हलद्वानी और इज्जत नगर को लादे गये माल डिब्बों से मूल्यवान वस्तुओं की चोरी के सम्बन्ध में बहुत सी शिकायतें की हैं, जबकि रेलगाड़ी के साथ रेलवे सुरक्षा बल के सशस्त्र अनुरक्षक भी होते हैं ;

(ख) क्या रेलवे प्रशासन ने सम्बद्ध गार्डों को तंग करना आरम्भ कर दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो अप्रैल, 1971 में बहुत गार्डों द्वारा पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबन्धक से की गई शिकायतों पर प्रशासन ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) शिकायतों की जांच की जा रही है। रेल प्रशासन को चलती गाड़ी में चोरियों की समस्या की जानकारी है और वह सुरक्षा प्रबन्धों को मजबूत बनाने के लिये विशेष रूप से प्रभावग्रस्त खंडों में, आवश्यक कदम उठ रहा है।

गार्डों को उच्चतर ग्रेडों में स्थायी बनाना
(दक्षिण पूर्व रेलवे)

2227. **श्री इसहाक सम्भली** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पूर्व रेलवे के खड़गपुर डिवीजन के 'सी' ग्रेड के गार्डों का कार्य, जो पाच वर्ष से अधिक की अवधि से उच्चतर ग्रेड के अर्थात 'बी' ग्रेड के स्थायी पदों पर स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहे हैं, बिल्कुल सन्तोषजनक है ;

(ख) क्या नियमानुसार यदि कोई व्यक्ति 18 मास से अधिक की अवधि तक उच्चतर ग्रेड के किसी स्थाई रिक्त पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करता है तो उसे स्थाई बना दिया जाना चाहिये ;

(ग) दक्षिण पूर्व रेलवे केवल चक्रधरपुर आद्र और खड़गपुर डिवीजनों द्वारा ही 'सी' ग्रेड के गार्डों को 'बी' ग्रेड में पदोन्नत करते समय उपयुक्तता परीक्षा लिये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) उच्चतर ग्रेड के स्थाई रिक्त पदों पर स्थानापन्न कार्य कर रहे कार्य-कर्मचारियों को स्थाई न करने के क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) से (घ) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

अजमेर डिवीजन (पश्चिम रेलवे) के टाइपिस्टों के कार्यभार तथा उनकी अपेक्षित संख्या के बारे में मूल्यांकन

2228. **श्री पन्ना लाल बारूपाल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे वित्त पुस्तिका के अनुसार रेलवे में कार्य कर रहे टाइपिस्टों के लिये क्या सीमा निर्धारित की गई है ;

(ख) 31 मार्च 1971 को पश्चिम रेलवे के अजमेर डिवीजन में कुल कितने टाइपिस्ट थे ;

(ग) क्या गत तीन वर्षों में अजमेर डिवीजन में कार्य कर रहे टाइपिस्टों के भार का पता लगाने के लिये उनके कार्य की कभी जांच की गई है ;

(घ) यदि हां, तो कार्य भार और निर्धारित सीमा के अनुसार टाइपिस्टों के कुल कितने अतिरिक्त पदों का होना न्यायसंगत है; और

(ङ) यदि पदों की संख्या में कोई कमी है तो उसे पूरा न करने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया): (क) प्रति टाइपिस्ट प्रतिदिन 500 से 600 लाइनें।

(ख) 25.

(ग) जी हां, मंडल कार्यालय में मई, 1969 में कार्य विश्लेषण किया गया था।

(घ) 6 पद।

(ङ) मापदन्ड के आधार पर जिन अतिरिक्त पदों का औचित्य है उनकी व्यवस्था इसलिये नहीं की गयी है ताकि प्रशासन के खर्च में किफायत की जा सके।

अजमेर डिवीजन (पश्चिम रेलवे) के टाइपिस्टों के काम में वृद्धि

2229. **श्री पन्ना लाल बारूपाल** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलवे में टाइपिस्टों की भर्ती पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो किस तारीख को उक्त प्रतिबन्ध लगाया गया था और इसके क्या कारण हैं ;

(ग) कार्य विश्लेषण और निर्धारण मानदण्ड के अनुसार पश्चिम रेलवे के अजमेर डिवीजन में टाइपिस्टों की संख्या में कुल कितनी कमी है ; और

(घ) जब टाइपिस्टों की भर्ती पर रोक है, तो बढ़े हुए कार्य को किस प्रकार किया जा रहा है ?

रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) और (ख) कार्यालयों में टाइपिस्टों सहित सभी कोटि के कर्मचारियों के पदों के सृजन पर प्रतिबन्ध रहा है। भर्ती के लिए रेल सेवा आयोग को मांग प्रस्तुत करने से पहले रेलवे बोर्ड का पूर्वानुमोदन आवश्यक है।

(ग) और (घ) : कर्मचारियों की कुल संख्या 25 है जिसमें से 2 स्थान रिक्त हैं और कार्य-विश्लेषण के फलस्वरूप माप-दण्ड के अनुसार 6 और पद अपेक्षित हैं। टाइप सम्बन्धी कार्य को यथासम्भव सीमित करके और प्रतिलिपियां तैयार करके कार्य-व्यवस्था चलायी जा रही है।

रेलवे बोर्ड और पश्चिम रेलवे के विभागीय कार्यालयों के टाइपिस्टों को मानदेय और समयोपरि भत्ते का भुगतान

2230. **श्री पन्नालाल बारूपाल** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड तथा पश्चिम रेलवे के डिवीजनल के कार्यालयों में कार्य करने वाले टाइपिस्टों को समय समय पर मानदेय/समयोपरि भत्ता मिलता है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त दोनों कार्यालयों में वर्ष 1967, 1968, 1969 तथा 1970 में

प्रतिमास अलग अलग मानदेय/समयोपरि भत्ते की कुल कितनी राशि का भुगतान किया गया ; और

(ग) रेलवे बोर्ड के कार्यालयों और पश्चिमी रेलवे के विभागीय कार्यालयों में कार्य करने वाले टाइपिस्टों को मानदेय/समयोपरि भत्ते का भुगतान करने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी हां। रेलवे बोर्ड कार्यालय में टाइपिस्टों की कोई अलग कोटि नहीं हैं। बोर्ड कार्यालय में निम्न श्रेणी लिपिक ही टाइप का काम भी करते हैं और भारत सरकार के दूसरे मंत्रालयों में जिस आधार पर मानदेय/समयोपरि भत्ता मिलता है उसी आधार पर उन्हें भी दिया जाता है। पश्चिम रेलवे के मन्डल कार्यालयों के टाइपिस्टों को, क्षेत्रीय रेलों के कर्मचारियों पर लागू नियमों के अनुसार मानदेय/समयोपरि भत्ता मिलता है।

(ख) अपेक्षित सूचना अनुबन्ध I और II में दी गयी है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 418/71]

(ग) मानदेय/समयोपरि भत्ता तभी अधिकृत किया जाता है जब प्रशासनिक हित में आवश्यक समझा जाये।

क्विलोन और त्रिवेन्द्रम (दक्षिण रेलवे) में सहायक बुकिंग क्लर्कों की संख्या में वृद्धि

2231. **श्री प्रवीण सिंह सोलंकी : श्री चन्द्रिका प्रसाद :**

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे के क्विलोन और त्रिवेन्द्रम स्थित केन्द्रीय बुकिंग कार्यालयों में नियुक्त सहायक बुकिंग क्लर्कों की संख्या यात्रियों को उपलब्ध बढ़ती हुई सुविधाओं और इसके परिणाम स्वरूप कार्य-भार में से हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए काम संभालने के लिए अपर्याप्त है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में दि आल इंडिया रेलवे कमर्शल क्लर्क असोसिएशनों से कोई अभ्यावेदन हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्य-वाही की गई है और सरकार का क्या अग्रेतर कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) और (ग) कोल्लम में सहायक बुकिंग क्लर्कों की संख्या पर्याप्त है। तिरुवनन्तपुरम सेंट्रल में सहायक बुकिंग क्लर्कों की संख्या 5 से बढ़ाकर 6 कर देने का प्रस्ताव है।

(ख) जी नहीं।

दक्षिण रेलवे के मद्रास डिवीजन के वरिष्ठ वाणिज्यिक क्लर्कों द्वारा पूछताछ तथा आरक्षण क्लर्कों के कार्य का किया जाना

2232. **श्री प्रवीण सिंह सोलंकी श्री चन्द्रिका प्रसाद :**

क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे के मद्रास डिवीजन के वरिष्ठ वाणिज्यिक क्लर्कों को पूछताछ और आरक्षण क्लर्कों के पदों पर वास्तव में बिना चयन किये कार्य करने के लिये कहा गया था ; और

(ख) क्या यह कार्यवाही वाणिज्यिक क्लर्कों के पदों में सीधी कटौती है क्योंकि जिन कर्मचारियों को पूछताछ और आरक्षण क्लर्कों के पदों पर कार्य करने के लिये कहा गया था उनके स्थान पर कोई कर्मचारी नियुक्त नहीं किये गये थे ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) अतिरिक्त पदों के लिये 150–240 रुपये के वेतनमान वाले पूछताछ और आरक्षण क्लर्कों के संवर्ग की समीक्षा होने तक, मद्रास एम्बूर स्टेशन पर बुकिंग और आरक्षण का काम करने के लिये 150–240 रुपये के वेतनमान में कुछ बुकिंग क्लर्क बिल्कुल अस्थायी तौर पर तैनात किये गये हैं।

(ख) 150–240 रुपये के वेतनमान वाले जिन बुकिंग क्लर्कों से बुकिंग और आरक्षण का काम लिया जा रहा है उनके बदले 110–200 रुपये के वेतनमान में बुकिंग क्लर्कों के उतने ही पदों का सृजन किया गया है। इसलिए, वाणिज्यक (बुकिंग) क्लर्कों के संवर्ग में कोई कमी नहीं हुई है।

गुन्टकल, स्टेशन (दक्षिण रेलवे) पर 'चीफबुकिंग क्लर्क' का दर्जा घटाया जाना

2233. **श्री प्रवीण सिंह सोलंकी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण रेलवे के गुन्टकल स्टेशन पर कुल कितनी धन राशि प्रतिदिन इकट्ठा हो जाती है जिसे चीफ बुकिंग क्लर्क संभालता है ;

(ख) उसके नियंत्रण में कुल कितने मूल्य के टिकट रहते हैं ;

(ग) उस पद का 1964 में क्या ग्रेड था तथा इस समय क्या है ; और

(घ) उक्त पद का दर्जा घटाये जाने के क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्री (श्री हनुमंतैया) : (क) लगभग 7685 रुपये।

(ख) लगभग 16 लाख रुपये।

(ग) यह पद 1964 में 250–380 रुपये के ग्रेड में था और अब 205–280 रुपये के ग्रेड में है।

(घ) कार्यभार के आधार पर इस पद का ग्रेड घटा दिया गया और ऊँचा ग्रेड इस मंडल की दूसरी यूनिट को आबंटित कर दिया गया।

बहराइच जिले का औद्योगिक सर्वेक्षण

2234. **श्री बी० आर० शुक्ल** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ समय पूर्व उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की औद्योगिक सम्भाव्यताओं का सर्वेक्षण किया गया और यदि हां, तो किस प्रकार के उद्योगों की स्थापना के सुझाव दिये गये थे ; और

(ख) क्या सरकार ने उक्त जिले में कोई सरकारी उपक्रम स्थापित करने अथवा वहां उद्योग लगाने हेतु किसी गैर-सरकारी उद्यम को सहायता देने के बारे में कोई कार्रवाई की है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) : बहराइच उत्तर प्रदेश के उन 35 पिछड़े जिलों में से है जिन्हें वित्तीय संस्थाओं द्वारा उद्योग शुरू करने के लिये रियायती दर पर आर्थिक सहायता मिल सकती है। राज्य के उद्योग निदेशक द्वारा राज्य के लघु उद्योग सेवा संस्थानों और विभिन्न निगमों जैसे—उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम–उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक निगम और उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम की सहायता से इन पिछड़े जिलों का तकनीकी और आर्थिक सर्वेक्षण किया गया। भारतीय औद्योगिक विकास निगम, औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक ऋण और विनियोजन निगम रिजर्व बैंक आफ इंडिया और एग्रीकल्चरल रिफाइनेंस कारपोरेशन के एक संयुक्त दल ने राज्य की औद्योगिक क्षमता का पता लगाने के लिये उत्तर प्रदेश का सर्वेक्षण किया सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार हो रही है। इसके अलावा लघु उद्योग सेवा संस्थान कानपुर द्वारा इस जिले का जनवरी 1970 में सर्वेक्षण किया गया जिसमें लघु उद्योगों के बारे में कुछ सुझाव दिये गये हैं। उत्तर प्रदेश सरकार और लघु उद्योग संगठन बहराइच में उद्योग स्थापित करने वाले भावी उद्यमियों का पता लगा रहे हैं। इन जिलों में उद्योगों का वास्तविक रूप मे स्थापित किया जाना उद्यमियों के अपने प्रयास और उद्योगों का विकास करने में लगे राज्य के अभिकरणों पर निर्भर करेगा।

बंगला देश से आने वाले शरणार्थियों का नाम मतदाता सूची में दर्ज करना

2236. **श्री बीरेन दत्त** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगला देश से आने वाले अनेक विस्थापित व्यक्तियों के नाम त्रिपुरा में मतदाता सूची में दर्ज किये जा रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसे रोकने के लिए सरकार का विचार क्या कार्रवाई करने का है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Technical Officers in the Office of Development Commissioner, Small Scale Industries sent abroad

2237. **Shri Jagdish Narain Mandal** : Will the Minister of **Industrial Development** be pleased to state :

(a) the criteria on which the Technical Officers in the Office of the Development Commissioner, Small Scale Industries are sent abroad;

(b) the names and designations of the Tehcnical Officers sent abroad during the last three years indicating the names of countries visited, the period of their stay abroad, the nature of duties performed and the amount of foreign exchange spent; and

(c) the extent to which the seniority of the said officers has been taken into account ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) Officers are selected primarily on the basis of suitability taking into consideration the work to be done and also the experience and competence of the officers.

(b) A statement showing the names and designations of ofifcers sent abroad during the last three years is enclosed. **[Placed in Library, See No. L. T. 419/71]** Most of the delegations/deputations were at the invitation of the foreign Governments.

The information about the amount of foreign exchange released or spent by the officers is being collected and will be laid on the Table of House.

(c) Seniority alone is not the basis for selection of officers. However, experience and seniority among other things are also taken into consideration while selecting officers for deputation abroad.

Applications for import of Capital Goods approved by Development Commissioner, Small Scale Industries

2238. **Shri Jagdish Narain Mandal** : Will the Minister of **Industrial Development** be pleased to state the number of applications for import of capital goods approved by the Committee on Small Scale Industries in the Office of the Development Commissioner, Small Scale Industries during the last three years, State-wise alongwith the description and value of the capital goods ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad) : A statement is attached.

Statement

The number of cases approved by the S. S. I. Committee of the DCSSI during the last three years are given below:-

Year	No. of cases approved	Value (In Crores of Rs.)
1968-69	265	3. 26
1969-70	304	3.64
1970-71	371	5.51
	Total : 940	12.41

Detailed information regarding the number of cases approved and the value, State-wise, is not readily available. It is also felt that it will involve a lot of time and labour in compiling information regarding detailed description of machinery in these 940 cases.

डीजल इंजनों का उत्पादन

2239. **श्री विश्वनाथ राय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या रेल डिब्बों में डीजल इंजनों का उत्पादन इस स्तर तक बढ़ चुका है कि अन्य देशों की मांग पूरी की जा सकती है और यदि हां, तो किस हद तक ?

रेल मंत्री (श्री हनुमंतैया) : डीजल इंजनों का उत्पादन इतना नहीं है कि वह आवश्यकता से अधिक हो। फिर भी, अन्य देशों से प्राप्त बाहरी मार्गों पर भारतीय रेलों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान क्षमता के अन्तर्गत विचार किया जाता है।

मद्रास-वाल्टयर रेल लाइन का विद्युतीकरण

2240. **श्री बी० एस० मूर्ति** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास वाल्टयर रेल लाइन के विद्युतीकरण का कार्य कब प्रारंभ किया गया था और कितने मील तक पूरा हुआ है ; और

(ख) इस सारी लाइन का कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा ?

रेल मंत्री (श्री हनुमंतैया) : (क) मद्रास-वाल्तेरू लाइन के विद्युतीकरण का काम अभी

तक शुरू नहीं किया गया है। लेकिन मद्रास-विजयवाड़ा खण्ड जो कि मद्रास-वाल्तेरू लाइन का एक भाग है, के विद्युतीकरण का काम चौथी योजना में शामिल कर लिया गया है।

(ख) वाल्तेरु-बिजयवाड़ा खण्ड के विद्युतीकरण का काम शुरू करने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है।

राजा मुन्दरी (दक्षिण मध्य-रेलवे) में रेल पुल

2241. **श्री बी० एस० मूर्ति :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजा मुन्दरी में गोदावरी नदी पर दूसरे पुल का निर्माण कार्य कब प्रारम्भ हुआ था ;

(ख) अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ग) इस पुल को कब चालू किया जायेगा ?

रेल मंत्री (श्री हनुमंतैया) : (क) अगस्त, 1964 में।

(ख) नींव और अधो संरचना का समस्त कार्य पूरा हो चुका है। 300 फुट के ग्यारह स्पैन और 150 फुट के एक स्पैन के लिए इस्पात के गर्डर लगाये जा चुके हैं। बाकी स्पैनों के लिए गर्डर लगाने का काम चल रहा है।

(ग) जून, 1972 में।

तीसरी और चौथी योजना अवधि के दौरान दक्षिण मध्य रेलवे जोन में नई रेल लाइन

2242. **श्री बी० एस० मूर्ति** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी और चौथी योजना अवधियों के दौरान दक्षिण मध्य रेलवे जोन में नई रेल लाइनें बिछाने हेतु कोई ट्रैफिक तथा आर्थिक सर्वेक्षण किये गये थे;

(ख) यदि हां, तो इन सर्वेक्षण रिपोर्टों के क्या परिणाम निकले; और

(ग) चौथी योजना के अंत तक इस जोन में कौनसी नई रेल-लाइनें बिछाई जायेंगी ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया): (क) और (ख) तीसरी और चौथी योजना अवधि में दक्षिण मध्य रेलवे में जिन नयी लाइनों के लिए सर्वेक्षण था अध्ययन किये गये हैं वे इस प्रकार है :

I. **भद्राचल, रोड–कोव्वूर (बड़ी लाइन** 148.06 **कि० मी०**)

1965-66 में लागत एवं व्यावहारिकता अध्ययन किया गया था। चूंकि उससे पता लगा कि यह लाइन वित्तीय दृष्टि से सक्षम नहीं होगी अतः इस योजना को आस्थगित कर दिया। फिर भी, इस लाइन की वर्तमान यातायात की सम्भावना का पता लगाने की दृष्टि से, पहले किये गये व्यावहारिकता अध्ययन की रिपोर्ट का अब पुनर्मूल्यांकन किया जा रहा है।

II. **गुंटूर-माचेरला मी० मीटर लाइन खण्ड** (280.86 **कि० मी०**) **को बड़ी लाइन में बदलने के साथ-साथ सिकंदराबाद-नाडीकुडे बड़ी लाइन**

इस परियोजना के लिए प्रारम्भिक इंजीनियरी और यातायात सर्वेक्षण अभी हाल (1969-70) में किये गये हैं और अब सर्वेक्षण रिपोर्टों पर विचार किया जा रहा है। सर्वेक्षण रिपोर्टों के अनुसार इस परियोजना में लगभग 20.13 करोड़ सकल लागत आयेगी। इन रिपोर्टों

पर सभी पहलुओं से विचार हो जाने के बाद ही इस परियोजना के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय किया जायेगा।

(ग) चौथी योजना में जिन नयी लाइनों का निर्माण प्रारम्भ किया जाना है उनके ब्यौरे को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। अतः इस समय यह बताना सम्भव नहीं है कि दक्षिण मध्य रेलवे में किन-किन लाइनों का निर्माण, यदि कोई होगा; प्रारम्भ किया जायेगा।

राजस्थान के झालावाड़ जिले का विकास

2243. **श्री बृजराज सिंह कोटा :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में पिछड़ेपन के कारण, 200 विशेष जिलों में उद्योगों का विकास करने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो राजस्थान के झालावाड़ जिले के संबंध में क्या योजनायें बनाई जा रही हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) और (ख) : सरकार ने कुछ जिलों/क्षेत्रों को उद्योग चलाने के लिए वित्तीय संस्थानों द्वारा रियायती दर पर धन दिए जाने के लिए चुना है। [**सूची ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टा० 420/71**] राजस्थान राज्य का झालावाड़ इस हुतु चुने गए जिलों में से हैं। वित्तीय संस्थानों द्वारा दी जाने वाली रियायतों तथा सुविधाओं से इन जिलों में औद्योगिक विकास की गति बढ़ेगी और यह आशा की जाती है कि उद्यमी लोग विभिन्न रियायतों का लाभ उठाएंगे।

दिल्ली और बम्बई के बीच चलने वाली फ्रंटियर मेल गाड़ी में दूसरी और तीसरी श्रेणी के यात्रियों के लिये डिब्बा

2244. **राजमाता कृष्णा कुमारी जोधपुर :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और बम्बई के बीच चलने वाली फ्रंटियर मेल गाड़ी के साथ दूसरे तथा तीसरे दर्जे के यात्रियों के लिये केवल एक ही डिब्बा लगाया जाता है ;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) दूसरे तथा तीसरे दर्जे के यात्रियों के लिये और डिब्बे जोड़ने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया): (क) जी नहीं, 3 डाउन/4 अप फ्रंटियर डाक गाड़ी में तीसरे दर्जे के दो शयन यान, साधारण तीसरे दर्जे का एक डिब्बा, तीसरे दर्जे एवं सामान तथा ब्रेकयान का एक मिला-जुला डिब्बा, तीसरे दर्जे एवं डाक यान का एक मिला-जुला डिब्बा और दूसरे दर्जे का एक शयनयान लगाया जाता है।

(ख) और (ग) सवाल नहीं उठता।

न्यायाधीशों के वेतन

2245. **राजमाता कृष्णा कुमारी जोधपुर :** क्या **विधि और न्याय** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह ज्ञात है कि न्यायाधीशों के अपर्याप्त वेतन के कारण न्यायपालिका की प्रतिष्ठा और स्वतन्त्रता घटी है ; और

(ख) यदि हाँ, तो न्यायाधीशों के वेतन बढ़ाने के संबंध में सरकार का क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) (क) और (ख) : यह महसूस किया जाता है कि न्यायाधीशों के, वेतन जैसे कि संविधान में उपबन्धित हैं, बदली हुई परिस्थितियों में पर्याप्त आकर्षक नहीं हैं और बार के योग्य सद य न्यायाधीश पद स्वीकार करने को तैयार नहीं है। किन्तु यह कहना सत्य न होगा कि इसके प्रभावस्वरूप न्यायपालिका की प्रतिष्ठा और स्वतंत्रता घटी है । उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतनों में 500/– रुपये प्रति मास की वृद्धि करने की प्रस्थापना पर सरकार ने हाल में विचार किया था। चूंकि इस प्रस्थापना में संविधान में संशोधन करने की बात आ जाती है इसलिये संसद् में राजनैतिक दलों के नेताओं से परामर्श किया गया था किन्तु बहुमत इस पक्ष में नहीं थी कि न्यायाधीशों का वेतन बढ़ाया जाए । इसलिए इस प्रस्थापना को छोड़ देना पड़ा ।

गैर-सरकारी और सरकारी परियोजनाओं में विदेशी परामर्शदाताओं की नियुक्ति

2246. **श्री कृष्णचन्द्र पांडे :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक गैर सरकारी और सरकारी परियोजनाओं में विदेशी परामर्शदाता नियुक्त किये गये हैं ;

(ख) क्या अनेक भारतीय कम्पनियां/परामर्शदाताओं ने उक्त क्षेत्रों को कम खर्च पर परामर्श-दात्री सेवाएँ प्रदान करने की पेशकश की है ; और

(ग) यदि हाँ, तो सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हाँ ।

(ख) और (ग) उन उद्योगों में जहाँ आवश्यक परामर्श दात्री सेवायें देश में सुलभ है विदेशी परामर्श दात्री सेवायें उपलब्ध करने को हतोत्साहित करने की सरकार की नीति रही है। केवल उन्हीं क्षेत्रों में विदेशी परामर्श दात्री सेवायें उपलब्ध करने की अनुमति दी गई है जहाँ इस प्रकार की सेवायें या तो सुलभ नहीं है अथवा अपर्याप्त हैं । फिर भी जहाँ विदेशी परामर्श दात्री सेवाओं की अनुमति दी जाती है वहाँ अब एक शर्त लगाई जा रही है कि शुरू से ही उनके साथ भारतीय परामर्श दाताओं को कानूनी तौर पर रखा जाये ताकि परामर्श के लिये यह प्रमुख एजेन्सी के रूप में कार्य कर सकें।

कागज का उत्पादन

2247. **श्री याज्ञिक : क्या औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रकाशकों और पुस्तकविक्रेताओं के संघ द्वारा कागज की लोकप्रिय किस्मों के बढ़ते हुए मूल्य के बारे में दिये गये अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् कागज विषयक तदर्थ समिति ने सरकार को कोई सिफारिश की है ;

(ख) क्या सरकार ने कागज उद्योग से आग्रह किया है कि कागज के उत्पादन हेतु

1968 के ढांचे का ही अनुसरण किया जाये जो कि हल्की किस्म के कागज के अत्यधिक अनुकूल है ;

(ग) क्या किसी कम्पनी को इस शर्त पर नया लाइसेंस जारी किया गया है कि नई क्षमता का उपयोग केवल सफेद कागज के उत्पादन के हेतु किया जाये ;

(घ) क्या एक लाख टन सफेद कागज के उत्पादन हेतु कोई द्रुतगामी कार्यक्रम कार्यान्वित किया गया है ; और

(ङ) सरकार की कार्यवाही के क्या परिणाम निकले हैं ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, हाँ।

(ग) नये एकक स्थापित करने और वर्तमान एककों की क्षमता का विस्तार करने के लिये जारी किये गये आशयपत्रों में यह शर्त लगाई गई है कि उत्पादित माल की कुछ मात्रा विशेष तौर पर कम ग्रामेज के लिखने और छपाई के कागज की होगी।

(घ) **और (ङ)** : क्रैश कार्यक्रम का कार्यान्वियन किया जा रहा है। अधिकांश मामलों में आशयपत्र और पूँजीगत वस्तुओं संबंधी स्वीकृति दी जा चुकी है शेष जाँच की विभिन्न स्थितियों में हैं। ऐसी आशा की जाती है कि क्रैश कार्यक्रम के पूर्ण रूप से कार्यान्वित हो जाने पर छपाई और लिखाई के कागजों की कमी में काफी सुधार हो सकेगा।

नारियल पर आधारित उद्योग समूह की स्थापना

2248. **श्री माधुर्य हालदर** : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एक नारियल फार्म सहित नारियल पर आधारित उद्योग समूह स्थापित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : **(क) और (ख)** नारियल पर आधारित उद्योग समूह स्थापित करने का कोई भी प्रस्ताव इस समय विचाराधीन नहीं है।

बीजापुर जिले में प्रारम्भ की गई केन्द्र द्वारा प्रायोजित एवं राज सहायता प्राप्त योजनाएं

2249. **श्री बी० ई० चौधरी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीजापुर जिले को पिछड़ा जिला घोषित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त क्षेत्र में केन्द्र द्वारा प्रायोजित एवं राज सहायता प्राप्त कौन सी योजनाएं प्रारम्भ की गई है ;

(ग) अब तक उनमें निवेशित राशि क्या है और उस पर क्या लाभ हुआ है ;

(घ) क्या मैसूर राज्य के लिये हाल ही में स्वीकृत ग्रामीण प्रशिक्षण योजनाओं में से कोई योजना बीजापुर जिले में स्थापित की जायेगी ; और

(ङ) क्या मैसूर राज्य के लिये आवंटित ग्रामीण उद्योगों में से कोई उद्योग बीजापुर में स्थापित किया जायेगा ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) जी, हां। कृषि मंत्रालय के सूखा से पीड़ित होने वाले क्षेत्रों के लिये कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्राम निर्माण-कार्यों के लिये चुने गये जिलों में से बीजापुर भी एक है और यह वित्तीय संस्थाओं से रियायती धन पाने के कार्यक्रम के अन्तर्गत भी आता है।

(ख) और (ग) : कृषि मंत्रालय ने शुल्क भूमि में खेती के लिये एक ग्राम निर्माण-कार्य परियोजना और एक प्रायोगिक (पाइलट) परियोजना को मन्जूरी दे दी है।

(घ) और (ङ) : औद्योगिक विकास मंत्रालय ने बताया है कि फिलहाल बीजापुर जिले में ग्रामोद्योग संबंधी किसी परियोजना का कोई प्रस्ताव नहीं है।

Wagon Shortage for soap Stone Industry in Rajasthan

2250. **Shri N. K. Sharma** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the Soap Stone Industry of Rajasthan is facing shortage of Railway wagons ;

(b) whether the situation has not improved despite repeated efforts made by the Industry in this regard; and

(c) if reply to Part (b) above be in affirmative, the steps Govt. propose to take to improve the situation immediately ?

The Minister of Railways (Shri Hanumanthaiya) : (a) to (c) Soap stone is offered for despatch from stations in Udaipur and Jaipur areas and Bhilwara. Consistent with the commitments to move other essential higher priority traffic offering in these areas preferentially, efforts are made to supply maximum number of wagons for movement of soap stone. During the period from January to May 1971, 3689 wagons were loaded with soap stone as compared to 3340 wagons moved during the corresponding period of last year.

हरिजनों के गांवों को ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में शामिल करना

2251. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि वे अपनी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में हरिजनों आबादी वाले क्षेत्रों को शामिल करें ;

(ख) पंजाब में ऐसे हरिजन आबादी वाले ग्रामीणों की संख्या कितनी है जिनका विद्युतीकरण अभी नहीं किया गया है ; और

(ग) पंजाब के हरिजन आबादी वाले सभी गांवों को सरकार कब तक बिजली सप्लाई कर देगी ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : **(क) से (ग)** : ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों में कृषि उत्पादन के लिए पम्पसेटों के उर्जन पर जोर दिया गया है ; ग्राम विद्युतीकरण इस कार्यक्रम का एक आनुषंगिक भाग है। इसलिए प्राथमिकता उन ग्रामों के विद्युतीकरण को दी जाती है जहाँ पर सिंचाई पम्पसेटों के ऊर्जन की शक्यता होती है। मई, 1971 में राज्य बिजली बोर्डों के अध्यक्षों के पाँचवे सम्मेलन में यह संकल्प किया गया है कि ऐसे ग्रामों के

विद्युतीकरण के लिए स्कीमों में जहाँ हरिजनों की आबादी हो, स्ट्रीट लाइटिंग की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। पंजाब में कुल 11,947 ग्रामों में से 31-3-1971 तक 6132 ग्रामों में बिजली लगा दी गयी है। इन ग्रामों में विद्युतीकरण सुविधाएं सभी प्रकार के समुदाओं को, जिनमें हरिजन भी शामिल हैं, उपलब्ध हैं। चौथी योजना के अन्त तक राज्य में 9600 ग्राम विद्युतीकृत हो जायेंगे। पंजाब में सभी ग्रामों के विद्युतीकरण में कितना समय लगेगा और सभी हरिजन बस्तियों को स्ट्रीट लाइटिंग की सुविधा की व्यवस्था की जा सकेगी या नहीं, यह बाद की योजनाओं में ग्राम विद्युतीकरण के लिए उपलब्ध साधनों पर निर्भर करेगा।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते में और अधिक वृद्धि

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : श्रीमान, मैं वित्त मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

"जीवन निर्वाह व्यय सूचकांक में 10– बिन्दु वृद्धि होने के समाचार और इसके परिणामस्वरूप केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता और बढ़ाने का औचित्य"

विवरण

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाले मंहगाई भत्ते के नियमन के लिये डा० पी० बी० गजेन्द्र गडकर की अध्यक्षता में नियुक्त मंहगाई भत्ता आयोग ने एक फारमूला दिया था, जिसके अनुसार अखिल भारतीय श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की 12 महीने की औसत में 10 अंकों की प्रत्येक वृद्धि के संदर्भ में मंहगाई भत्ते में अतिरिक्त वृद्धियां की जानी थीं। इस फार्मूला के अनुसार मंहगाई भत्ते में अंतिम वृद्धि 1 सितम्बर 1968 से दी गई थी जब सूचकांक की 12 महीने की औसत 215 अंक पर पहुँच गई थी। इस फार्मूला के अधीन मंहगाई भत्तों की दरों में अगली वृद्धि तब देय बनती है जब जीवन निर्वाह मूल्य सूचकांक की 12 महीने की औसत 225 के अंक पर पहुंच जाय। गजेन्द्रगडकर आयोग ने सिफारिश की थी कि उनकी सिफारिशें स्वीकार किये जाने की तारीख से दो वर्षों की समाप्ति, अथवा सूचकांक की 12 महीने की औसत 245 के अंक तक पहुँचने में जो भी स्थिति पहले प्राप्त हो, उस तक लागू रहनी चाहिए। उस अवधि की समाप्ति पर सरकार को वेतनमानों के संशोधन का कार्य हाथ में लेना था। आयोग द्वारा निर्दिष्ट दो वर्ष की अवधि सितम्बर 1969 में समाप्त हो गई और इस अवधि में सूचकांक की 12 महीने की औसत 225 के अंक से नीचे रही।

माननीय सदस्यों को यह विदित ही है कि अप्रैल 1970 में तृतीय वेतन आयोग की नियुक्ति की जा चुकी है, जो अन्य बातों के साथ साथ इस प्रश्न की भी जांच करेगा कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की सेवा की शर्तों और परिलब्धियों की रचना का नियमन किन सिद्धान्तों के

अनुसार होना चाहिए, और उनके बारे में अपनी सिफारिशें देगा। आयोग से विशिष्ट रूप से यह भी निवेदन किया गया था कि यदि अपने विचार-विमर्श के दौरान आयोग अंतरिम राहत दी जाने की आवश्यकता समझे तो अंतरिम राहत दी जाने के बारे में भी अपनी सिफारिश दे। आयोग ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट सितम्बर 1970 में पेश की जिसमें उसने 1250 रुपये तक की वेतन श्रेणियों के लिये प्रति मास 15 रु० से लेकर 45 रुपये तक की अंतरिम राहत 1 मार्च 1970 से दी जाने की सिफारिश की। ये सिफारिशें मन्जूर कर कर ली गई और लागू भी कर दी गई हैं। केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये मंहगाई भत्ते के प्रश्न की जिन पूर्ववर्ती आयोगों ने जांच की थी उन्होंने जीवन निर्वाह मूल्य में होने वाली वृद्धि के जिस स्तर तक निराकरण की सिफारिश की थी उसकी तुलना में वर्तमान आयोग द्वारा सिफारिश की गई अंतरिम राहत की दरों से अधिक ऊँचे स्तर तक निराकरण होता है।

2. इस सम्बन्ध में तृतीय वेतन आयोग द्वारा अपनी अंतरिम रिपोर्ट में व्यक्त किया गया निम्नलिखित अभिमत ध्यान देने योग्य है :

"इसलिए हम अपने कार्यकाल की अवधि के लिये अंतरिम राहत की जिस रकम की सिफारिश कर रहे हैं उसमें मूल्य स्तर परिवर्तन होने के साथ ही स्वतः परिवर्तन करने का कोई सुझाव नहीं दिया है। यदि सरकार द्वारा सभी उपाय किये जाने पर भी मूल्यों की स्थिति पर नियंत्रण नहीं रखा जा सके तो 12 महीनों के औसत सूचकांक के 228 पर पहुँचने पर स्थिति की समीक्षा की जा सकती है। हम फिलहाल यह नहीं समझते कि 12 महीनों के औसत सूचकांक में 10 अंकों की वृद्धि पर ही मंहगाई भत्ते में समायोजन करने की वर्तमान प्रणाली से अलग हटाया जाय।"

इसलिए, मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य इस बात की ओर ध्यान देंगे कि जीवन निर्वाह मूल्य सूचकांक की 12 महीने की औसत की 218 अंक तक की वृद्धि का समाहार तो अंतरिम रिपोर्ट में पहले ही किया जा चुका है, इसकी आगे समीक्षा की आवश्यकता केवल तब होगी जब सूचकांक 228 तक पहुँच जाय। इस प्रश्न को विशिष्ट रूप से वेतन आयोग को भेजा गया था और उन्होंने अपनी सिफारिशों की उपर्युक्त व्याख्या की पुष्टि की है। ऐसी परिस्थितियों में मंहगाई भत्ते की समीक्षा के लिये तब तक कोई अवसर नहीं आ सकता जब तक जीवन निर्वाह मूल्य सूचकांक की 12 महीने की औसत 228 के अंक तक नहीं पहुँच जाय। अप्रैल 1971 को समाप्त अवधि के लिये 12 महीने की औसत केवल 225.83 है।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मुझे इस बात का आश्चर्य है कि मंत्री महोदय ने आयोग द्वारा प्रस्तुत अंतरिम प्रतिवेदन का एक ही पैरा उद्धृत किया है तथा दूसरे को छोड़ दिया है। इस दूसरे पैरे में आयोग ने कहा है कि अन्तरिम राहत को मंहगाई भत्ता न समझा जाये। आयोग से कहा गया है कि मंहगाई भत्ता के बारे में प्रतिवेदन न दे। यह सुस्पष्ट कर दिया गया था कि इस अन्तरिम राहत का मंहगाई भत्ते के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है और जब भी जीवन निर्वाह मूल्य सूचकांक में 10 अंकों की वृद्धि होती है तो मंहगाई भत्ता दिया जाना चाहिए। सरकार ने कर्मचारियों के साथ यह समझौता किया था कि गजेन्द्रगडकर आयोग द्वारा नियत दरों पर मंहगाई भत्ता दिया जायेगा। अब सरकार इस तर्क पर मंहगाई भत्ता देने में विलम्ब कर रही है कि यह सूचकांक केवल 225.83 तक ही पहुँचा है। सरकार अंतरिम राहत और मंहगाई भत्ता के

प्रश्न को मिला रही है, वेतन आयोग ने विस्तृत अध्ययन करके यह बताया है कि अन्तरिम राहत और मंहगाई भत्ता दोनों अलग-अलग विषय हैं। यह बताते हुए कि मूल्य सूचकांक के 228 पर पहुंचने पर अंतरिम राहत पर विचार किया जायेगा, उन्होंने यह भी कहा है कि मँहगाई भत्ता बढ़ाने की वर्तमान व्यवस्था, यथा यह वृद्धि 12 महीने की औसत में 10 अंकों की प्रत्येक वृद्धि में की जायेगी, को नहीं छोड़ा जाना चाहिए। यह सिफारिश गजेन्द्रगडकर आयोग और दास आयोग दोनों ने की थी। मंहगाई भत्ते के वृद्धि में आयोग कोई रुकावट नहीं डाल रहा है। सरकार ने यह अनुभव किया है कि वे मूल्य वृद्धि को रोकने में असमर्थ रहे हैं और मूल्य में असाधारण वृद्धि हुई है तथा गजेन्द्रगडकर का 10 अंकों वाला फार्मूला का औसत 225 तक बढ़ गया है। केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी वास्तव में बढ़े हुए मंहगाई भत्ते के अधिकारी हैं। परन्तु सरकार का यह कहना है कि आयोग ने 228 अंकों की सिफारिश की है। मैं नहीं जानता कि सरकार ने यह मामला किसी अन्य को न सौंपकर आयोग को क्यों सौंपा है।

मेरा यह कहना है कि अंतरिम राहत एक अलग बात है और वर्तमान करार के अन्तर्गत मंहगाई भत्ता दिया जाना चाहिये।

मेरा प्रश्न सीधा सा है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि अंतरिम राहत का मंहगाई भत्ते के साथ कोई सम्बन्ध है। संयुक्त सलाहकार व्यवस्था की राष्ट्रीय परिषद की 4 और 5 जून 1971 को हुई बैठक में परिषद के अध्यक्ष ने, जो कि मंत्रिमंडल सचिव है, दोनों पक्षों के तर्कों को सुनकर इस पर, कि क्या यह अंक 225 होना चाहिए या 228, अपना विनिर्णय देना स्वीकार किया था, अतएव यह विषय अभी भा सरकार के विचाराधीन है तो क्या सरकार के लिए यह कहना उचित है कि जब तक यह अंक 228 तक नहीं पहुँचता है, सरकार इस मामले में कुछ नहीं कर सकती है। यह अंक 225 तक पहुँच गया है, अध्यक्ष ने शीघ्र ही अपना विनिर्णय देना स्वीकार कर लिया है और यह दोनों पक्षों को निश्चित रूप से मानना होगा।

मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि क्या वे सम्पूर्ण निर्णय पर पुनर्विचार करेंगे तथा यह देखेंगे कि मंहगाई भत्ता 225 अंकों के आधार पर दिया जाये, मैं केन्द्रीय सरकार को धमकी नहीं दे रहा हूं अपितु यह बताना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों में इस बात पर बड़ा असंतोष है कि उन्हें देय मंहगाई भत्ता नहीं दिया जा रहा है।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के साथ भारी अन्याय किया जा रहा है। उनको उनका उचित भाग नहीं दिया जा रहा है मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस सम्पूर्ण मामले पर पुनर्विचार करेगी और इस बात पर जोर नहीं देगी कि वेतन आयोग ने 228 अंक निर्धारित किये हैं। वेतन आयोग ने 228 अंक निर्धारित नहीं किये हैं, यह नितांत गलत सिफारिश है जो कि कर्मचारियों पर बाध्य नहीं है।

श्री के० आर० गणेश : मैं इस बात से अवगत हूं कि यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और कर्मचारियों में इससे बड़ा असंतोष है। जीवन निर्वाह सूचकांक में दस अंकों में वृद्धि होने से बढ़ा हुआ मंहगाई भत्ता न देने के कोई कारण नहीं है। परन्तु प्रश्न यह है कि यह वृद्धि किस सूचकांक पर दी जानी चाहिए। कर्मचारियों और सरकार के विचारों में अन्तर यह है कि कर्मचारियों के अनुसार मंहगाई भत्ते में वृद्धि 215 अंकों में 10 अङ्क की वृद्धि पर की जाये और सरकार के अनुसार यह वृद्धि 218 अङ्कों में 10 अङ्क की वृद्धि पर दी जाये। इसका तात्पर्य यह है कि जीवन

निर्वाह सूचकांक 218 से 228 हो जाने पर ही यह मंहगाई भत्ते में वृद्धि की जायेगी। यदि यह सही स्थिति नहीं है तो माननीय सदस्य सरकार के साथ इस विषय पर बात कर सकते हैं।

माननीय सदस्य ने वेतन आयोग द्वारा प्रस्तुत अन्तरिम प्रतिवेदन के पैरा 26 का उल्लेख किया है। इसमें अन्तरिम राहत और मंहगाई भत्ते के बीच अन्तर बताने का प्रयत्न किया गया है। मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि वे उसे दुबारा पढ़ें। इसमें अन्तरिम राहत अथवा मंहगाई भत्ते को पेंशन तथा अन्य सुविधाओं के साथ मिलाने का उल्लेख किया गया है। इसमें यह तर्क प्रस्तुत नहीं किया गया है कि अन्तरिम राहत मंहगाई भत्ते से अलग है। मैंने इन सब का अध्ययन किया है और जो कुछ मैं कह रहा हूं वह पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं।

सरकार ने वेतन आयोग का जो उल्लेख किया है, उसके पैरा 4 में कहा गया है कि अन्तरिम अवधि में अर्थात् आयोग द्वारा इस विषय पर विचार-विमर्श के दौरान यदि जीवन स्तर सूचकाँक बढ़ जाता है तो आयोग अन्तरिम राहत दे सकता है। गजेन्द्रगडकर आयोग के प्रतिवेदन की क्रियान्विति के दो वर्ष पश्चात सरकार ने वेतन आयोग की स्थापना की है। इस वेतन आयोग की स्थापना के पश्चात, जिसका कार्य वेतन, भत्ते, पेंशन आदि की जांच करना था, हमने यह देखा कि जीवन निर्वाह मूल्य में वृद्धि हुई है तो प्रतिवेदन को अन्तिम रूप दिये जाने से पूर्व अन्तरिम राहत देने का निश्चय किया गया था। इस अन्तरिम राहत के अन्तर्गत बढ़े हुए भत्ते तथा अन्य लाभ शामिल है। यह हो सकता है कि वेतन आयोग मंहगाई भत्ते का एक भाग वेतन में मिलाने की सिफारिश करे। तब यह देखा गया कि जीवन निर्वाह मूल्य बढ़ गया है तो अन्तरिम राहत देने की आवश्यकता अनुभव की गई। वेतन आयोग ने इसकी सिफारिश की और हमने उसे स्वीकार कर लिया। वेतन आयोग ने यह भी बताया है कि मूल्यों में वृद्धि होने की स्थिति में दूसरी अंतरिम राहत दी जायेगी, वेतन आयोग ने यह भी बताया है कि कि यह राहत किस अङ्क पर दी जायेगी। उन्होंने बताया कि 10 अङ्कों की वृद्धि होने से राहत दी जायेगी और यह 228 अङ्क पर पहुँचने पर ही दी जायेगी। मैं नहीं समझता कि इस पर कोई मतभेद हैं। वेतन आयोग ने यह सुस्पष्ट कर दिया है कि जब तक वे अपने प्रतिवेदन को अन्तिम रूप नहीं दे देते तब तक उनका इरादा गजेन्द्रगडकर या अन्य आयोगों द्वारा निर्धारित 10 अंक वृद्धि वाली प्रक्रिया से हटने का नहीं है।

श्री एस० एम० बनर्जी : उन्होंने मेरे अन्तिम प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। यह सम्पूर्ण मामला मंत्रिमन्डल सचिव को सौंपा गया है जो कि संयुक्त सलाहकार व्यवस्था के अध्यक्ष है। उन्होंने दोनों पक्षों के साथ विचार विमर्श किया है और वे शीघ्र ही उस पर अपना निर्णय देंगे। सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

डा० रानेन सेन (बारसाट) : ऐसा लगता है कि मंत्री महोदय इसको प्रतिष्ठा का प्रश्न बना रहे हैं उन्होंने स्वीकार किया है कि अप्रैल 1971 के लिए सूचकांक 225.83 था जिसका तात्पर्य है कि यह 226 के लगभग है। मन्त्री महोदय जानते हैं कि जीवन निर्वाह मूल्य की गणना करते समय कई कठिनाइयां पैदा होती हैं जिससे गलतियां होने की आशंका रहती है। मन्त्री महोदय यह स्वीकार करेंगे इस जीवन निर्वाह मूल्य की गणना करते समय भी थोड़ी गलती हुई है। उन्होंने बताया है कि अप्रैल 1971 में यह मूल्य सूचकांक 226 तक पहुँच गया है। यह सर्वविदित है कि इस बजट के पश्चात दो अङ्क और बढ़े हैं। मन्त्रिमन्डल सचिव ने भी यह स्वीकार किया है कि कर्मचारियों के कथन में सच्चाई है। क्या यह सरकार के लिए उचित है कि वह अप्रैल 1971

के सूचकांक, जो लगभग 226 है, को लेकर कर्मचारियों से झगडा करे जबकि बजट के बाद इन दो अङ्कों की वृद्धि हो गई है।

श्री के० आर० गणेश : मेरे विचार में मैंने माननीय सदस्य द्वारा उठाये गये अधिकांश प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। सरकार इस मामले को प्रतिष्ठा का विषय नहीं बना रही है। यह सुस्पष्ट स्थिति है।

जब सूचकांक की 12 महीने की औसत 228 हो जायेगी, उस समय सरकार मंहगाई भत्ता बढ़ाने के लिये कटिबद्ध होगी। माननीय सदस्य महोदय ने कहा है कि बजट के फलस्वरूप सूचकांक में वृद्धि होगी। इसके लिए जो कारण उन्होंने बताये हैं, वह भी ठीक है और यह सम्भव है कि आगामी कुछ महीनों में सूचकांक में परिवर्तन हो जाये। परन्तु जनवरी से ही सूचकांक में कोई वृद्धि नहीं हुई और वह 224 पर ही रुका हुआ है।

मैंने मंहगाई भत्ते में वृद्धि किये जाने की मांग के सम्बन्ध में अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। जैसा कि मैं पहले ही बतला चुका हूं, कि इस मामले को उठाने के अन्य भी कई तरीके हैं। जब आप ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना ही देते हैं तो उसके लिए तो हमें ऐसा ही उत्तर देना पड़ता है। मैंने स्थिति स्पष्ट कर दी है।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। मन्त्री महोदय का अन्तिम वाक्य यह था कि अगर आप ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का उत्तर चाहते हैं तो उस का उत्तर यही होगा। ऐसा कहना सम्पूर्ण सभा की मान हानि करना है।

अध्यक्ष महोदय : वह बिलकुल ठीक ही कह रहे हैं। इसमें व्यवस्था की कोई बात नहीं है।

श्री एस० एम० बनर्जी : श्री गणेश मेरे अच्छे मित्रों में से हैं और मैं उनका सम्मान करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अगर आप इसी प्रकार बिना मेरी अनुमति के बोलते रहेंगे, तो कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जायेगा। जो सरकार की स्थिति थी वह उन्होंने स्पष्ट कर दी है। अगर वह उत्तर देने की स्थिति में नहीं हैं, तो मैं उन्हें इसके लिए बाध्य नहीं कर सकता।

श्री के० आर० गणेश : मैं इसी का उत्तर दे रहा हूं कि सरकार ने उच्च स्तर पर यह निर्णय किया हुआ है।

श्री एस० एम० बनर्जी : हम जे० सी० एम० को इस प्रकार टूटने नहीं देंगे। जे० सी० एम० को इन्दिरा सरकार के हाथों की कठपुतली नहीं बनने दिया जा सकता।

अध्यक्ष महोदय : सभा-पटल पर रखे जाने वाले पत्र

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं जे० के० रेयन, कानपुर की हड़ताल की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं देता।

श्री विक्रमचन्द्र महाजन (कांगड़ा) : कल हमने पंजाब विधान सभा को भंग किये जाने का मामला उठाया था, उसका क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया बैठ जाइये। मैं इस मामले पर विचार करूँगा।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

वर्ष 1971-72 में केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये बाजार ऋण के बारे में अधिसूचना

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश): मैं वर्ष 1971-72 में केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये बाजार ऋण के बारे में अधिसूचना संख्या एफ 5 (4)–डब्ल्यू एंड एम/71 की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 14 जून, 1971 में प्रकाशित हुई थी।

[**ग्रन्थालय में रखा गया : देखिये संख्या एल० टी०** 411/71]

सदस्यों की गिरफ्तारी
ARREST OF MEMBERS

अध्यक्ष महोदय : मैं सभा को सूचित करता हूं कि मुझे दिनांक 14 जून 1971 को सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट, नई दिल्ली से यह संदेश प्राप्त हुआ है कि लोक सभा के सदस्य श्री हुकमचन्द कछवाय, श्री ज्ञानेश्वर यादव और श्रीमती शकुन्तला नायर को अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (दक्षिण), दिल्ली द्वारा प्रख्यापित प्रतिषेधात्मक आदेश का उल्लंघन करने के कारण भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत आज लगभग 2. 5 मध्याह्न पश्चात राजपथ और रफी मार्ग के विजय चौक को पार करते हुये गिरफ्तार किया गया है। उन्हें आज जेल अभिरक्षा में रखा जा रहा है और कल उन्हें न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के समक्ष पेश किया जायेगा।

लाभ के पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव
MOTION RE. JOINT COMMITTEE ON OFFICES OF PROFIT

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी): मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि दोनों सभाओं की पन्द्रह सदस्यों की एक संयुक्त समिति गठित की जाये जिसे लाभ के पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति कहा जाये और जिसके दस सदस्य इस सभा के तथा पांच सदस्य राज्य सभा के हों, जो प्रत्येक सभा के सदस्यों में से अनुपाती प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित किये जायेंगे ;

संयुक्त समिति के कृत्य ये होंगे :—

(एक) सभी वर्तमान 'समितियों' और एतत्पश्चात गठित की जाने वाली 'समितियों' की, जिनकी सदस्यता के फलस्वरूप संविधान के अनुच्छेद 102 के अधीन कोई व्यक्ति संसद की किसी भी सभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए और उसका सदस्य रहने के लिये निरर्हर होगा, संरचना और स्वरूप की जांच करना ;

(दो) इनके द्वारा उन 'समितियों' के सम्बन्ध में जिनकी जांच की गई है यह सिफारिश करना कि किन पदों से निरर्हता होगी और किन पदों से निरर्हता नहीं होगी ;

(दो) संसद (निरर्हता निवारण अधिनियम, 1959 की अनुसूची की समय-समय पर जांच

करना और उक्त अनुसूची में कुछ जोड़कर लोप कर अथवा अन्य किसी ढंग से संशोधन के लिये सिफारिश करना ;

कि संयुक्त समिति समय-समय पर उपर्युक्त सभी अथवा उनमें से किसी मामले के सम्बन्ध में संसद की दोनों सभाओं को प्रतिवेदन देगी ;

कि संयुक्त समिति के सदस्य वर्तमान लोक सभा की अवधि तक के लिये पद धारण करेंगे ;

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिये गण-पूर्ति समिति के सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई होगी ;

कि अन्य मामलों में इस सभा के संसदीय समितियों सम्बन्धी प्रक्रिया नियम उन परिवर्तनों और रूप-भेदों के साथ जिन्हें अध्यक्ष करना चाहें लागू होंगे ; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और संयुक्त समिति के लिए राज्य सभा द्वारा नियुक्त किये जाने वाले सदस्यों के नाम इस सभा को बताये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव सदन के समक्ष है ।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : (क्विलोन) इस सम्बंध में मैं इस सभा को सूचित करना चाहता हूं कि संयुक्त समिति द्वारा लाभ के पदों में बारे में जो कार्य किया जाता है वह एक प्रकार का तकनीकी कार्य होता है । चुनाव आयोग ने अधिनियम 102 की कुछ इस प्रकार व्याख्या की, जिससे मजबूर होकर संसद को संसद अधिनियम 1959 बनाना पड़ा ।

अधिनियम 1959 में जोड़े गये सिद्धांतों को संयुक्त समिति ने स्वीकार नहीं किया । यद्यपि एयर इंडिया के निदेशक बोर्ड के सदस्यों, राज्य व्यापार निगम तथा अन्य अनेक महत्वपूर्ण कम्पनियों की सदस्यता को, अधिनियम 1959 के अन्तर्गत लाभ वाले पद नहीं माना जाता, फिर भी केरल के नारियल निगम तथा राज्य सरकारों के अन्य अनेक पदों को लाभ के पद घोषित किया जाता है ।

अतः मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप संसद अधिनियम 1959 का पालन करने का आदेश नहीं देते तो संसद के लिए इस समिति की सिफारिशों को रद्द करना कठिन होता है क्यों कि यह संयुक्त समिति अपने आप में एक छोटी संसद होती है ।

अध्यक्ष महोदय : आपके सुझाव उन तक पहुँचा दिये जायेंगे । अब प्रश्न यह है :

"कि दोनों सभाओं की पन्द्रह सदस्यों की एक सयुक्त समिति गठित की जाये जिसे लाभ के पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति कहा जाये और जिसके दस सदस्य इस सभा के तथा पांच सदस्य राज्य सभा के हों, जो प्रत्येक सभा के सदस्यों में से अनुपाती प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित किये जायेंगे ;

संयुक्त समिति के कृत्य ये होंगे :—

(एक) सभी वर्तमान 'समितियों' और एतत्पश्चात गठित की जाने वाली सभी 'समितियों' की, जिनकी सदस्यता के फलस्वरूप संविधान के अनुच्छेद 102 के अधीन कोई व्यक्ति संसद की किसी भी सभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए और उसका सदस्य रहने के लिये निरर्हर होगा, संरचना और स्वरूप की जाँच करना ;

(दो) इनके द्वारा उन 'समितियों' के सम्बन्ध में जिनकी जांच की गई है यह सिफारिश

करना कि किन पदों से निरर्हता होगी और किन पदों से निरर्हता नहीं होगी ;

(तीन) संसद (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 की अनुसूची की समय-समय पर जांच करना और उक्त अनुसूची में कुछ जोड़कर लोप कर अथवा अन्य किसी ढंग से संशोधन के लिए सिफारिश करना ;

कि संयुक्त समिति समय-समय पर उपर्युक्त सभी अथवा उनमें से किसी मामले के सम्बन्ध में संसद की दोनों सभाओं को प्रतिवेदन देगी ;

कि संयुक्त समिति के सदस्य वर्तमान लोक सभा की अवधि तक के लिए पद धारण करेंगे ;

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिए गण-पूर्ति समिति के सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई होगी ;

कि अन्य मामलों में इस सभा के संसदीय समितियों संबन्धी प्रकिया नियम उन परिवर्तनों और रूप-भेदों के साथ जिन्हें अध्यक्ष करना चाहें लागू होंगे ; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और संयुक्त समिति के लिए राज्य सभा द्वारा नियुक्त किये जाने वाले सदस्यों के नाम इस सभा को बताये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was Adopted.

अनुदानों की मांगें-रेलवे (जारी)

DEMANDS FOR GRANTS-RAILWAYS (contd.)

अध्यक्ष महोदय : अन्य रेलवे से सम्बद्ध अनुदानों की मांगों पर विचार किया जायेगा। श्री नवल किशोर शर्मा ।

Shri N. K. Sharma (Dansa) : I was high lighting the difficulties of third class passengers of 213 Up and 214 Down trains. Something must be done by the Railway Minister to provide some facilities to the poor passengers.

I would like to draw the attention of the hon. Minister to the timings of 4 Down Chatak Express, 7 up and 8 Down passenger trains. The frequency of these three trains from Jaipur is only half an-hour. If the timings of these trains are changed and frequency is increased; it will provide a facility to the passengers and also ensure increase in railway revenue.

The teachers working in Railway Department should be given Kothari grades as are being provided to other Central Government teachers. These teachers have not been given the right to join trade union of other employees Either their association should be reorganised or some other way should be found out to redress their greivances.

Jaipur is Capital of Rajasthan, but it has always been ignored by Railway. There is no passenger train from Alwar to Jaipur from morning till evening. Previously there used to be a shuttle train and its necessity is still there. A Shuttle train

between Rewari to Ringus should also be provided. I would like that a Commission should be appointed to go into the budget requirements of Rajasthan.

A Railway line should be early provided in Khetri Mines in Rajasthan to avoid loss to the State or the Centre.

I hope that due attention will be given to my suggestions.

अध्यक्ष महोदय : श्री सोमचन्द सोलंकी का कटौती प्रस्ताव मुझे देर से मिला है इसीलिए मैंने उसकी अनुमति नहीं दी । परन्तु अब वह उस पर बोल सकते हैं । श्री सोमचन्द सोलंकी ।

श्री सोमचन्द सोलंकी (गांधी नगर) : मैं केवल पांच ही बातें कहना चाहता हूं और उनमें से प्रथम तो यह है कि रेल विभाग में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए किये गये आरक्षणों का पालन नहीं किया जा रहा । मुझे इस प्रकार की कई शिकायतें मिली हैं कि उन अर्हता-प्राप्त व्यक्तियों को, जिन्होंने नौकरी के लिए प्रार्थना-पत्र दिये हैं, साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया जाता । इतना ही नहीं, उनके प्रार्थना पत्रों पर विचार तक नहीं किया जाता ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये यह कठिन तथा खतरनाक समस्या बन गई है । अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आवश्यक प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में मैंने पश्चिम रेलवे के अधिकारियों को भी लिखा है ।

अध्यक्ष महोदय : आप मध्यान्ह भोजन के अवकाश के पश्चात आप अपना भाषण जारी रख सकते हैं ।

इसके पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजे म. प. तक के लिये स्थगित हुई ।

The Loksabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the clock.

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोकसभा दो बजकर 5 मिनट पर पुनः समवेत हुई ।

The Loksabha re-assembled after lunch at five minutes past fourteen of the clock.

**[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये
Mr. Deputy Speaker in the Chair]**

श्री सोमचंद सोलंकी (गांधी नगर) : मैं रेलवे में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति के कर्मचारियों के स्थानान्तरण के बारे में कह रहा था । उनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है परन्तु उन्हें इस अवधि में वर्ष में दो या तीन बार एक से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित कर दिया जाता है । इससे उनके बच्चों की शिक्षा में कठिनाइयां पैदा होती हैं । रेल मन्त्री को इस ओर ध्यान देना चाहिये ।

हमारे वर्तमान रेल मन्त्री जब वह केवल गैर सरकारी सदस्य के रूप में थे, तब मैंने उन्हें रेल के तीसरे दर्जे का किराया बढ़ाये जाने का विरोध करते सुना है । यदि रेलवे की आय बढ़ानी है तो आपको दूसरे संसाधन ढूंढने चाहियें, तीसरे दर्जे के किराये में वृद्धि करना उचित नहीं है ।

दूसरी बात मुझे गुजरात में छोटी तथा मीटर गेज को बड़ी लाइन में बदलने के विषय में कहनी है । सरकार ने इसकी व्यवस्था की है । क्योंकि सौराष्ट्र में कोई बड़ी लाइन नहीं, अतः वीरमगांव से ओखा तक मीटर गेज को बड़ी लाइन में परिवर्तित कर दिया जाना चाहिये ।

वीरमगांव के पश्चिम में एक रेल फाटक है । शंटिंग के कारण फाटक लगभग सारे दिन

बन्द रहता है, अतः परिवहन में बड़ी कठिनाई आती है। मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि इस स्टेशन के निकट भूमिगत पुल बनाया जाय।

मेवाड़ ऐक्सप्रैस को दामोदा में रोकने की व्यवस्था की जानी चाहिये। इससे बहुत कपड़ा मिलों में काम करने वाले मजदूरों को सुविधा होगी क्योंकि ये प्रतिदिन ही यहां से अहमदाबाद जाते हैं।

यात्री गाड़ियां ठीक समय पर आनी-जानी चाहियें जिससे यात्रियों को असुविधायें न हों। इस थोड़े से समय में मैंने जो बातें कहीं हैं, मेरा अनुरोध है कि मन्त्री महोदय उन पर ध्यान दें।

Dr. Kailas (Bombay South) : Suggestions are given year after year to improve the conditions in the Railways but they are not being implemented. I would like to know the number of casual labourers. This class of workers is continuing since long. Would it be abolished or the number be reduced; if so, by what time ? There are licensed porters on every station. The Government should provide for the pension facilities to these porters.

Third class compartments of the trains are always over crowded. There is no room for ladies and children even to stand there. Why such a large number of tickets are issued in third class ? It tickets are issued all the ticket holders should be provided with seats.

There should also be restriction on the passengers travelling in Third class to go by another train in case the compartment has no room to let them sit. Arrangements should be made to attach more third class bogies with the trains, and to fix iron bars on the windows of the bogie in order to avoid inconveniences to the passengers.

As regards late running of the trains, the hon. Minister has mentioned chain pulling as one of its reasons. I would like to say that the chains are pulled due to inconveniences caused by the officers. Reservation charts on sleeper bogies are pasted just 5 or 10 minutes before the train starts. Passengers have to wait a long time to get their seats. Ladies find themselves unable to board the train where reservation charts are pasted 5 or 10 minutes before the train starts. Then there remains no alternative but to resort to chains pulling.

There is no water in toilets of third class bogies. Fans are generally deficient and no body looks into it though the repeated requests are made to the concerned officers.

The Government should make proper arrangements at level crossings in order to avoid recurring casualties. A watchman should be posted at each level crossing.

In Bombay, suburban trains are running in very poor conditions. Efforts are being made to improve their positions by Central and Western Railways. I think unless the plan for underground Railways is not completed, the position is not going to be improved. It is heard that Calcutta and Bombay are going to have underground Railways but the stage of the planning is not known. In case the hon. Minister takes action in this regard then after ten or twenty years we may have underground trains. In view of increase in the population, it becomes all the more essential that the plan for undergroud trains be completed.

Arrangements should be made to replace the Railway board by forming a committee of Managers in order to assist the Railway Minister.

With these words I support the demands put forward by the Railway Minister.

श्री पी० के० देव (काला हांडी) : तालचेर-बिमलगढ़ रेल लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। मन्त्री महोदय जब उड़ीसा के दौरे पर गये थे तब उनके सामने यह समस्या रखी गयी

होगी। मन्त्री महोदय ने बताया है कि तकनीकि-आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया है कि यह लाइन अलाभप्रद होने वाली है। यहां के लोगों में इस बात के प्रति बड़ा असंतोष है कि 50 मील की इस छोटी सी लाइन को, जो पारादीप पत्तन को खनिज तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों से सम्पन्न भीतरी प्रदेश से मिलाती है, स्वीकृति नहीं दी गयी है। उड़ीसा को गर्व है कि वहां लौह अयस्क का सब राज्यों से अधिक भंडार है। उड़ीसा के भूगर्भीय विभाग के सर्वेक्षण के अनुसार यह निष्कर्ष निकाला गया है कि भारत के विभिन्न इस्पात संयत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करके भी केवल उड़ीसा से ही 56 करोड़ टन उत्तम किस्म के लौह अयस्क का निर्यात किया जा सकता है। जापान तथा अन्य दूसरे देशों को पारादीप पत्तन से लौह अयस्क का निर्यात किये जाने की मांग बढ़ रही है। भूतपूर्व सरकार के सम्मुख भी यह बात रखी गयी थी और यह कहा गया था कि हल्दिया की अपेक्षा पारादीप से निर्यात करने में दूरी अधिक पड़ती है। लौह पट्टी से हल्दिया पत्तन 399 किलोमीटर पड़ता है और पारादीप पत्तन 431 किलोमीटर। केवल 32 किलोमीटर के अन्तर के लिये उड़ीसा के महत्वपूर्ण मामले को केवल भेद-भाव की नीति के कारण ठुकराया जा रहा है। मेरा अनुरोध है कि सरकार इस विषय पर विशेष ध्यान दे।

दूसरे, यदि यह सम्भव नहीं हो सके, तो जंकपुरा-बंसपाणि रेल लाइन पर कार्य आरम्भ कराया जाय।

बम्बई-नागपुर एक्सप्रेस का विशाखापटनम तक विस्तार करने के लिये एक संयुक्त ज्ञापन दिया गया था जिससे पूर्वी और पश्चिमी तट के नौसैनिक मुख्यालयों को लाइन से मिलाया जा सके। रेल मन्त्री को इस ज्ञापन पर ध्यान देना चाहिये इसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिये।

दक्षिण-पूर्व रेलवे के मुख्यालयों को किसी केन्द्रीय स्थान पर स्थानान्तरित किया जाना चाहिये। कलकत्ता बहुत ही भीड़ भाड़ वाला होता जा रहा है। इस स्थिति को दूर करने के लिये कुछ वर्ष पहले एक निश्चय किया गया था कि पूर्वोत्तर रेलवे के कुछ कार्यालयों को गोरखपुर में स्थानान्तरित किया जाय। इसी प्रकार दक्षिण-पूर्व रेलवे के कार्यालयों को भुवनेश्वर अथवा जसगुडा भेजा जाय। उड़ीसा सरकार रेल मन्त्रालय से ऐसा अनुरोध कर चुकी है। मुझे आशा है कि रेल मन्त्री इस ओर ध्यान देंगे।

श्री चपलेन्द्र भट्टाचार्य (गिरिडीह) : मैं सामान्य बजट चर्चा के दौरान उठाये गये विषयों जैसे नियोजित पूंजी, कार्यकरण का अनुपात, 1965 की परम्परा आदि में नहीं जाना चाहता। मैं रेलों के कार्यकरण के विषय में कुछ कहना चाहता हूं। दक्षिण-पूर्व रेलवे तथा पूर्वोत्तर रेलवे जिन्हें स्वर्ण खानें कहा जाना चाहिये था वो ताम्बे की खानें बनती जा रही हैं।

उन्हें लौह अयस्क खानें बनाया जा सकता है जबकि उन्हें सोना उगलने वाली खानें होना चाहिए था। इसकी गहराई से जांच की जानी चाहिए। हमें यह जान लेना चाहिए कि रेलवे के कार्यकरण और उसकी आर्थिक स्थिति में गिरावट ऊपर के अधिकारियों के कारण नहीं है।

सबसे बड़ी समस्या मैं समझता हूं मनुष्य मात्र की प्रकृति को ठीक करना है। रास्ते में जहां कहीं गाड़ी रुकती है, लोगों द्वारा उसमें से माल उतार लिया जाता है। गाड़ियों की गति बढ़ने से इस स्थिति में सुधार अवश्य हुआ है, पर भ्रष्टाचार रेलवे की व्यवस्था में किसी न किसी रूप में विद्यमान है।

रेल किरायों में बढ़ोतरी करने का साफ अर्थ यह है कि हम रेलवे में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने में असमर्थ हैं। अतः मेरा कहना यह है कि रेलवे मन्त्रालय कोई ऐसा तरीका निकाले जिससे

ईमानदार लोग भ्रष्ट रेलवे कर्मचारियों के चंगुल से बचकर ठीक प्रकार यात्रा कर सकें। यदि ऐसा किया जा सके तो इस घाटे को पूरा किया जा सकता है।

अब मैं स्थानीय समस्याओं पर आता हूं। गोमोह की औद्योगिक उन्नति और माल ढुलाई की अपेक्षित बढ़ोतरी को देखते हुए गिरिडीह को गोमोह में जोड़ा जाना चाहिए। यदि गिरिडीह-माधोपुर लाईन को बढ़ा कर दुमका होकर भागलपुर से मिला दिया जाये तो इससे भागलपुर और रूरकेला सीधे मिल जायेंगे। इसका सामरिक महत्व भी है।

रेलवे एक सरकारी एकाधिकार है। उपभोक्ता हमेशा गलत नहीं होता। वास्तव में उसे हमेशा सही ही माना जाना चाहिए। बिना टिकट यात्रा के लिए कानून बनाना ठीक है पर उसका उपयोग ईमानदार लोगों के विरुद्ध नहीं किया जाना चाहिए।

रेलवे के भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में एक बात और मैं कहना चाहता हूं। वह रेलवे सुरक्षा बल के बारे में है और इसका मुख्य केन्द्र अण्डाल है।

Dr. Govind Das Richharia (Jhansi) : I support the demands of the Ministry of Railways, but I will suggest that Railway Minister should create such an atmosphere where an employee, how low he may be, so that they may feel that they also have some part in the administration of the Railways. Only by creating this feeling among the workers we can say that we are marching towards socialism, because the present administration does not create that feeling.

The feeling of insecurity in railway travelling should be removed. Late running of trains, particularly on branch lines, should be avoided.

There should be a railway bridge over the crossing of Jhansi—Sagar national highway and Jhansi—Manikpur railway line near Jhansi.

A railway bridge by the side of the mill near Jhahsi should be constructed, because the workers of this mill, who are living on both the sides of the railway track are facing great difficulties in the absence of a bridge. Sheds should be constructed on big stations like Barna, Sagar, Mauranipur, Moth etc.

A direct train from Lubhnon to Bombay should be started because a large number of labourers going to and from Bombay for employment face great difficulties. The sleepers should be increased on Delhi-Bombay and Delhi-Madras section.

श्री त्रिदिब चौधरी (बरहामपुर) : मैं यहां आपका ध्यान सियालदह डिवीजन की कठिनाइयों की ओर दिलाना चाहता हूं। डिवीजनल स्तर की संसद सदस्य परामर्शदात्री समिति में भी मैंने यह बात उठाई थी पर उसके कोई परिणाम सामने नहीं आये हैं।

गाड़ियों के नियमित चलने के सम्बन्ध में न जाने कितने बड़े-बड़े कार्यक्रम बनाए गए। पर सियालदह डिवीजन में यह समस्या अभी भी वैसी की वैसी है। यह केवल कानून और व्यवस्था के स्थिति के कारण ही नहीं हो रहा है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र वाले जिले में भाप से चलने वाली गाड़ियां एक दम बन्द कर दी गईं और उनके अनन्तकाल तक बन्द रहने की सम्भावना है। और यह इस कारण हुआ है क्योंकि रानाघाट के कोयला ठेकेदार के मजदूरों ने काम करना बन्द कर दिया है। अतः मैं जानना चाहता हूं कि उस भाग में रेल गाड़ियां चलाने के लिए रेलवे प्रशासन ने क्या उपाय किए हैं।

मैं चाहता हूं कि रेलवे प्रशासन बी ए के लूप लाइन और सियालदह डिवीजन के लालगोला सैक्शन की यातायात क्षमता को बढ़ाये, इनका आधुनिकीकरण किया जाये। यदि इनकी ओर उचित ध्यान दिया गया तो ये तो दोनों लाइने पांचवे और छठें वैकल्पिक मार्ग का काम देंगी।

मुझे ऐसा लगता है कि सभी पुराने इंजिनों को सियालदह डिवीजन पर लाद दिया गया है। रेलवे प्रशासन इसकी पूरी जाँच करे।

बहुत दिनों से स्वीकृत पड़ी योजनाओं को इस डिवीजन में क्रियान्वित नहीं किया गया है। कुछ योजनाएँ तो 1966-67 से स्वीकृत पड़ी हैं, उनके लिए धन की स्वीकृति दी जा चुकी है पर काम शुरू नहीं किया गया है। ऐसा क्यों होता है ?

श्री धामनकर (भिवण्डी) : रेलवे बोर्ड के सदस्य (परिवहन) की ओर ये एक परिपत्र गाड़ियों के समय पर चलने के सम्बन्ध में जारी किया गया है। मैं आशा करता हूं कि उसका पालन किया जायेगा और गाड़ियाँ समय पर चलेंगी।

हम रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष को कोई पत्र लिखते हैं तो उसका उत्तर तक नहीं आता। क्या रेलवे बोर्ड इस सदन से भी बड़ा है। मैं चाहता हूं कि इस प्रकार की स्थिति में परिवर्तन किया जाये।

मैं चाहता हूं कि कोंकण रेलवे को युरान से बढ़ा कर दासगांव तक कर दिया जाये। इसके पूरा करने में शीघ्रता की जानी चाहिए।

थाना जिले के आदिबासी क्षेत्र में रेलवे लाइनें कतई नहीं हैं। पिछली पंच वर्षीय योजनाओं में महाराष्ट्र सरकार ने पश्चिम रेलवे में दहानु और पालघर को कल्याण और दीव से जोड़ने का प्रस्ताव किया है। इससे कुछ सीमा तक कार्य की सिद्धि हो जायेगी। पर मैं चाहूंगा कि इन क्षेत्र में रेलवे लाइनों के लिए सर्वेक्षण करते समय स्थानीय संसद सदस्यों से सलाह ली जाये।

बम्बई एक बड़ा शहर है और मकानों आदि की तंगी के कारण लोग वहां बाहर के उप नगरों में रहते हैं। अतः इन सब को ध्यान में रखते हुए करजाट और कोपोली तक रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किया जाना चाहिए। विरार, पालघर और सफाला तक चलने वाली गाड़ियों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। यदि नई गाड़ियां चलाना सम्भव न हो, तो स्थानीय गाड़ियों को दहानु तक बढ़ा दिया जाये। इससे बहुत कुछ भीड़-भाड़ कम हो जायेगी।

अम्बरनाथ तेजी से एक औद्योगिक नगर का रूप ले रहा है अतः बाटलापुर और अम्बरनाथ के बीच एक छोटा स्टेशन और बनाया जाना चाहिए। इससे फैक्टरियों में जाने वाले मजदूरों को सुविधा हो जायेगी।

माथेरान बड़ी तेजी से एक पर्वतीय स्टेशन के रूप में विकसित हो रहा है। महाराष्ट्र सरकार इसके विकास में प्रोत्साहन दे रही है। पर रेलवे मन्त्रालय ने तीसरे दर्जे के किराए बढ़ा दिए हैं। छात्रों और पर्यटकों को भी रियायत नहीं दी जाती। यहाँ के बेकार पड़े इंजनों को डीजल इंजिनों से बदल देना चाहिए। यहाँ काम कर रहे रेलवे कर्मचारियों को हिलस्टेशन का भत्ता नहीं दिया जाता क्योंकि उसकी ऊँचाई रेलवे द्वारा तय की गई ऊँचाई से कुछ कम है। वहाँ हर चीज महंगी है। अतः कर्मचारियों को हिल स्टेशन भत्ता दिया जाना चाहिए।

महालक्ष्मी एक्सप्रैस में हजारों लोगों को लाभ हुआ है। मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि पूना मेल को, जिसको बन्द कर दिया गया है, फिर से चलाया जाये क्योंकि पूना से बम्बई प्रतिदिन जाने वाले लोगों, व्यापारियों और कर्मचारियों को 'महालक्ष्मी ऐक्सप्रैस' में स्थान नहीं मिलता है। फिर इस गाड़ी में कोल्हापुर और सांगली तथा अन्य स्टेशनों से पहले ही बहुत भीड़ होती है। यदि पूना मेल को पुनः चलाया जाये तो पूना और लोनावला से बम्बई जाने वाले यात्रियों को बहुत सुविधा होगी।

अन्त में मैं मन्त्री महोदय को सुझाव देना चाहता हूं कि वह रेलवे में मितव्ययता लागू करें और भ्रष्टाचार को रोकें। रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारी यात्रियों की रक्षा करने के बजाय उन्हें तंग करते हैं। उपनगरीय गाड़ियों में वे स्वयं आराम से बैठ जाते हैं और जनता को परेशान करते हैं, रेलवे मन्त्री कृपया इस बात की ओर ध्यान दें।

Shri Rudra Pratap Singh (Bara Banki) : Railways should provide more facilities to the passengers but on the other hand we do not want that it should have deficit budget. Ticketless travelling has to be checked to meet the deficit. In fact authorities are also involved in it to some extent. In view of this concrete steps have to be taken to check ticketless travelling.

It is also necessary to introduce engines of more horse power which could carry greater number of wagons. It would improve the economy of Railways. It has been stated that working cost is increasing. If we want development and progress of Railways, increase in the cost is but natural. In order to meet the additional cost the proposed increase in freight charges seems to be justified. I would, however, say that increase in III Class passenger fare is wholly unjustified. It should be withdrawn.

I appreciate the effort of the hon'ble Minister and the Department according to which deficit would be met to enforce economy and efficiency to great extent. In case concrete steps are taken to that effect there will be no need of increasing the class III passenger fare. The plight of the people travelling in class III is miserable. The number of class III bogies should be increased to meet the rush and mitigate the sufferings of travelling people.

The number of under-bridges and over bridges should be increased. In case an over bridge is constructed on Ghaghraghat between Bahraich and Barabanki then the people of Faizabad would be benefited.

Shri J. B. Dhote (Nagpur) : There is bureaucratic democracy in Railways. When bureaucrates are all in all what can poor Railway Minister do ? Ministers are crticiced during the discussion on Railway budget every year. The Minister changes but the department remains the same. There is no change in their approach. Even if Railway Minister tries to introduce some changes, he has proved failure.

Deficit budget is introduced every year and criticised also. We preach socialism but we should see whether our plans are formulated on the same principle. Dr. B. V. Krishnamurti, a noted economist has stated in his thesis 'Pricing in Planned Economy' that railway fare never increase in socialist economy but decreases gradually. I do not know whether our bureaucrates have read it or not. I would like them to read it and adopt the rules and principles mentioned in the aforesaid book. At present fare is increased every year and people have to face difficulties. If we study the figures of last two decades from 1951-52 to 1971-72, it would appear that total income of Railways has increased from Rs. 290.80 crores to to Rs. 1044 crores. The expenditure on inputs e. g. administration, repairs, fuel coal etc. for the same period has risen from Rs. 137.62 crores to Rs. 557.14 crores. This, however, does not include the expenditure on account of salaries of employees. The expenditure on account of the wages paid to the labour has risen from Rs. 42.53 crores to Rs. 196.27 crores. After deductions of expenditure incurred on inputs, wages and salaries from the total income, net profit deposited in the exchequer is Rs. 110.67 crores to Rs. 290.59 crores for the afaresaid period. In spite of this Railway budget is a deficit budget. The profit of Railways is divided in various funds of the Central Government. It is absolutely false that Railway has incurred losses. The Railway Minister should try to understand its economics.

I want to point out that bureaucracy is against public sector and socialism. They want to bring bad name to the public sector. Unless bureaucracy is pulled down, socialism cannot find any place in our country.

Shri Pratap Singh Negi (Garhwal) : I am surprised to note that out of three bogies which used to be attached to the Mussorie Express, one bogie has been detached in order to attach an air conditioned compartment thereto. It has created immense difficulties to the passengers travelling by class III. I had written three letters to the Railway Minister in this connection but I feel that the hon'ble Minister has not read the letters. I had demanded that the detached bogie should be restored and a direct train upto Kotdwar should also be introduced which should be called Badrinath Express. The reply received by me is quite irrelevant. In fact I wanted to go to Katdwar on 11-6-1971 but could not go as there was no berth available in the train. We raise slogan of socialism but increase the number of air conditioned coaches to meet the needs of capitalists and we do not care for the poor people who have elected us. I would request the Railway Minister to pay some attention to the difficulties experienced by the poor people.

Shri Maha Deepak Singh (Kasganj) : This Government have been preaching socialism for the last 20 years but people of the country have not been provided any relief in so far as Railways are concerned.

Twenty years ago, the management of trains was in the hands of some companies such as East India and G. I. P., etc. There was very nice arrangement. The trains used to run in time and the number of trains was also more. I mean to say that there should have been some improvement after taking them over by the Government. But instead of increasing amenities, fare and freight charges have been increased. Similarly incidents of murders and insanitation have been increased. The number of trains on North Eastern Railway is so less that people have to travel on the footboards of the trains due to heavy rush. The plight of the passengers travelling by class III is miserable. The conditions at Soron Railway station is totally unhygenic. The reason is that there is only one person engaged in sanitation work whereas four persons are required to do the job. Soron is pilgrim place of Hindus and lakhs of people visit that place. There is no arrangement of drinking water. Government should look into this matter.

There is a branch line from Tundla to Etah. It is an uneconomic Railway line at present. In case this line is extended via Dhumri, Aliganj, Sarai Adat to Mohammedabad Station, it would meet the deficit budget as well as improve the situation in the criminal area from Etah to Mainpuri.

रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया) : रेलवे की समस्याओं पर हुई चर्चा से न केवल मुझे जानकारी मिली है बल्कि प्रेरणा भी मिली है। मैं माननीय सदस्यों के विचारों का आदर करता हूं। यह कहना अनुचित है कि मैंने अनुदेश जारी किये हैं कि संसद सदस्यों के जिन पत्रों का उत्तर नकारात्मक हो, उन्हें रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाये। संसद सदस्यों, मंत्रियों, राज्य विधान मंडलों के सदस्यों और राज्य सरकारों से मुझे आज तक 885 पत्र मिले हैं मैंने 2?9 पत्रों के अधिप्राप्ति पत्र भेजे हैं और 64 का अन्तिम उत्तर दिया है। 562 पत्रों का उत्तर दिया जाना बाकी है। यदि उत्तर देने में विलम्ब होता है तो इसका अर्थ यह नहीं कि मैं उत्तर देना नहीं चाहता। मैंने रेलवे बोर्ड को अनुदेश दिये हैं कि वे शीघ्र उत्तर भेजें। जब कोई माननीय सदस्य किसी स्टेशन पर कुछ सुविधाओं की मांग करते हैं तो मुझे उस सम्बन्ध में पहले जानकारी प्राप्त करनी होती है और फिर बोर्ड के सम्बन्धित सदस्य के साथ विचारविमर्श करना होता है। इस कार्यवाही में कुछ समय अवश्य लग जाता है। हमारा देश बहुत विशाल देश है। अतः सम्बन्धित स्थान से उत्तर प्राप्त होने में एक एक महीना भी लग जाता है। मै प्रत्येक माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं कि मेरी कोशिश यही होती है कि सभी पत्रों के उत्तर भेजे जायें और साथ ही वे उत्तर स्वीकारात्मक हों।

अनेक सदस्यों ने रेलवे कर्मचारियों को और अधिक सुविधाएँ देने का अनुरोध किया है। रेलवे में लगभग 14 लाख कर्मचारी काम करते हैं, जिनमें से 5.1 लाख कर्मचारियों को क्वार्टर एलाट कर दिए गये हैं। निम्न वर्ग के कर्मचारियों और अत्यावश्यक श्रेणी के कर्मचारियों जैसे ड्राइवर-फायरमैन और गार्डों के लिये क्वार्टरों की व्यवस्था की जा रही है। चौथी योजना में क्वार्टरों के लिये अतिरिक्त 30 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। रेलवे का पूर्ण विकसित चिकित्सा संगठन है। रेलवे के 97 अस्पताल हैं और 547 स्वास्थ्य केन्द्र हैं जिनमें 10302 बिस्तर हैं। रेलवे 749 शिक्षा संस्थाएँ चलाती है। ये संस्थाएँ ऐसी जगह काम कर रही हैं जहां शिक्षा की सुविधाएँ अपर्याप्त हैं।

छोटे स्टेशनों पर नियुक्त कर्मचारियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये डाक्टर उन स्टेशनों का नियमित रूप से दौरा करते हैं।

रेलवे कर्मचारियों के कल्याण के लिये की गई व्यवस्था में कर्मचारी भविष्य निधि का विशेष स्थान है। सरकार उक्त निधि को 4.50 रुपये प्रत्येक रेलवे कर्मचारी के हिसाब से प्रति वर्ष अनुदान देती है। उक्त राशि का प्रयोग गरीब कर्मचारियों या उनके परिवारों को राहत देने, खेल कूद का विकास करने और रेलवे कर्मचारियों के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिये तकनीकी छात्रवृत्तियाँ देने के लिये किया जाता है। इस वर्ष इन छात्र वृत्तियों की संख्या 1150 है। रेलवे मन्त्री कल्याण निधि का उपयोग केवल उन रेलवे कर्मचारियों और उनके परिवार के लाभ के लिये किया जाता है जो मुसीबत में हो अथवा काफी समय से बीमार हो, या रेलवे कर्मचारी या उसके परिवार के सदस्य के घायल होने या उसकी मृत्यु होने पर किया जाता है। ठेका मजदूरों के बारे में माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त किये गये विचारों से मैं सहमत हूं। इस बारे में सरकार जागरूक है और संविद श्रमिक (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम 1970 में पारित किया गया था। उक्त अधिनियम में ठेका मजदूरों की सेवाओं को नियमित करने की व्यवस्था है। श्रम मन्त्रालय केन्द्रीय संवैधानिक बोर्ड की स्थापना कर रहा है। जिससे विचार विमर्श कर सरकार उन क्षेत्रों में अधिसूचना द्वारा ठेका मजदूरी समाप्त कर देगी जिनमें निर्धारित कटौती का पालन नहीं होता।

नई लाइनें बिछाने के बारे में हम देखेंगे कि हम ये मांगें कहाँ तक पूरी की जा सकती हैं। नई लाइनों का निर्माण तब ही किया जा सकता है जब रेलवे योजना के लिये निर्धारित राशि से 250 करोड़ रुपये की राशि को कम न किया जाये। उक्त योजना का पुनर्विलोकन किया जा रहा है। अधिक धनराशि प्राप्त होने पर सदस्यों की मांगों को पूरा किया जा सकेगा।

राजस्थान, बिहार, मद्रास, मैसूर, केरल और मध्य प्रदेश में अनेक लाइनों का निर्माण किया जाना है।

हमें अपनी योजना का, विशेषकर बेरोजगारी की समस्या को ध्यान में रखते हुए, पुनर्विलोकन करना पड़ेगा।

श्रमिकों की मजूरी बढ़ाने की मांग का मैं समर्थन करता हूं। लेकिन इस विषय पर न्यायोचित तरीके से विचार किया जाना चाहिये। परियोजना भत्ते के बारे में रेलवे बोर्ड और रेलवे कर्मचारियों के मान्यता प्राप्त संघों के बीच विचाराधीन है। मामले में कोई पूर्ण समझौता न होने के कारण मामलों को मध्यस्थ बोर्ड को सौंपा गया था। मध्यस्थ बोर्ड का निर्णय प्राप्त होने पर परियोजना भत्ते सम्बन्धी अन्तिम निर्णय किया जायेगा।

श्रमिक नेताओं से मैं सप्ताह में आधा दिन विभिन्न समस्या पर विचार विमर्श करता

हूं। मैं चाहता हूं कि वे अपनी समस्याएं मेरे सामने बेझिझक रखें। वे देश के जिम्मेवार नेता है। मैं उन्हें सहयोग और मार्ग दर्शन के लिये आमंत्रित करता हूं जिससे हम श्रमिकों से अच्छा सम्बन्ध स्थापित कर सकें।

श्रमिकों को प्रबन्ध का कार्य सौंपने का उल्लेख किया गया है। मैं भी इसका समर्थन करता हूं लेकिन प्रबन्ध का काम सौंपने वाला व्यक्ति जिम्मेवार व्यक्ति होना चाहिये। देश की समस्याएं पारस्परिक विचार विमर्श द्वारा हल की जा सकती हैं।

बम्बई और नागपुर के बीच इस वर्ष सप्ताह में एक अतिरिक्त जनता एक्सप्रेस चलाई जायेगी। पूना और नागपुर के बीच अक्तूबर 1971 से अतिरिक्त महाराष्ट्र एक्सप्रेस गाड़ी चलाई जायेगी। बम्बई और पूना के बीच सप्ताह में एक बार एक अतिरिक्त जनता एक्सप्रेस गाड़ी चलाई जायेगी।

डिलक्स एक्सप्रेस (पश्चिम एक्सप्रेस) का अक्तूबर, 1971 से डीजलीकरण कर दिया जायेगा और फिर इसमें अनारक्षित तृतीय श्रेणी के स्थान की व्यवस्था की जायेगी। सप्ताह में दो बार डिलक्स गाड़ी, पटना होते हुए, चलाने का सुझाव मैं मानता हूं। यह एक जुलाई या 15 अगस्त 1971 से चलाई जायेगी।

शटल गाड़ी चलाने के बारे में मैं विचार विमर्श करूँगा और यह देखूँगा कि इस अनुरोध को कहाँ तक स्वीकार किया जा सकता है।

पाली-मारवाड रेलवे स्टेशन के बाहर अस्वच्छ स्थिति का उल्लेख किया गया है। उस क्षेत्र की अनेक बार रेलवे द्वारा सफाई कर्मचारियों से सफाई की जा चुकी है। वर्तमान स्थिति में वहां सफाई रखना कठिन है अतः इस बारे में स्थानीय नगरपालिका से विचार विमर्श किया गया है और उससे बाहर के व्यक्तियों द्वारा अनधिकृत कूड़ा जमा करने को रोकने के लिये सुझाव देने को कहा गया है। केवल झाड़ियां लगाने से समस्या हल नहीं होगी।

इस सम्बन्ध में मैंने भेद-भाव से काम नहीं लिया है।

अनेक सदस्यों ने ऊपरी पुल और निचले पुलों का निर्माण करने का अनुरोध किया है। इस बारे में मैं पहले ही नीति स्पष्ट कर चुका हूं। इस वर्ष हम इसके लिये 10 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च कर सकेंगे। वर्तमान नियमों के अन्तर्गत राज्य सरकारों को इसका आधा खर्च सहन करना पड़ता है और रेलवे को आधा खर्च सहन करना पड़ता है। प्रत्येक राज्य में रेलवे सुरक्षा निधि की व्यवस्था होती है और राज्य को उस निधि से धनराशि खर्च करनी होती है। सम्बद्ध राज्य सरकारों को सड़क के लिये आवश्यक भूमि का अधिग्रहण कार्य शीघ्रता से करना चाहिये जिससे ऊपरी और निचले पुलों के निर्माण का कार्य किया जा सके। माननीय सदस्यों को अपनी राज्य सरकारों से इस सम्बन्ध में कार्यवाही करने का अनुरोध करना चाहिये। उड़ीसा राज्य के बारे में सर्वेक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है लेकिन अभी उसके बारे में कुछ भी घोषणा नहीं की जा सकती क्योंकि अभी सर्वेक्षण प्रतिवेदन का अध्ययन नहीं किया गया है। जहां तक काश्मीर का सम्बन्ध है, वहां रेलवे लाइन निर्माणाधीन है।

Shri K. M. Madhukar (Kesaria): Several workers have been suspended in the recent strike in Barauni. They have been harassed without any cause. Hon. Minister has stated nothing in this connection.

श्री हनुमन्तैया : मैं जानता हूं कि सब सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि रेलवे बोर्ड के प्रतिष्ठान के खर्च में कमी की जानी चाहिये। हमें प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित करना

होता है और यह भी देखना होता है कि उक्त बोर्ड सुचारू ढंग से कैसे काम कर सकता है। यह निर्णय तदर्थ आधार पर नहीं किया जा सकता। प्रशासनिक सुधार आयोग और श्री हृदय नाथ कुंजरू के अध्ययन दल का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है और इस बारे में अन्य प्रतिवेदन भी प्राप्त हुए हैं। इस बारे में हम एक या दो महीनों में निर्णय लेंगे।

श्री के० एन० तिवारी : (बेतिया) कृपा यात्रियों के जीवन और सम्पत्ति की सुरक्षा के बारे में की गई कार्यवाही के बारे में बतायें।

श्री हनुमन्तैया : इस बारे में हम गम्भीरता से कार्यवाही कर रहे हैं। राज्य सरकारें भी इस संबन्ध में सजग हैं और हमें पूरा सहयोग दे रही हैं। राज्य सरकारों को और केन्द्रीय सरकार को संविधान के अन्तर्गत अनेक दायित्व दिये गये हैं। हम राज्य सरकारों के अधिकारों का हनन नहीं कर सकते। वर्तमान परिस्थितियों में केवल सहयोग से ही काम चल सकता है। हमारा यह उद्देश्य है कि रेलवे को सुचारू, संतोषजनक और सुरक्षापूर्ण ढंग से चलाया जाये। हमें आशा है कि आगामी सप्ताह अथवा महीनों में हमें इनके परिणाम प्राप्त होंगे।

Shri Ishwar Chaudhary (Gaya) : There is only one train between Mughal Sarai and Dhanbad. People had hoped that the hon. Minister would give some assurance in this regard.

श्री हनुमन्तैया : माननीय सदस्यों ने गाड़ियों के समय पर न चलने पर गम्भीर चिन्ता व्यक्त की है। सरकार इस सम्बन्ध में कार्यवाही कर रही है।

मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि रेलवे में बहुत अधिक भ्रष्टाचार है। चोरी आदि के मुआवजे के रूप में हम 12 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष दे रहे हैं। रेलवे सुरक्षा दल पर प्रतिवर्ष 14 करोड़ रुपये व्यय किये जा रहे हैं। इसके बावजूद चोरी की घटनाओं में कमी नहीं हुई है। अतः रेलवे प्रशासन से भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए मैं रेलवे सुरक्षा के ढांचे पर गम्भीरता से विचार कर रहा हूँ।

इसी प्रकार हम सतर्कता विभाग पर भी काफी धन व्यय कर रहे हैं। फिर भी भ्रष्टाचार उन्मूलन में हमें सफलता नहीं मिली है। रेलवे बोर्ड के साथ मैं इस मामले पर भी विचार कर रहा हूँ। हम भ्रष्टाचार को कम करने पर गम्भीरता से विचार कर रहे हैं। भ्रष्टाचार को पूरी तरह समाप्त करना कठिन है। फिर भी हम इसको खत्म करने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। मितव्ययता लाने के लिए भी हम पूरा प्रयत्न करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : अनेक कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये हैं। जब तक कोई सदस्य किसी कटौती प्रस्ताव विशेष को पृथक से मतदान के लिए नहीं कहता मैं सभी कटौती प्रस्तावों को इकट्ठे ही सभा में मतदान के लिए रख रहा हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

The cut Motions were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा वर्ष 1971-72 (रेलवे) की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिए रखी गई तथा स्वीकृत हुई।

The following Demands in respect of Ministry of Railways for the Year 1971-72 were put and adopted.

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
1.	रेलवे बोर्ड	1,12,07,000
2.	विविध व्यय	4,90,49,000
3.	चालित और दूसरी लाइनों को भुगतान ...	9,51,000
4.	संचालन व्यय—प्रशासन	57,30,78,000
5.	संचालन व्यय—मरम्मत और अनुक्षरण	188,38,29,000
6.	संचालन व्यय—परिचालन कर्मचारी	121,25,68,000
7.	संचालन व्यय—परिचालन (ईंधन) ...	113,32,52,000
8.	संचालन व्यय—(कर्मचारी और ईंधन को छोड़कर)	35,04,76,000
9.	संचालन व्यय—विविध व्यय ...	24,61,07,000
10.	संचालन व्यय—कर्मचारी कल्याण ...	18,57,94,000
11.	संचालन व्यय—मूल्यह्रास आरक्षित निधि में विनियोग	70,00,00,000
11क.	संचालन व्यय—पेंशन निधि में विनियोग	10,00,00,000
12.	सामान्य राजस्व को लाभांश	167,59,56,000
13.	चालू लाइन निर्माण (राजस्व)	5,99,95,000
14.	नई लाइनों का निर्माण ...	22,31,85,000
15.	चालू लाइन निर्माण—पूँजी मूल्यह्रास आरक्षित निधि और विकास निधि ...	394,83,99,000
16.	पेंशन प्रभार—पेंशन निधि ...	5,92,07,000
17.	सामान्य राजस्व से लिये गये कर्ज और उस पर सूद का भुगतान —विकास निधि ...	3,53,87,000
20.	अतिपूंजीकरण के परिशोधन के लिये भुगतान, सामान्य राजस्व से ऋण और उस पर ब्याज की अदायगी–राजस्व आरक्षित निधि	21,69,02,000

———

विनियोग (रेलवे) संख्या 2 विधेयक

APPROPRIATION (RAILWAY) NO. 2 BILL

रेल मन्त्री (श्री के० हनुमन्तैया) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1971-72 की सेवा के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दो जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

'कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1971–72 की सेवा के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

श्री के० हनुमन्तैया : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री के० हनुमंतैया : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1971–72 की सेवा के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1971–72 की सेवा के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

मेरे पास श्री ज्योतिर्मय बसु तथा दशरथ देव ने अपने अपने नाम भेजे हैं। अतः मैं इन दोनों को बोलने का अनुमति दूंगा। श्री दशरथ देव अपना भाषण अभी आरम्भ कर सकते हैं।

श्री दशरथदेव (त्रिपुरा पूर्व) : मैंने अपने कटौती प्रस्ताव में श्री माननीय मंत्री का ध्यान त्रिपुरा में धर्मनगर से अगरतला तक रेलवे लाइन बिछाने की आवश्यकता पर दिलाया है। अभी तक वहां पर कोई रेलवे लाइन नहीं है।

माननीय मंत्री की इस बात से मैं सहमत हूं कि विभिन्न गेजों की जो लाइनें हैं उनको समाप्त किया जाना चाहिए।

[श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए]

[Shri K. N. Tiwari in the Chair]

सरकार को ऐसी नीति नहीं बनानी चाहिए कि जब तक मीटर गेज तथा नैरो गेज की लाइनों को बड़ी लाइनों में नहीं बदल दिया जाता तब तक सरकार नई लाइनें नहीं बिछायेगी। इससे पिछड़े क्षेत्रों को हानि होगी। अतः मैं सरकार की इस नीति का विरोध करता हूं। त्रिपुरा के लोग 1952 से यह मांग कर रहे हैं कि उस राज्य को रेल द्वारा देश के अन्य भागों से जोड़ा जाये। यह बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। मनीपुर, त्रिपुरा, नेफा तथा आसाम में कागज के कारखाने तथा अन्य उद्योग लगाये जाने की भारी क्षमता विद्यमान है। हम चाहते हैं इन क्षेत्रों में कागज के कारखाने लगाये जायं।

मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता कि सरकार के पास धन नहीं है। यह तो वास्तव में एक दृष्टिकोण अथवा एक नीति का प्रश्न है। यदि आप नई लाइनें बिछाने के प्रश्न को प्राथमिकता दें तो पर्याप्त धन उपलब्ध हो सकता है। बड़ी इमारतें बनाने और गिराने तथा बड़े बड़े होटल बनाने पर भारी धनराशि व्यय की जा रही है।

कम से कम सुविधायें देश के सभी लोगों को उपलब्ध होनी चाहिए। उसके बाद आप उनमें वृद्धि कर सकते हैं।

जहां तक लाइट रेलों का सम्बन्ध है इनका राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए और इनको उचित ढंग से चलाया जाना चाहिए।

श्री के० हनुमन्तैया : मेरा आशय यह नहीं था कि जब तक छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में नहीं बदला जाता तब तक नई रेलवे लाइनें नहीं बिछाई जायेंगी। मैंने यह कहा था कि इस कार्य के साथ साथ हमें नई लाइनें भी बिछानी होंगी। दोनों कार्य साथ साथ चलेंगे।

यह ठीक है कि मनीपुर और त्रिपुरा में रेलवे लाइनें बिछाने की आवश्यकता है परन्तु मुख्य प्रश्न तो साधनों का है। उसके लिए हमें योजना में व्यवस्था करनी होगी। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक नई रेलवे लाइनें बिछाना हमारे लिए कठिन होगा।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1971-72 की सेवा के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, 2, 3, अनुसूची, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 1, 2, 3, अनुसूची, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 1, 2, 3, the Schedule, the Enacting Formula and the title were added to the Bill.

श्री के० हनुमन्तैया : मैं प्रस्ताव करता हूं

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

"विधेयक को पारित किया जाये।"

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्ड हार्बर) : रेलवे सरकारी क्षेत्र का सबसे बड़ा उपक्रम हैं और इसमें लगभग 4000 करोड़ रुपये लगे हुए हैं। परन्तु इसकी स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। इसको होने वाले घाटे का बोझ आम जनता पर पड़ रहा है। जो हानि बताई गई है वास्तव में रेलवे को उससे कहीं अधिक हानि हुई है। माननीय मंत्री ने यह बताने का प्रयास नहीं किया है कि इस हानि को रोकने के लिए क्या विशिष्ट उपाय किये गये हैं। यदि रेलवे को उचित ढंग से चलाया जाता है तो इससे राजस्व में वृद्धि हो सकती है।

रेलवे की बहुत सी सम्पत्ति बेकार पड़ी है। इनको या तो प्रयोग में लाया जाना चाहिए अथवा इसका निपटान किया जाना चाहिए। सभी खाली स्थान का प्रयोग किया जाना चाहिए। इससे सरकार को पर्याप्त राजस्व मिलेगा। कोचों तथा इमारतों का डिजायन इस प्रकार तैयार किया जाना चाहिए जिससे कि अधिक से अधिक लाभ उठाया जा सके। कोचों की सतह को नीचा करके उनको अधिक दो अथवा तीन टायर के बजाये अधिक टायर वाला कोच बनाया जा

सकता है। दूसरे डिब्बों को ऐसा बनाया जा सकता है जिससे इनके अन्दर धूल न जा सके। सड़क यातायात की ओर से लोगों को रेल यातायात की ओर आकर्षित करने के लिए भी कार्यवाही की जानी चाहिए।

माल भाड़े के ढांचे पर भी पुनः विचार किया जाना चाहिए। ताकि पुराने ग्राहकों को जो सड़क यातायात की ओर चले गये वापस इधर आ सके।

मैं चाहता हूं कि माननीय भारतीय रेलों में पूंजी निर्माण और निवेश के बारे में जांच करने हेतु एक उच्च शक्तिवाली समिति नियुक्त करें। जहां पर एक लाख रुपया खर्च करना होता है वहां पर दस लाख रुपये खर्च किये जाते हैं।

हमने कई बार अनुरोध किया है कि तीसरे दर्जे के डिब्बों में पीने के पानी की व्यवस्था होनी चाहिए और सीटों पर कुशन लगाया जाना चाहिए ताकि लम्बी यात्रा करने वाले व्यक्तियों को कुछ सुविधा प्राप्त हो सके। लकड़ी के बेंच पर 1000 मील सफर करना बहुत ही दुखदायी है।

पहले तथा तीसरे दर्जा के डिब्बों को सुसज्जित करने के लिए बिड़ला बन्धुओं से लिनोलियम खरीदा गया है। इसी प्रकार डिब्बों की दिवारों की सजावट के लिए भी प्लास्टिक का सामान खरीदा गया है।

रेलवे को रखरखाव विशेषकर इमारतों के रखरखाव पर अपने व्यय को कम करना चाहिए। और अधिक रेलगाड़ियों को डीजल के इंजनों से चलाने की नीति को भी बन्द किया जाना चाहिए। डीजल के इंजन में गाड़ी को चलाने से बहुत अधिक खर्च होता है। अतः इस प्रणाली को बन्द किया जाना चाहिए। हमें अपनी रेलगाड़ियों के लिए भाप तथा बिजली के इंजन ही प्रयोग में लाने चाहिए।

हमें अधिक उपकरणों का भण्डार भी नहीं करना चाहिए क्योंकि इनको भण्डार करने पर भी खर्च करना पड़ता है और इसके अतिरिक्त इनके रखरखाव पर भी खर्च करना पड़ता है। अतः हमें इतना ही सामान स्टोर करना चाहिए जो अत्यधिक आवश्यक हो। इस प्रकार पूंजी भी अवरुद्ध नहीं होगी।

जहां तक संरचनात्मक विवरणों का सम्बन्ध है मेरा निवेदन है कि इस्पात के स्थान पर कन्क्रीट को प्रयोग में लाया जाना चाहिए। इस्पात की देश में भारी कमी है। जहां कहीं सम्भव हो इस्पात के बजाये आर० सी० सी० को प्रयोग में लाया जाना चाहिए।

रेलवे की खान-पान सेवा की भी पुनः जांच करने की आवश्यकता है। दोनों का निपटान करने के लिये राष्ट्रीयकृत बीमा कम्पनियों को भी लेना चाहिये जिससे मुआवजा देते समय दो संस्थाएं दावों की जांच कर सकें।

रेलवे कर्मचारियों के साथ भी उचित व्यवहार नहीं किया जाता है। सरकार उन्हें विश्वास में लेकर कार्य करे तथा उनका प्रबन्ध में प्रतिनिधित्व रहे तो कार्यकरण में वहुत सुधार हो सकता है। इसके अतिरिक्त सरकार को इस ढंग से पूंजी लगानी चाहिये कि उससे लाभ हो तथा राजस्व की प्राप्ति हो।

रेलवे में डिजायनों की योजना बनाने वाले पुरानी विचारधारा के इन्जीनियरों को निकाल देना चाहिये तथा अधिकारियों से कहना चाहिये कि वे साधारण दर्जों में सफर करें जिससे उन्हें वास्तविक कठिनाइयों का बोध हो सके। फालतू इस्पात और लोहे की कतरनों का छोटे कारखानों

को लाइसेंस दिये जा रहे हैं सरकार को चाहिये कि इस सम्बन्ध में रेलवे का भी उपयोग किया जाये।

देवबन्द में एक बहुत पुराना मुस्लिम संस्थान है जिसके विद्यार्थियों को पहले रेलवे से रियायत दी जाती थी। अब उस रियायत को बन्द कर दिया गया है। यह अनुचित है।

स्यालदह डिवीजन की ओर सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिये क्योंकि वहां पर रेलों का आवागमन व्यवस्थित नहीं है। यात्री इस आशा पर मासिक-पास खरीदते हैं कि उनको समय पर रेलगाड़ियां मिलेंगी किन्तु जब उनको गाड़ियां नहीं मिलतीं तो उन्हें बड़ी निराशा होती है और यह उनके साथ एक प्रकार का विश्वासघात होता है। अतः सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि वहां पर रेलवे सेवा व्यवस्थित हो।

श्री डी० एन० तिवारी (गोपालगंज) : बिहार के सदस्यों ने बिहार में एक सेवा आयोग तथा सोनपुर में एक डी० एस० आफिस की मांग की है। मन्त्री महोदय उत्तर देते समय उन बातों का भी उल्लेख करें।

श्री हनुमन्तैया : श्री ज्योतिर्मय बसु ने बहुत ही लाभदायक सुझाव दिये हैं। उत्तम सुझाव किसी भी दल के सदस्य द्वारा दिये जायें हम उनका स्वागत करते है तथा माननीय सदस्यों से सहयोग की भी अपेक्षा करते हैं। वास्तव में हम खर्च में कमी करना चाहते हैं तथा राजस्व में वृद्धि करना चाहते हैं। हमने बजट में संतुलन लाने का प्रयास किया है। वास्तव में लगभग 7 करोड़ रुपयों के घाटे को पूरा नहीं किया गया है तथा रेलवे प्रशासन के लिये यह एक प्रकार की चुनौती है कि वह मितव्ययता सम्बन्धी उपायों के द्वारा इस घाटे को पूरा करे तथा राजस्व में वृद्धि करे। अतः इस कार्य का भार रेलवे के छोटे से लेकर बड़े से बड़े अधिकारी के ऊपर है।

जहां तक डिब्बों और कोचों की डिजायन का प्रश्न है मैं स्वयं तो इस सम्बन्ध में विशेषज्ञ नहीं हूं तथापि मैं अनुसन्धान विभाग से इसकी जांच करने के लिये कहूंगा। वास्तविक सम्पदाओं के सम्बन्ध में हमने कार्यवाही आरम्भ कर दी है।

बहुत से माननीय सदस्य जानते हैं कि रोडवेज भी राष्ट्रीयकृत हैं और रेलवे भी। इन दोनों परिवहन पद्धतियों में प्रतिस्पर्धा के सम्बन्ध में एक समिति नियुक्त की गई थी तथा उसने कई सुझाव दिये हैं। इस अनुचित स्पर्धा को समाप्त करने के लिये राज्यों के सम्बद्ध मंत्रियों, रेलवे प्रशासन के अधिकारियों तथा मन्त्रियों की बैठक की जायेगी तथा ऐसे उपाय खोजे जायेगें जिससे दोनों ही परिवहन लाभ पर चल सकें। बहुत से माननीय सदस्यों ने नई रेलवे लाइनें बिछाने की मांग की है किन्तु मैं इन प्रस्तावों को तब तक स्वीकार नहीं करूंगा जब तक वहाँ की राज्य सरकार यह आश्वासन न दे कि उस लाइन पर प्रतिस्पर्धा नहीं की जायेगी। पंजाब की ओर से इस प्रकार का आश्वासन दिया गया था किन्तु बाद में उस आश्वासन का उल्लंघन किया गया। अतः रेलवे तथा सड़क परिवहन को जनता का हित देखना होगा। अतः मेरा यह प्रस्ताव है कि इस सम्बन्ध में राज्यों में अथवा केन्द्र में एक बैठक की जाये।

लगभग सभी सार्वजनिक उपक्रमों के सम्बन्ध में यह आलोचना की जाती है कि उनमें अत्यधिक पूंजी-निवेश है पिछले दिन भी, श्री ज्योतिर्मय बसु ने श्री ख्रुश्चेव के वक्तव्य से उद्धरण दिया था। श्री ख्रुश्चेव ने यह वक्तव्य बंगलौर में दिया था तथा उस समय मैं भी उनके साथ था। वास्तव में भारत सरकार तथा राज्य सरकार जैसे संगठन बहुत व्यापक संगठन हैं। बहुत से माननीय सदस्य कहते हैं कि सरकार तथा मन्त्री निगमों के हाथ में कार्य सौंपे किन्तु इन निगमों में भी बहुत अधिक धन खर्च किया जाता है तथा उनके निदेशकों के बंगलों पर अत्यधिक राशि खर्च की

जाती है। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कई प्रबन्ध निदेशकों के या चेयरमैनों के बंगले इतना आलीशान हैं कि स्वयं प्रधान मंत्री का बंगला उस प्रकार का नहीं है। सरकार ने उन्हें सदभावना से स्वायत्त शासी बनाया था किन्तु उनमें अत्यधिक पूंजी निवेश पाया गया। अधिकारियों के वेतन बहुत अधिक हो गये। एयर इन्डिया इसका ज्वलंत उदाहरण है। वहां का विमान चालक एयर मार्शल से भी अधिक वेतन पाता है। वहाँ एक साधारण विमान चालक को एक समय के भोजन के लिये दैनिक भत्ता लगभग 50–55 रुपये मिलता है जबकि रेलवे बोर्ड के सदस्य को इसके लिये पूरे दिन में 20 रुपया भी नहीं मिलते। अतः यदि आप अन्य निगमों के साथ रेलवे बोर्ड के सदस्यों की तुलना करेंगे तो ज्ञात होगा कि रेलवे बोर्ड के सदस्यों को वेतन-भत्ता आदि बहुत कम मिलता है। हमें इस समस्या को सुलझाना है।

जहाँ तक डीजलीकरण का प्रश्न है इस बारे में मतभेद है। मैं यह भी बता देना चाहता हूँ कि मैं किसी भी एकाधिकार वादी अथवा पूँजीवादी के प्रभाव में नहीं हूँ। डीजलीकरण के प्रश्न पर उपयुक्त अधिकारी तथा रेलवे बोर्ड विचार करेंगे तथा जो भी उपयुक्त होगा वही कार्य किया जायेगा। माननीय सदस्य स्वयं समझते हैं कि डीजल इंजन पर भाप के इंजन से खर्च बहुत कम आता है।

माननीय सदस्य का 10 वां सुझाव ढांचे गत विशिष्टविवरण और सेफटी मार्जिन में यथा-सम्भव कमी करने के बारे में था। मैं इस सम्बन्ध में जाँच करूंगा। **(व्यवधान)**

अन्तिम सुझाव यह था कि उपनगरीय रेलगाड़ियों को दुमंजली बनाया जाये। इस कार्य के लिये हमें सभी पुलों का फिर से निर्माण करना होगा। अतः यह कार्य इतना सरल नहीं है।

लोक सेवा आयोगों और प्रशासीय मुख्यालयों की स्थापना इस प्रकार होनी चाहिये कि किसी भी राज्य को इस सम्बन्ध में कोई शिकायत न रहे। अंग्रेजों ने केवल मद्रास, कलकत्ता और बम्बई को ही महत्व दिया था किन्तु अब सभी राज्यों के साथ न्याय होना चाहिये। इस सम्बन्ध में मैं आप सभी का सहयोग चाहता हूं जिससे यदि किसी राज्य से कोई क्षेत्रीय मुख्यालय हटाया जाये तो वह उस पर आपत्ति करें। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि इस समय मैं कोई घोषणा नहीं कर सकता।

जहाँ तक लोक सेवा आयोग का प्रश्न है मैं स्वयं सोचता हूं लोक सेवा आयोग केवल कुछ ही राज्यों में स्थित क्यों रहे तथा शेष उनसे क्यों वंचित रहें। मैं चाहता हूं कि आयोग किसी एक स्थान पर न रह कर सभी राज्यों में बारी बारी घूमते रहें। तथापि यह नीति की बात है अतः मुझे इस सम्बन्ध में मन्त्रिमन्डल की अनुमति लेनी होगी।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये।।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided

पक्ष में 96 विपक्ष में 38

Ayes 96 Noes 38

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

संसद के अधिकारियों के वेतन और भत्ता (संशोधन) विधेयक
SALARIES AND ALLOWANCES OF OFFICERS OF PARLIAMENT (AMENDMENT) BILL

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि संसद के अधिकारियों के वेतन और भत्ता अधिनियम, 1953 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

यह विधेयक मतभेद रहित है तथा मुझे आशा है कि सभी दलों के माननीय सदस्य इस का समर्थन करेंगे।

सदन को ज्ञात होगा कि यह अधिनियम 1953 में बना था तथा इसके अन्तर्गत उप-सभापति तथा उपाध्यक्ष का मासिक वेतन 2,000 रुपया निर्धारित किया गया था। उनके पद तथा उनके कार्य को देखते हुये उनको राज्य मन्त्री के बराबर का दर्जा दिया गया था। अतः उनके वेतन के सम्बन्ध में भी आवश्यक संशोधन किया जाना था। किन्तु किन्हीं कारण वश यह विधेयक पहले नहीं लाया जा सका। इस विधेयक के द्वारा संसद के इन दो अधिकारियों का वेतन राज्य मन्त्री के वेतन के बराबर किया जा रहा है। इस विधेयक में इन दोनों अधिकारियों को 250 रुपया प्रतिमास आतिथ्य भत्ता देने का भी प्रस्ताव किया गया है। मेरा विचार है कि इस विधेयक को बिना वाद-विवाद किये ही पारित कर दिया जायेगा।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया :

"कि संसद के अधिकारियों के वेतन और भत्ता अधिनियम, 1953 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री ज्योतिर्मय बसु : सभापति महोदय मैं अपने संशोधन संख्या 4 और 5 प्रस्तुत करता हूं।

[**श्री आर० डी० भण्डारे पीठासीन हुए**
Shri R. D. Bhandare in the Chair]

ऐसी स्थिति में जब देश के समक्ष आर्थिक संकट है, दिन प्रति दिन बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, औसत भारतीय प्रतिदिन 36 पैसे से अधिक खर्च नहीं कर सकता है तथा हमें अन्य अनेक कार्यों के लिये धन की भारी आवश्यकता है, हमें इन अधिकारियों के वेतन में वृद्धि करने के विधेयक पर यहाँ विचार नहीं करना चाहिये। अतः इस विधेयक को जनमत जानने के लिये अन्य व्यक्तियों को सौंपा जाना चाहिये। उसके बाद इस पर निर्णय किया जाना चाहिये।

Shri K. M. Madhukar (Kesaria) : Without meaning any disrespect to the Deputy Speaker and the Deputy Chairman, I want to say that the economic condition of the country does not justify the enhancement of the salaries and allowances of the two officers of the Parliament as sought to be provided in this Bill.

I would also like to know the reason for which Government did not make any provision for ameliorating the economic condition of the ordinary employees of the Parliament. The cost of living has been increasing day by day and the low-paid employees are facing various difficulties now-a-days. They should also be given some benifits.

During the elections Government have said so many things about socialism.

But now they are betraying the public by expanding the gap between the lowest and the highest salaries. Thus this Bill is contrary to the principle of socialism. I request that it should be withdrawn.

Shri P. L. Barupal (Ganganagar) : Sir, it is regrettable that salaries and allowances of the Members of Parliament are sought to be increased but no heed is paid to the genuine grievances of the low-paid employees. If the Government wants to give content to its slogan of Socialism, the benefits for low-paid employees should also be included in this Bill.

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (औसग्राम) : महोदय ! उपाध्यक्ष तथा राज्य सभा के उप-सभापति को पूरा सम्मान देते हुये मैं इस विधेयक का सैद्धान्तिकरुप से विरोध करता हूं ।

महोदय ! जब कृषि मजदूर, औद्योगिक श्रमिक तथा सरकारी कर्मचारी अपने जीवन यापन के अनुकूल वेतन में वृद्धि करने की मांग करते हैं तो यही सरकार उनकी मांग को यह कह कर ठुकरा देती है कि देश में आर्थिक संकट है । उनके आंदोलनों को निर्दयतापूर्वक कुचल दिया जाता है । किन्तु यही सरकार उप-सभापति और उपाध्यक्ष के वेतन में इतनी वृद्धि करना चाहती है । यह सरकार बड़े अधिकारियों को प्रतिष्ठा और उनके स्तर का इतना अधिक ध्यान रखती है किंतु निर्धन कर्मचारियों की इतनी उपेक्षा करती है । मेरा निवेदन है कि बड़े अधिकारियों के वेतन में वृद्धि करना केवल नैतिक रूप से अनुचित नहीं होगा वरन अपराधपूर्ण भी होगा । बंगला देश से आये शरणार्थियों तथा देश की अन्य निर्धन जनता की स्थिति देखते हुये यह विधेयक नितांत असंगत है । देश के ग्रामीण क्षेत्रों में एक कृषि-श्रमिक को औसतन केवल 40 पैसे प्रति दिन मजूरी मिलती है। यह आंकड़े राष्ट्रीय सेंपल सर्वेक्षण द्वारा दिये गये हैं । केन्द्र सरकार से 28 लाख कर्मचारियों को जिनमें संसद-भवन के कर्मचारी भी सम्मिलित हैं केवल 100 से भी कम मासिक वेतन मिलता है । अतः मेरा निवेदन है कि संसद-भवन के कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की जाये ।

वेतन भोगी कर्मचारियों द्वारा मंहगाई भत्ते की मांग करने पर आंकडों का हवाला देकर उन्हें उनना हक नहीं दिया जा रहा है । परन्तु सरकार को उपाध्यक्ष और उप सभापति के गरिमा तथा पदस्थिति की चिंता है । श्रमिकों और कर्मचारियों के मामले में तो वेतन बढ़ाने पर रोक लगाने की बात की जाती है परन्तु उच्च पदाधिकारियों को अधिक वेतन तथा भत्ते देने के लिए सरकार सहमत है ।

Shri M. Ram Gopal Reddy (Nizamabad) : This Bill relates to the raising of the salaries of the Deputy Speaker and the Deputy Chairman. Some of the Members have raised objections which are not related to the Bill and have opposed it merely for the sake of opposing it.

So far as the question of employees of the secretariat of the Parliament is concerned it is related with the general question of employees of the Government of India. Hence they can not be treated separately.

Shri J. B. Dhote (**Nagpur**) : The country is passing through a critical stage. Employees of the Central Government as well as State Governments are demanding increase in allowances due to rise in prices. In the circumstances it is most unfortunate to bring forward such a Bill.

This Bill is neither democratic nor is it in accordance with the slogan of 'Garibi Hatao' which was raised by the ruling party during the last mid-term poll. Hence it should be opposed vehemently. If this Bill is passed, people will lose all confidence in this House and that development would be of far reaching consequences.

Shri R. V. Bade (Khargone) : It is noted in the statement of objects and reasons of the Bill that the status of the Deputy Speaker and Deputy Chairman is equal to the

status of the Minister of State. It is, therefore, proper that their salaries are also equated with that of a Minister of State.

It would have been more appropriate if alongwith the Deputy Speaker and Deputy Chairman the salaries of the employees of Parliament Secretariats were also raised. If this had been done perhaps there would not have been such opposition to the Bill.

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena) : It would have been better if the Government had consulted opposition parties before bringing forward this Bill. There has been general price rise and the circumstances the pay and allowances of the Government employees of Parliament Secretariats should also be increased.

Shri Mohammad Tahir (Purnia) : The opposition to the Bill is based on certain misapprehensions. If the status of the Deputy Speaker and the Deputy Chairman was equal to that of a Minister of State, their salaries and allowances should also be equated with that of a Minister of State.

[**श्री सेझियान पीठासीन हुए**
Shri Sezhiyan in the Chair]

And this is what the Government seeks to achieve through this Bill.

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर): मैं उपाध्यक्ष तथा उप-सभापति के पद का दर्जा बढ़ाने का विरोधी नहीं हूं परन्तु मैं सिद्धांत पर इस विधेयक का विरोध करता हूं। मेरा अनुरोध है कि जब कि वेतन आयोग इस समय कर्मचारियों के वेतन-भत्तों आदि के प्रश्न पर विचार कर रहा है तो ऐसी स्थिति में हमें इस प्रकार की कोई बात नहीं करनी चाहिये जिससे यह भावना फैले कि संसद सदस्य अपने लिए तो विधेयक पास करके भत्ते बढ़ा लेते हैं परन्तु कर्मचारियों के लिए आयोग की बात की जाती है। अत: उपाध्यक्ष तथा उपसभापति का मामला भी वेतन आयोग को निर्देशित किया जाना चाहिये। यदि कर्मचारियों पर जीवन निर्वाह सूचांक लागू होता है तो इन पर भी होना चाहिये। वेतन आयोग की रिपोर्ट मिलने पर ही इस विषय में कोई कार्यवाही की जानी चाहिये।

श्री ए०पी० शर्मा (बक्सर): इस प्रश्न को वेतन आयोग को निर्देशित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस विषय में यह सदन ही कोई भी निर्णय कर सकता है। इस सुझाव के साथ मैं भी सहमत हूं कि संसद के सचिवालय के कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों के प्रश्न पर भी विचार किया जाना चाहिये था। क्योंकि इन कर्मचारियों की सेवा शर्तें सरकार के अन्य कर्मचारियों से भिन्न हैं इसलिये अन्य कर्मचारियों के साथ इन्हें जोड़ना उचित नहीं। अतः यदि संभव हो तो इस विधेयक के साथ संसद कर्मचारियों के वेतन-भत्तों आदि पर भी विचार किया जाये। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

Shri Bibhuti Mishra (Motihari) : The Lok Sabha has 523 members where as there are 238 members in the Rajya Sabha. Lok Sabha sat for 168 days and 170 days respectively in 1969 and 1970 where as Rajya Sabha sat for 143 days and 154 days in the corresponding years. These figures may vary a little. Now the status of the Deputy Speaker and that of the Deputy Chairman is being equated. It is not understood how far it is fair keeping in view the difference in duties both have to perform. It is also not fair to grant equal sumptuary allowance of Rs. 250 to both. The Government should, therefore, reconsider this. The Lok Sabha is a representative body whereas the other House has no utility. It should therefore be abolished altogether. I have submitted amendment, to the effect that the pay of only the Deputy Speaker should be raised. This amendment should be accepted.

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा (खम्मम) : इस विधेयक को बिना चर्चा के ही पारित कर दिया जाना चाहिये था जबकि चर्चा में व्यर्थ की बातें उठाई जा रही हैं। इस सदन के विधेयक द्वारा

सदस्यों का वेतन बढ़ाया गया था तो उस समय इस प्रकार की बातें नहीं कही गई। इस विधेयक के द्वारा उपाध्यक्ष और उप सभापति का वेतन प्रतिमास 250 रुपये बढ़ा कर उनका वेतन राज्य मन्त्री के बराबर किया जा रहा है। मेरे विचार के अनुसार इसे पिछली अवधि से लागू किया जाना चाहिये।

इस विचार से मैं भी सहमत हूँ कि संसद सचिवालय के कर्मचारियों के वेतन भी बढ़ने चाहियें। इन कर्मचारियों को बड़ी विकट परिस्थितियों में कार्य करना पड़ता है। जब भी उन्हें कार्य दिया जाता है वह तुरन्त उसे पूरा कर देते हैं। अतः उनके वेतन भी बढ़ने चाहियें।

श्री के॰ लकप्पा (चित्रदुर्ग) : इस विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के विवरण से यह स्पष्ट है कि उपाध्यक्ष तथा उप-सभापति के पदों को 1962 में पूर्वता अधिपत्र एवं यात्रा तथा दैनिक भत्तों के लिए राज्य मन्त्री के पद के समान बनाया गया था। उस समय उनका वेतन राज्य मन्त्री के वेतन के समान नहीं किया गया था और उसे अब ऐसा किया जा रहा है। अतः यह समझ में नहीं आता कि विपक्ष के लोग इस बारे में इतने चिंतित क्यों हैं। उपाध्यक्ष तथा उप-सभापति संसद के माननीय सदस्य हैं उनके मामले पर हमें सहानुभूति पूर्वक विचार करना चाहिये।

मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

इसके पश्चात लोक सभा बुधवार 16 जून, 1971/26 ज्येष्ठ, 1893 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till **Eleven of the clock on Wednesday, June 16, 1971/Jyaistha 26, 1893 (Saka).**

Tirthraj Press, Allahabad-3.